खण्ड-127, अंक-2
मंगलवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1875
(15 दिसम्बर, 1953 ई0)

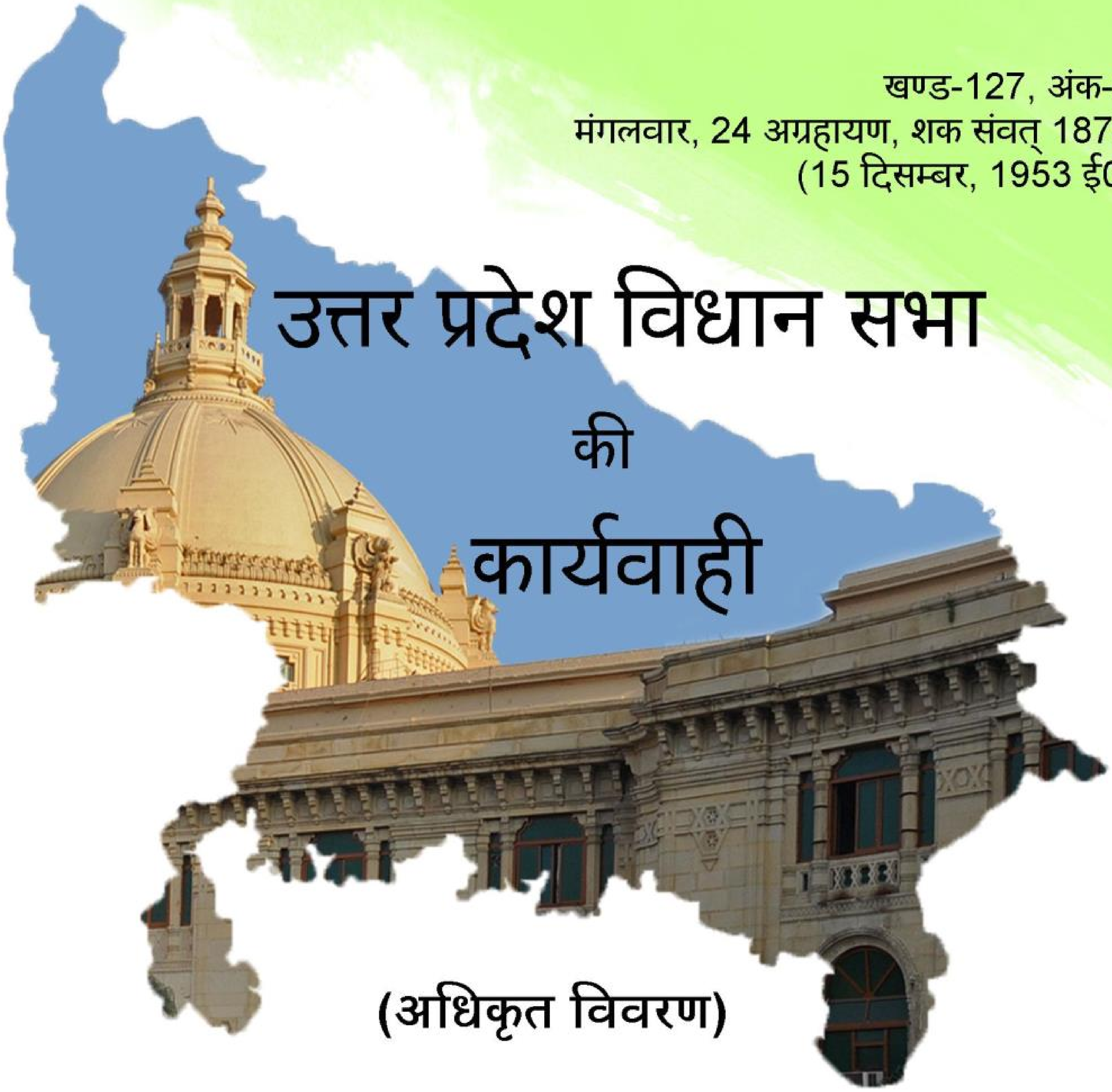

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 127 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल , श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री

फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्रामराय, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव जन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह बाबूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री

सुरजूराम, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मऊ म्युनिसिपैलिटी के नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री इश्तयाक आबदी की नजरबन्दी

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ म्युनिसिपैलिटी के नव-निर्वाचित अध्यक्ष को नजरबन्दी से रिहा करने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उनकी नजरबन्दी के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री इश्तयाक आबदी की नजरबन्दी के कारण की एक प्रति मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१२ पर)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने विचार करके क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनको एक महीने के लिये पैरोल पर छोड़ दिया गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि मऊ शहर के नागरिकों की ओर से श्री इश्तयाक आबदी की रिहाई के लिये ९,४८९ दस्तखतों से एक आवेदन-पत्र के साथ एक डेपुटेशन उनसे मिला था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी हां। कुछ लोग मुझसे मिले थे।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि उस डेपुटेशन के इस प्रार्थना पर कि उनको हमेशा के लिये रिहा कर दिया जाय, क्या निर्णय किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो निर्णय मैंने अभी बताया।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो संलग्न नोटिस है उसमें जितने आरोप इस्तयाक आब्दी के ऊपर हैं वे सब सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में हैं। वह सत्याग्रह आन्दोलन खत्म हो गया है। फिर भी अब वे क्यों नजरबन्द रक्खे जा रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो भी कारण होते हैं वे उस व्यक्ति को दे दिये जाते हैं जो नजरबन्द किया जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं। ट्रिब्यूनल ने इन पर गौर किया और उनकी तरफ से जो रिप्रेजेन्टेशन हुआ था उसको भी ट्रिब्यूनल ने देखा। और इन सब के बाद ट्रिब्यूनल ने सरकार के उस निश्चय का समर्थन किया कि उनको एक वर्ष तक नजरबन्द रखना चाहिये। इसलिये ट्रिब्यूनल के निश्चय के अनुसार वह एक वर्ष की नजरबन्दी का हुक्म अब तक कायम है।

श्री झारखंडे राय---जो नोटिस संलग्न है उसके सेक्शन २ (c) में लिखा हुआ है कि मऊ की मीटिंग में ऐसा निर्णय किया गया कि मुहम्मदाबाद तहसील के पटवारियों के रिकार्ड्स जला दिये जायं, क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिये उनके पास क्या सबूत हैं?

श्री अध्यक्ष---सबूत आप नहीं पूछ सकते। आप यह पूछ सकते हैं कि किस तरह से उनको इसकी जानकारी हुई?

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात कैसे मालूम हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिस तरीके से सरकार को बहुत सी बातें मालूम होती हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि १५ तारीख से जो सत्याग्रह शुरू होने वाला था जिसकी चर्चा नोटिस के तीसरे प्वाइंट पर है, क्या उसकी विधिवत् सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को दे दी गई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह जो कुछ हुआ हो लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद मैं समझता हूं मेरे लिये यह अनुचित है कि जिन बातों पर ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय दिया है उन पर कोई आलोचना करूं या उन पर अपनी कोई राय दूं।

नैपाल में पी० ए० सी० की टुकड़ियों का प्रेषण

*३---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि जो पी० ए० सी० की यूनिटें नैपाल में किसान विद्रोह को दबाने के लिये भेजी गयी थीं उनमें कुछ टुकड़ियां अब भी नैपाल में पड़ी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने कोई पी० ए० सी० या अन्य पुलिस नैपाल में किसान विद्रोह दबाने के लिये कभी नहीं भेजी।

श्री झारखंडे राय---क्या यह सही नहीं है कि नैपाल सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार के आदेश पर भीमदत्त द्वारा संचालित किसानों के आन्दोलन को दबाने के लिये हमारे प्रान्त से पी० ए० सी० की टुकड़ियां वहां पर भेजी गयी थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रश्न में किसान विद्रोह के दबाने की बात है। हम नहीं जानते कि नैपाल में कोई विद्रोह था या नहीं, यह उनका इन्टरनल मामला है। भारत सरकार ने जो हमको आदेश दिया उसके अनुसार हमने पी० ए० सी० की टुकड़ियां वहां पर भेजीं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—जितनी टुकड़ियां भेजी गयी थीं उनकी स्ट्रेंग्थ क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सब बातों को जनहित में बताना उचित नहीं होगा।

श्री झारखंडे राय—क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो टुकड़ियां भेजी गयी थीं उनमें इस समय कुछ वहां पर रह गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस । इनका उत्तर देना सार्वजनिक हित में उचित नहीं होगा।

स्वदेशी काटन मिल कानपुर के मजदूरों और मिल मालिकों में संघर्ष

*४—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल कानपुर में गत १६ नवम्बर से जो मिल मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष चल रहा है उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिनांक १६ नवम्बर, सन् ५३ से मिल मालिकों ने अपने मिल में तीन पालियों के बजाय दो पाली चलाने की योजना की और तीसरी पाली में थोड़े से (११४) कर्मचारियों को रख कर उनके अन्य कर्मचारियों को पहली दो पालियों के रिक्त स्थायी स्थानों की पूर्ति के हेतु विभाजित कर दिया। इस योजना के अनुसार रविवार को भी मिल चलाने का प्रस्ताव था। कर्मचारियों को इस नये तरीके से काम करना स्वीकार न था। मिल मालिक चाहते थे कि कर्मचारी नई योजना के अनुसार मिल के अन्दर आवें परन्तु कर्मचारी अपनी पुरानी पालियों के अनुसार मिल के अन्दर कार्य के लिये आना चाहते थे और वे रविवार को किसी प्रकार काम नहीं करना चाहते थे। संघर्ष का यही कारण है।

*५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संघर्ष को हल करने के लिये लेबर कमिश्नर ने कोई प्रयत्न किया ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विवाद के आरम्भ में ही श्रम कमिश्नर ने दोनों पक्षों के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की और वह अब भी इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील हैं। पुनः उनके द्वारा एक योजना दोनों पक्षों के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पीरियड आफ पेंडेंसी में मिलमालिकों को वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का कानूनी हक़ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस चीज की पीरियड आफ पेंडेंसी में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डा० बंशीधर की रेशनलाइजेशन स्कीम के आने के पहले ही इस तरह की स्कीम को मालिकान मिल ने क्यों चालू करने का विचार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डा० बंशीधर का रेशनलाइजेशन का जो प्रस्ताव है उस पर विचार करके उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में काफी समय लग सकता है। मिल-मालिकों का यह कहना है कि इस समय जो परिस्थिति है और कपड़े और सूत का जो स्टाक कानपुर में जमा है उसको देखते हुये मौजूदा तरीके पर मिलों को चलाने का काम उनके लिये असम्भव है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार ने इस मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिये पुलिस द्वारा लाठी का प्रयोग किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार मजदूरों के आन्दोलन को दबाने के लिये गलत काम नहीं करती।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो मजदूर थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी का कोई प्रयोग किया गया? कानपुर में स्वदेशी मिल के सामने जो मजदूरों का आन्दोलन चल रहा था उसको दबाने के लिये पुलिस द्वारा लाठी का प्रयोग किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार कोई लाठी नहीं चलवाती है लेकिन वहां मिल के फाटक पर कुछ संघर्ष था। जो मजदूर अन्दर जाना चाहते थे उनको कुछ मजदूर रोकते थे। वहां पर १४४ लगी हुई थी। ऐसी हालत में डी० एम० की आज्ञा पर शान्ति स्थापित करने के लिये वहां पर कुछ लाठी का प्रयोग भी करना पड़ा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह सच है कि मिल मालिकों ने इस योजना चालू करने के लिये यह कहा था कि उनके यहां बहुत माल जमा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैंने खुद ही कहा कि उनका ऐसा कहना था कि उनके यहां बहुत स्टाक जमा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो हड़ताल हुई उसका नोटिस बाकायदा दिया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे सूचना है बाजाब्ता नोटिस नहीं था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि मजदूरों के ऊपर वहां के मिलमालिकों की ओर से गर्म पानी छिड़का गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों के संघर्ष के सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी ठीक सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मजदूर पक्ष के लोगों ने अपने हस्ताक्षरों से कोई अनुमति दी थी और यदि नहीं, तो लेबर कमिश्नर ने उसे क्यों नहीं माना।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं समझा कि किस चीज को नहीं माना।

श्री अध्यक्ष—आप जरा प्रश्न को स्पष्ट कर दें।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—जब लेबर कमिश्नर ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फ़ैसला किया था तो क्या मजदूर पक्ष के लोगों ने अपने हस्ताक्षरों से अनुमति दी थी? और यदि नहीं, तो लेबर कमिश्नर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेबर कमिश्नर ने प्रमुख लोगों से ऐसा कहा था और कई कारणों से उचित नहीं समझा कि कागज पर दस्तखत कराये जायं लेकिन लेबर कमिश्नर को यह विश्वास जरूर है कि नयी योजना का विरोध नहीं करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब वह कानपुर गये थे तो उन्होंने कोई सुझाव रखा था और यदि रखा था तो उसको किसने मंजूर किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैं गया था और मैंने सुझाव रखा था, मिलमालिकों ने तो सूचना दे दी थी कि वह उन्हें मंजूर है लेकिन दूसरे पक्ष से स्वीकृति नहीं आई।

तारांकित प्रश्न

इटावा के नलकूप

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इटावा में बने Tube-wells ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं।

*२—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि बहुत से Tube-wells सूख गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस कारण से ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या इटावा से इस बात की कोई शिकायत आयी थी कि सिंचाई के लिये ट्यूबवेल्स ठीक तरह से पानी नहीं दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई सूचना तो मुझको याद पड़ती नहीं है।

बांधों के टूटने के कारण

*३—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९४७ से अब तक कौन कौन बांध बनने के बाद टूटे और प्रत्येक में क्या क्या हानियां हुईं ?

श्री राममूर्ति—सन् १९४७ से अब तक भिलाही, बेदर, राजखड़, खजूरी तथा अहरौरा नामक ५ बांधों में बनने के बाद खांदियां हुईं जिनमें क्रमशः १३,०००, १२,०००, ३५,०००, ३५,००० तथा ८०,००० रुपये की क्षति हुई।

*४—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन बन्दों के टूटने के क्या क्या कारण थे ?

श्री राममूर्ति—इनके टूटने का कारण प्रायः मिट्टी के बराबर न बैठने के फलस्वरूप दरारों का बन जाना होता है। इन दरारों में पानी घुस कर जब बाहर निकलने का मार्ग बना लेता है, खांदी हो जाती है। बहुधा ऐसी खांदियां होने की संभावना बांध बनने के बाद प्रथम वर्ष में ही होती है। वैसे तो मिट्टी के सभी बांधों में किसी भी समय टूटने का डर बना रहता है।

श्री श्रीचन्द—क्या सरकार की ओर से ठेकेदारों को यह आदेश नहीं है कि बारीक मिट्टी डाली जाय और साथ में मिट्टी की कुटाई भी होती रहे ?

श्री राममूर्ति—हमारे यहां जब मिट्टी डाली जाती है तो यह हिदायत होती है कि ऐसी लेयर डालें कि जिससे कनटेक्ट बनता चला जाय।

नोट—तारांकित प्रश्न १ व २ श्री भगवान सहाय ने पूछे।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बन्धों के टूटने में किन किन सरकारी कर्मचारियों का दोष पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—इसमें किसी के दोष का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मिट्टी बारीक डाली जाती है और यह तो नेचुरल होता है कि कभी कभी मिट्टी हट जाती है। इसमें किसी खास आदमी के दोष का सवाल नहीं पैदा होता है। अपनी जानिब में तो सभी सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूची बताई गई है बन्धों के टूटने की, वह सब मिर्जापुर जिले की है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह सभी मिर्जापुर जिले की है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि ये बन्धे मिर्जापुर जिले में ही क्यों टूटते हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—ऐसे बन्ध तो अमेरिका में भी बहुत टूट चुके हैं, केवल मिर्जापुर जिले में ही नहीं टूटते हैं।

*५—७—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थानान्तरित किये गये।]

लोहाघाट (अल्मोड़ा) के पुल के बहने से हानि

*८—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर सड़क में लोहाघाट में एक नया पुल जिसमें साठ हजार रुपया खर्च हुआ, बह गया ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)— जी नहीं, पुल नहीं बहा, केवल पुल का पाड़ टूट गया था तथा सीमेंट का काम, जिसको किये हुये केवल दो तीन दिन हुये हुए थे, गिर गया था। पुल के बनवाने में ३५,८३६ रुपया खर्च हुआ है।

*९—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—मई के महीने में इस क्षेत्र में इतनी अधिक ओला वृष्टि हुई कि नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। पहले अस्थायी (टेम्पोरेरी) पुल बहा और फिर पक्के पुल का छेद बन्द होने से तथा एकाएक पानी भरने और जोर से बहने के कारण इस पुल के पीछे की जमीन कटी तथा पाड़ टूट गया और दो तीन पहले किया हुआ सीमेंट का काम गिर गया। इससे दस हजार की क्षति हुई।

जिला अलीगढ़ के चालू नलकूप

*१०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जो ट्यूबवेल बने हैं उनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने चालू हालत में नहीं हैं ? जो ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहे हैं वे कब तक दुरुस्त हो सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—अलीगढ़ जिले में ३० जून, १९५३ तक बने हुये २९४ नलकूपों में से २५५ नलकूप चल रहे हैं। ९ नलकूप फेल हो चुके हैं तथा ३० में अभी बिजली नहीं लगी है।

जो नलकूप चालू हालत में नहीं हैं, आशा की जाती है कि वे दिसम्बर १९५३ के अन्त तक चलने लगेंगे।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये नौ नलकूप जो बेकार हो गये हैं इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—जब जमीन के अन्दर कोई स्ट्रैटा नहीं मिलता है तब वह बेकार हो जाते हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नये नलकूप बनाये गये हैं उनकी नालियां बिना बनी हुई छोड़ दी गई हैं?

श्री राममूर्ति—जो नलकूप नये बनते हैं तो क्रमशः उनकी नालियां बनती चली जाती हैं। पहले ६ फर्लांग तक वह कच्ची बनाई जाती हैं और फिर पक्की बनती हैं, तो इस तरह इसमें समय लगता है लेकिन नालियां छोड़ी नहीं जाती हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप टूटे हुए बतलाये हैं वह जिले के किन किन तहसीलों में हैं?

श्री राममूर्ति—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

*११-१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[अगले सप्ताह के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया जिले में घाघरा नदी के बांधों की मरम्मत

*१३—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के उत्तरी भाग में घाघरा नदी के पानी से फसलों को बचाने के लिए लोगों ने छोटे छोटे बांध पहले ही से बंधवा रखे हैं?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*१४—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इन बांधों की मरम्मत तथा इनमें सुधार कराने का विचार रखती है?

श्री राममूर्ति—इन बांधों का सर्वे (survey) कराया जा चुका है। इनमें से कुछ के मरम्मत व सुधार के तखमीने (estimates) मुख्य इंजीनियर के दफ्तर में बन चुके हैं और बाकी के बन रहे हैं। मुख्य इंजीनियर के पास से तखमीनों के आने पर सरकार बांधों की मरम्मत और सुधार की समस्या पर विचार करेगी।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि किन किन बांधों के एस्टिमेट अभी तैयार नहीं हो पाये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन बांधों का सर्वे किया गया है उनका एस्टिमेट मुख्य इंजीनियर के दफ्तर में तैयार है। उनका इंवेस्टिगेशन करके जब वे हमारे पास आयेंगे तब हम उन पर विचार करेंगे। यदि आप यह जानना चाहते हों कि कहां कहां बांधों का सर्वे किया गया है तो उनके नाम यह हैं—(१) श्रीनगर टोला छपरा, (२) टोला फरुखराय, (३) टोला फतेहराय।

*१५—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया।]

कुशीनगर की स्थिति

*१६—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुशीनगर देवरिया जिले के मध्य में हवाई अड्डा के निकट स्थित है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

कसया (जिला देवरिया) में मुन्सिफी की आवश्यकता

*१७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि कसया जिला देवरिया में मुन्सफी न होने के कारण हाटा तथा पड़रौना तहसील की जनता को छोटे छोटे मुकदमों के लिए देवरिया जाकर अधिक समय तथा रुपया खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या वहां मुन्सिफी खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। सरकार ने कसिया में हाटा और पडरौना तहसीलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली एक मुन्सिफी (Munsif court) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया था। चूंकि इन तहसीलों का अदालती काम इतना काफी नहीं है कि एक मुन्सिफ उसमें पूरे समय तक लगा रहे। इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दिया गया है।

विधान सभा व विधान परिषद् के सचिवालयों के पुनर्संगठन पर विचार

*१८—श्री भगवान सहाय—१८ सितम्बर, १९५२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नं० ३ का हवाला देते हुये क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा व विधान परिषद् के सचिवालयों के पुनर्संगठन के मसले पर सरकार किस निश्चय पर पहुंची?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची है।

*१९—श्री भगवान सहाय—यदि अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची है, तो इस देरी का क्या कारण है?

श्री सैयद अली जहीर—देरी का कारण यह है कि यह मामला काफी अहम और मुश्किल है और अभी विचार जारी है।

श्री भगवान सहाय— क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि १८ सितम्बर, १९५२ को सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी।

श्री अध्यक्ष—मैं इतने डिटेल में इजाजत नहीं दूंगा, इस प्रश्न के ऊपर।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि कुछ पोस्ट्स असेम्बली डिपार्टमेंट से बिला स्पीकर की इजाजत के खत्म कर दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि स्पीकर से और गवर्नमेंट से जितना सम्बन्ध है, उस विषय में स्पीकर अपनी जिम्मेदारी समझ करके और इस सदन की तरफ से जो उचित समझेगा वह कार्यवाही करेगा। आप रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में इत्तिला जानना चाहते हैं, इसलिये उसकी मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अंतरंग जितनी बातें हैं उनके पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि स्टाफ के कम होने से मेम्बरों को उनके जायज हुकूक में बहुत सी मुसीबतें होती हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी कोई शिकायत मेरे पास तो आई नहीं।

श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि इसी आशय का एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला पिछले साल इस सदन के अन्दर उठा था?

श्री सैयद अली जहीर—फिर से आप यह सवाल दोहरा दें।

(प्रश्न दोहराया नहीं गया।)

*२०-२१--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये।]

विंढमगंज-दुद्धी-जहरवार सड़क

*२२--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सच है कि निर्माण मंत्री सन् १९५२ ई० में जिला मिर्जापुर पधारे थे तो उन्होंने विंढमगंज-दुद्धी-जहरवार गांव सड़क को जो बिहार तथा विंध्य प्रदेश को मिलती है प्रदेशीय सड़क (Provincial Road) बनाने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--केवल दुद्धी से म्योरपुर हवाई अड्डे तक प्रान्तीय मार्ग बनाने के बारे में कहा गया था। उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप--क्या सरकार ने इसके निर्माण हेतु व्यय का तखमीना तैयार करवा लिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, करीब आठ लाख अड़सठ हजार रुपये का तखमीना इसका बनता है।

श्री रामस्वरूप--क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क के न बनने से पिछले दुर्भिक्ष में हवाई जहाज से गल्ला पहुंचाने में सरकार को २५ हजार रुपया खर्च करना पड़ा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। इसीलिये तो माननीय निर्माण मन्त्री ने लिखा था कि यह जरूरी सड़क है और इसके एस्टीमेट्स वगैरह तैयार करवाये जायं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि विंढमगंज से इस सड़क को शुरू न करने से इस सड़क का उतना लाभ नहीं होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--लाभ सभी जगह होगा, यों तो जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनवा दी जायं उतना ही लाभ होगा।

जिला बदायूं में सड़क निर्माण

*२३--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में फ़र्स्ट फ़ेज (first phase) में कौन-कौन सी सड़कें बनाने के लिये रक्खी गई और उन पर कितना कार्य हो गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला बदायूं में पहले फ़ेज में निर्माण के लिये रक्खी गई सड़कों तथा उन पर कार्य की प्रगति का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१४ पर)

श्री शिवराज सिंह यादव--फर्स्ट फ़ेज में सरकार ने २१ मील सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रान्सफर की हैं, क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रान्सफर करने की उनकी नीति क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसी सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि जो कच्ची सड़कें ली गयी थीं उन पर कुछ काम पहले ठीक कर के फिर वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गईं। पूरे गौर के साथ कैबिनट का यह फ़ैसला था और यह उचित समझा गया कि वे उन सड़कों का रख-रखाव ठीक तरह से कर सकेंगे।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट फ़ेज में सड़कों को रखने में क्या क्राइटेरिया देखा जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--फर्स्ट फ़ेज में जो क्राइटेरिया रखा गया वह यह कि जिन-जिन जिलों में सड़कें ज्यादा महत्व की हैं वे पहले ली जायं और जो इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको और ज्यादा महत्व दिया जाय। यह फ़ेज सन् ४६ से शुरू हो गया था और वह खत्म भी हो गया। अब वह चीज पंच-वर्षीय योजना में शामिल हो गई है और इसी के अनुसार यह काम हो रहा है।

शाहगंज-बिलवई रोड का निर्माण

*२४--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज तहसील जिला जौनपुर में सीमेंटेड सड़क बनी है उसमें कितना धन व्यय हुआ है और कितनी लम्बी सड़क बनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--शाहगंज तहसील में बिलवई रोड पर सीमेंट कंक्रीट हुआ है जिसमें ६०,००० रुपये का व्यय हुआ है। सीमेंट कंक्रीट १ १/२ मील पर हुआ है।

*२५--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार के पास पब्लिक की तरफ से कोई शिकायत आयी है कि सड़क का काम ठीक नहीं हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सीमेंट और कंक्रीट जो वहां खर्च किया गया उसके लिये टेन्डर मांगे गये थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वैसे तो इसमें सूचना की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर ठका हुआ होगा तो टेन्डर मांगे ही जाने चाहिये।

श्री बाबूनन्दन--जब सड़क बन कर तैयार हो गयी तो किस इंजीनियर ने उसे पास किया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। जिले के इंजीनियर कोई साहब होंगे।

*२६-२७--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[स्थगित किये गये।]

*२८-२९--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--[स्थगित किये गये।]

पटवारी के बाग़ (जिला बुलन्दशहर) की पुलिया की दुरवस्था

*३०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जी० टी० रोड दादरी, गाजियाबाद के बीच पटवारी के बाग (जिला बुलन्दशहर) पर ही पुलिया सन् १९५१, १९५२ तथा १९५३ में कितनी बार बनाई गई है?

श्री राममूर्ति--जी० टी० रोड पर दादरी और गाजियाबाद के बीच पटवारी के बाग के समीप सादुल्लापुर माइनर के साइफन की मरम्मत सन् १९५०-५१ में दो बार की गई थी। सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में इस साइफन की कोई मरम्मत नहीं की गई है।

*३१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस पर कितना कितना व्यय हुआ है और अब वह किस दशा में है?

श्री राममूर्ति--साइफन की मरम्मत के इस कार्य पर कुल १,६०५ रुपया व्यय हुआ है। जिस समय सादुल्लापुर रजबाहा चलता है उस समय कुछ पानी रिस कर सड़क पर आ जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बतावेगी कि मरम्मत होने पर भी आज तक यह पुलिया क्यों चूती है ?

श्री राममूर्ति--हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है और वह चूती है या टूट गई है तो फिर बनवा दी जायगी।

बस्ती जिले में कलवारी रोड के निर्माण की आवश्यकता

*३२--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के अन्तर्गत कलवारी रोड कब तक बन जायेगी और अब तक न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस सड़क पर सीमेंट कंक्रीट ट्रैक्स बिछाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि यह कार्य कब तक पूरा होगा क्योंकि यह उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है।

श्री शिव नारायण--क्या यह सही है कि आधी सड़क की मालिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है और आधे की मालिक पी० डबल्यू० डी० है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार आने वाले बजट में हमारी इस सड़क को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें चूंकि मिल का एरिया है तो उसका ट्रैक्ट है और इसकी कार्यवाही हो रही है और माननीय सदस्य को आशा रखनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसमें कुछ काम होगा।

एलम ग्राम (मुजफ्फरनगर) के नाले की सफ़ाई

*३३--श्री श्रीचन्द--क्या यह सही है कि एलम ग्राम (मुजफ़्फ़रनगर) के निकट नाले की सफाई गत तीन वर्षों से नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। एलम ड्रेन सन् १९५० में तथा इस वर्ष भी भली-भांति साफ़ की गई है।

*३४--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नाले की सफाई न होने के कारण एलम ग्राम में पानी भरने से मकानों को अत्यधिक हानि पहुच रही है ?

श्री राममूर्ति--एलम ग्राम का निरीक्षण ८ अगस्त, १९५३ को किया गया। इस ड्रेन के कारण एलम ग्राम के मकानों को इस साल कोई हानि नहीं पहुंची और न पिछले साल ही इस ड्रेन की सफ़ाई न होने के कारण मकानों को हानि पहुंचने के विषय में कोई शिकायत आई।

*३५--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार इस नाले पर एक पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। अगर ग्राम निवासियों की ओर से पुल बनवाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र आवेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नाले की सफाई सन् १९५१-५२ में क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति—इसकी जरूरत नहीं समझी गई।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पानी का रास्ता रुकने और मकानों को हानि पहुंचने पर ग्रामवासियों ने अनेक आवेदन पत्र जिलाधीश महोदय को भेजे ?

श्री राममूर्ति—हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

जिला आगरे में उटंगन नदी पर पुल

*३६—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरे में उटंगन नदी के पुल का बनना, जिसकी स्वीकृति सरकार द चुकी है, कब शुरू होगा ?

श्री गिरधारी लाल—सरकार इस कार्य को शीघ्र आरम्भ करने की आशा करती है।

आजमगढ़ जिले के किसानों को रहटों का वितरण

*३७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में ५० रहट मुफ्त और १०० रहट आधे मूल्य पर किसानों को देने के लिये दिये गये थे ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले में सिंचाई के हेतु किसानों को मुफ्त बांटने के लिये ५० रहट जिलाधीश को दिये गये थे और उनको यह अधिकार दिया गया था कि जहां कहीं वे उपयुक्त समझें आधी क़ीमत पर दूनी संख्या में रहट वितरण कर सकते थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री यह बतालाने की कृपा करेंगे कि जो रहट दिये गये हैं वह किन-किन तहसीलों में और कितनी संख्या में दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसीलों का तो पता नहीं है लेकिन ५९ किसानों को यह रहट आधी कीमत पर दिये गये।

नव्वापुर की घघीवा नदी पर पुल बनाने के लिये प्राप्त धन

*३८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन डेवलपमेंट काउन्सिल ऐरा, जिला खीरी से पचास हजार रुपया पी० डब्लू० डी० को नव्वापुर की घघीवा नदी पर पुल बनवाने के लिये प्राप्त हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केन डेवलपमेंट काउन्सिल, ऐरा से पी० डब्लू० डी० को पचास हजार रुपया ऐरा खमरिया पंडित सड़क के निर्माण के लिये प्राप्त हुआ था।

*३९—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या उस रुपये का उपयोग पी० डब्लू० डी० द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, उस रुपये का उपयोग पी० डब्लू० डी० द्वारा किया जा रहा है।

*४०—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार उस रुपये को केन डेवलपमेंट काउंसिल, ऐरा को फिर वापस दिये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रुपया सरकार को कब प्राप्त हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह रुपया १९५२ में प्राप्त हुआ था।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह रुपया इस शर्त पर दिया गया था कि एरतमरियापुर सड़क के निर्माण का शेष रुपया सरकार दे देगी ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले की यह बात तो नहीं है। अभी यह तय हुआ कि ५० हजार रुपया उन्होंने पहले दिया था और ५० हजार रुपया और दिया जिसमें से २५ हजार सोसाइटी ने और २५ हजार एक मिल मालिक ने। इस तरह से एक लाख रुपया आ गया है और यह तय हो गया है कि सड़क बनाई जाय और आज्ञा हो गई है काम शुरू कर दिया जाय।

*४१-४३—श्री पुलिन बिहारी बनर्जी (जिला लखनऊ)—[स्थगित किये गये।]

मुजफ्फर नगर जिले में सिक्का नाला पुल का टूटना

*४४—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर के लोअर डिवीजन में यारपुर रजबहे के सिक्का नाला पुल के टूटने से किसानों की रबी तथा खरीफ की १३६० फसली की फसलें समाप्त हो गयीं ?

श्री राममूर्ति—हां, यारपुर एक्वेडक्ट ११ और १२ फरवरी, १९५३ के बीच की रात को यकायक टूट गया । यद्यपि रजबहे को पानी पहुंचाने का अस्थाई प्रबन्ध तुरन्त किया गया और रजबहा १३ मार्च से चालू भी कर दिया गया, फिर भी इस बीच में रजबहे के बन्द रहने के कारण गेहूं, मेंथी, मटर और दूसरी चारे की फसलों को कुछ हानि अवश्य पहुंची। अतः गेहूं के खेतों पर आधी और दूसरे चारों के खेतों पर पूरी छूट दे दी गई।

*४५—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल के टूटने में सरकार की कितनी हानि हुई ?

श्री राममूर्ति—एक्वेडक्ट की मरम्मत में सरकार का १७,७०० रुपया व्यय हुआ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी ने इस टूटे हुये पुल को स्वयं भी देखा है।

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस पुल के टूटने के समय स्वयं ही उन्होंने जाकर देखा और तमाम बातों का निरीक्षण किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यारपुर का तो मुझे स्मरण नहीं है लेकिन एक ऐसा टूटा हुआ साइफन जब कि मैं मुजफ्फरनगर के दौरे में गया था तो देखा था जिसको कि लोग ढोलक कहा करते थे कि ढोलक टूट गयी । यदि माननीय सदस्य का उससे तात्पर्य है तो मैंने अवश्य देखा है ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस अवसर पर किन किन सरकारी कर्मचारियों का दोष पाया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी जांच सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर ने की और उनको यह मालूम हुआ कि एक तरफ का खम्भा जिस पर वह ढोलक रखी थी वह एक तरफ धंस जाने की वजह से टूट गया । किसी का दोष उसमें नहीं था ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग लगा कर कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते होंगे तो मैं इन्क्वायरी कर लूंगा ।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में नल कूप

१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जि में कब तक कितने नलकूप बन गये हैं और उनसे कितने कितने एकड़ की सिंचाई होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१.आजमगढ़ जिले में अभी कोई नलकूप नहीं बने हैं। २. नलकूप प्रयोगात्मक दृष्टि से खोदे गये थे जो अब चालू कर दिये गये हैं और उनसे ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ।

घोसी---मुहम्मदाबाद सड़क का निर्माण

२-श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बता सकते हैं कि घोसी से मुहम्मदाबाद जाने वाली सड़क का निर्माण कब से आरम्भ हुआ था और यह सड़क कब पूरी हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल---इस सड़क पर निर्माण कार्य सन् १९४६ में आरम्भ हुआ था तथा अब यह पूरा हो चुका है ।

श्री इश्तयाक़ आबदी की नजरबन्दी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव झारखंडे राय जी ने यहाँ पेश किया और व उसी सम्बन्ध में है जिस सम्बन्ध में अभी प्रश्न पूछे गये, आजमगढ़ के श्री इश्तयाक़ आबदी की नजरबन्दी से उत्पन्न पेचीदा परिस्थिति पर विचार करने के लिए । तो मैं इसको इतने महत्व का समझता हूं कि जिस पर काम रोको प्रस्ताव आ सकता है और न यह निश्चित ही है कि कौन सी पेचीदा परिस्थिति हो गई जिसके ऊपर विचार करना है । तो निश्चितता भी नहीं है और अर्जेंसी भी दिखायी नहीं देती कि जिसके कारण इसके ऊपर विचार के लिए मैं इजाजत दे दूं ।

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१६ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

*खंड ३ (क्रमागत)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने इस सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने बड़े ध्यानपूर्वक कल माननीय शिव नारायण जी की स्पीच को सुना और मुझे उनके भाषण से कल बड़ा उत्साह मिला और उससे मैं यह समझा कि माननीय शिव नारायण

* १४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है ।

जी ने जो उद्गार निकाले वे उनके हृदय के उद्गार थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि आज सरकारी नौकरियों पर, या और भी जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उसमें जब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो उनमें यह सबसे पहले ही देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन का आदमी होता है वह लिया जाता है। जब वही लोग ऊंची से ऊंची शिक्षा पा सकते हैं जिनके पास ऐसे साधन हैं और इस प्रकार से वही लोग ऐसी नौकरियों को भी पा सकते हैं और देहात में रहने वाले गरीब लोग जो अपनी आर्थिक हालत की वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते उनको उन नौकरियों का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए आज यह मौका है जब कि प्रांत में रहने वाले गरीब लोगों को भी यह सुविधा दे सकते हैं ताकि वे अपने घरों में ट्यूशन रख कर या और प्रकार से पढ़ कर डिग्री हासिल कर सकें। इससे हमारे प्रांत के लोगों को बड़ा फायदा होगा। जहां तक शिवनारायण जी का सवाल है पहले तो उन्होंने टीचर्स के मामले पर इसका समर्थन किया क्योंकि वे खुद टीचर हैं, उस तजवीज के मान लेने से उनका टीचर रहना जरूरी है लेकिन अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो वे अवश्य ही टीचरी से इस्तीफ़ा दे देंगे और उनको इस सदन के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा तथा प्रांत की जनता जिसको वे रिप्रेजेन्ट करते हैं, उसकी तकलीफों के बारे में भी अधिक समय उनको विचारने का मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त यह अवश्य है, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि अधिक शिक्षा होने से पढ़े लिखे लोगों की बेकारी ज्यादा हो जायगी और उससे अधिक गड़बड़ी फैल सकती है। लेकिन उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि यहां शहर में आकर जो यूनिवर्सिटीज में लड़के पढ़ते हैं वे डिग्री हासिल करने के बाद गांवों में जाना पसंद नहीं करते। अगर उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो भी वे लोग गांवों के बजाय शहरों में ही रहना पसन्द करते हैं। जब कि हमारे देश में बड़े रचनात्मक काम होने वाले हैं, गवर्नमेंट विकास के कामों में लगी हुई है तो ऐसे समय में गांवों के लोगों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो गांवों की उन्नति कैसे हो सकती है। इसलिए गांवों के लोगों को ऊंची से ऊंची डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाना चाहिये। अगर उनको मौका नहीं दिया जायगा तो गांवों के लोग छोटी नौकरियों से भी इंटरमिडियट आदि की कैद होती है, लाभ नहीं उठा सकते। आगरा यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बाहर के लोगों को प्राइवेट बैठने का मौका मिलता है। हां यह मैं मान सकता हूं कि गांव के रहने वालों के लिये कोई क्वालीफिकेशन मुकर्रर कर दी जाय कि वैसे ही लोग इम्तहान में बैठ सकेंगे। गांव के विद्यार्थियों को टीचर्स और इंसपेक्टिंग स्टाफ की तरफ से अवश्य ही सुविधा दी जानी चाहिये ताकि हमारे देश को ऐसे ग्रेजुएट मिल सकें जो गांवों में जाकर जनता की सेवा कर सकें और शहरों और दूसरे पैसे वालों की तरह उनको भी बड़ी बड़ी नौकरियों में हिस्सा मिल सके। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं यह सोचता था कि जब माननीय शिव नारायण जी अन्डर ग्रेजुएट होकर इतना बुद्धिमत्ता पूर्ण भाषण देसकते हैं वे यदि ग्रेजुएट हो जायेंगे तो फिर क्या बात है। इसलिए डिग्री का भी कुछ असर होता ही है और मैं यह सोचता था कि हमारे माननीय शिव नारायण जी तथा और भी बहुत से ऐसे भाई हैं जैसे माननीय गेंदा सिंह जी को बड़ी शिकायत थी कि इसका विरोध जो कर रहे हैं वे सब ग्रेजुएट हैं। यानी जो ग्रेजुएट लोग हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं और जो नान ग्रेजुएट हैं वे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदा सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैंने भी ला पास कर रखा है लेकिन जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं उसका बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं मैं चाहता हूं कि हमारे प्रांत के अन्दर हजारों नवयुवक ग्रेजुएट बनें। इसमें डरने की क्या बात है? आज शहर के विद्यार्थी डिग्री हासिल करने के बाद देहातों में जाने में हिचकिचाते हैं लेकिन जब गांवों के अन्दर एक केडर ग्रेजुएट का हो जायगा तो यही शहर के विद्यार्थी गांवों के अन्दर सर्विस करने के लिये सबसे पहले दौड़ेंगे क्योंकि बेकारी की समस्या हमारे प्रांत के अन्दर बहुत बड़ी है। जब कम्पटीशन होगा तो इन विद्यार्थियों को गांवों में जाने में कोई आपत्ति

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहीं होगी। जैसा कि माननीय शिव नारायण जी ने कहा कि एक स्टूडेन्ट फर्स्ट क्लास इंटर-मीडियेट पास था लेकिन पैसा न होने की वजह से आगे नहीं पढ़ सका। आज देहातों के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आई० सी० एस० सर्विस में हैं। आज देहातों के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो आई० ए० एस० सर्विस में हैं? आज देहातों के विद्यार्थी सर्विस में इसलिये नहीं हैं कि उनको आगे पढ़ने और डिग्री हासिल करने का मौका नहीं मिलता। यह बात तो बिलकुल निश्चित है और यही कारण है कि यह बिल हमारे सामने आया है। अगर देहात वालों को आप यह अपारचुनिटी दे दें इस बिल के जरिये कि वे प्राइवेट इम्तहान दे सकें तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम अवश्य होगा। आज कल जो बहुत से स्कूल कालेज खोले जाते हैं वे पैसे के लालच से ही खोले जाते हैं, कोई कहता है कि मेरे यहां लड़के ज्यादा हो जायं, कोई कहता है कि मेरे यहां ज्यादा लड़के हो जायं क्योंकि ज्यादा लड़के होने की वजह से उनको फीस ज्यादा मिलती है। अगर यह संशोधन पास हो गया तो इस तरह के स्कूल कालेज अवश्य बन्द हो जायेंगे लेकिन साथ ही साथ गांव के रहने वालों को इससे बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने इस सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—(जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने सोचा, बहुत विचार किया लेकिन मुझे उनके संशोधन में कोई दोष नहीं दिखायी पड़ा। शिक्षा कोई अफीम या शराब नहीं है कि उसके ऊपर कोई पाबन्दी डाली जाय। मैं समझता हूं कि शिक्षा के विकास के लिये, शिक्षा प्रसार के लिए जितना ही बड़ा साधन हो, उसे आप अंगीकार करें, जितना साधन उसके लिये हो उतना ही देश के लिये हितकर होगा, इससे देश का कोई अहित नहीं हो सकता। जो इसके विरुद्ध दलीलें दी गयी हैं कि इससे शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिर जायगा तो मैं समझता हूं कि अशिक्षित रहने के बजाय अगर शिक्षा का स्टैन्डर्ड कुछ गिर भी जाय तो मुझे उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपने स्त्रियों को यह छूट दे दी है कि वे प्राइवेट परीक्षा दे सकती हैं। स्त्रियों की संख्या आधी होती है और आधे मर्द होते हैं। साढ़े ६ करोड़ की आबादी में सवा ३ करोड़ को आपने आजादी दे दी है लेकिन जो सवा ३ करोड़ मर्द हैं उनको आपने आजादी नहीं दी है कि वे प्राइवेट तौर से परीक्षा में बैठ कर डिग्री हासिल कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे माननीय मंत्री जी को या सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? मर्दों से ऐसी कौन सी भड़क है कि उन्हें आजादी न दी जाय? मैं तो इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं। मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जिन कालेजेज में लड़के भर्ती के लिये आते हैं वह जगह न होने से लौट जाते हैं उन सबको अवसर मिले कि वे डिग्री हासिल कर सकें। बहुत से लड़के तो फीस न देने की वजह से कालेज में नहीं आते हैं। पैसे की कमी की वजह से वे लौट जाते हैं और बहुत से आने पर भी प्रवेश न पाकर फिर जाते हैं। तो उन सबको भी अवसर दीजिये कि वे अपने हौसले को पूरा करें, उनकी तरक्की और विकास का रास्ता अवरुद्ध न हो। आपने संशोधन में यह रखा है कि व्यक्तिगत रूप से जिसमें जो विकास के गुण हैं, उनके विकसित करने में कोई रुकावट पैदा नहीं की जायगी। तो यदि आप प्राइवेट तौर से ऐपियर होने की गुन्जाइश नहीं देते तो उनके विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं हो सकती है। यह सर्वथा देश के लिये कल्याण करने वाला संशोधन है। इससे शिक्षा विस्तार और प्रसार में सहायता पहुंचेगी। इससे कोई बाधा नहीं पहुंच सकती। बस मुझे केवल इतना ही कहना था।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर कल से काफी बहस हो चुकी है । मैंने बहुत प्रयत्न किया कि संशोधन की खूबियों को देखूं अगर इसका समर्थन कर सकूं तो अच्छा है लेकिन इसको सुनने के बाद कि शिक्षा में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, इससे कौन इंकार करता है कि शक्षा पर प्रतिबन्ध न हो, शिक्षा अधिक हो लेकिन यदि शिक्षा का परिणाम यह होकि मनुष्य का सच्चा विकास हो सके जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र मजबूत हो। अगर हम इस कसौटी के ऊपर इस संशोधन में छिपे हुए भावों को कसते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि मैं उस पर इससे सफल नहीं हो पाता हूं। क्या आज हमारी यह मंशा होगी कि शिक्षा का अर्थ केवल बी० ए०, एम० ए० या किसी प्रकार की डिग्रियों को ले लें और यदि डिग्रियों का ले लेना ही शिक्षा का अर्थ हो जाय तो फिर योग्यता की कोई गुंजाइश कहीं बाकी नहीं रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब आज इस देश के विद्वान् इस बात को सोचने में लगे हुए हैं कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली कुछ इतनी गलत सी है कि जिससे निकले हुये नवजवान आज न तो समाज को स्वस्थ बन पाते हैं, न राष्ट्र को मजबूत कर पा रहे हैं तो इस दरवाजे को केवल इस भावना के आधार पर खोला जाय कि गाँवों में भी लोग इस प्रकार के इम्तहान दे कर अपनी डिग्रियों को हासिल कर सकें, यह उचित नहीं है । मैं उपाध्याय जी के इस तर्क को नहीं समझ पाया कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो गाँव के तमाम लोगों को परीक्षाओं में बैठने का मौका मिल जायगा और सरकारी पदों पर गाँव के लोग भी आ सकेंगे। आँकड़े तो मैं ठीक ठीक नहीं दे सकता लकिन जहाँ तक मुझे मालूम है आज जितने भी सरकारी पद हैं उनमें गाँव वालों की संख्या बहुत काफी है। केवल शहरों का नाम लेना कि वे ही नौकरियों में हैं यह गलत सी बात है यह बात अपनी जगह पर सही है और किसी को भी इस बात को मानने से इंकार नहीं करना चाहिये कि जो लड़का योग्य हो और जिसमें इस बात का गुण हो कि आगे चल कर वह अच्छा निकल सकता है उसकी पढ़ाई में रोक नहीं होनी चाहिये । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज की मौजूदा सरकार हर एक कालेज और यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा स्कालरशिप के जरिये, किताबों के जरिये और फीस के जरिये सहायता दे कर उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है। मैं तो उन आदमियों में से हूं जो सोचते हैं कि जो फर्स्ट क्लास विद्यार्थी हों उनका खर्चा राज्य को अपने ऊपर उठाना चाहिये और आगे जाने में सहायता करनी चाहिये । यही नहीं, मैं तो इसके आगे भी सोचता कि यूनिवर्सिटियों और कालेजेज का इतना खर्च बढ़ा देना चाहिये कि अगर पैसे वाले भी चाहें तो भी उनके थर्ड क्लास स्टूडेण्ट्स वहाँ न पढ़ सकें। तो आज जब इस तरह की विचारधारा देश में चल रही है क्या यह जरूरी है कि जितना भी हो चाहे जैसे हो किसी प्रकार से उनको डिग्रियां दिलवा दी जायं। इससे न समाज स्वस्थ बनेगा, न राष्ट्र मजबूत होगा और न इस प्रकार से कोई लाभ ही होगा ।

मैं एक बात और नहीं समझ पाया कि क्या मनुष्य के विकास के लिये डिग्री का लेना ही जरूरी है । क्या और काम नहीं है जिन्हें सीखने के बाद मनुष्य का विकास हो सके। जहाँ तक इस आगरा यूनिवर्सिटी बिल के इस संशोधन का सम्बन्ध है उसमें तो जैसा मेरे साथी राधामोहन सिंह जी ने कहा था कि जहाँ तक साइन्स का सम्बन्ध है, विज्ञान की बात है वह तो जब तक प्रैक्टिकल क्लासेज ज्वाइन नहीं करेंगे कोई इम्तिहान में नहीं बैठ सकेगा । तो यह छूट आर्ट के लिए हो । आर्ट के हो जाने के बाद फिर इस प्रकार की डिग्रियों की भरमार हो जायगी । भरमार हो जाने के बाद शिक्षा का स्तर बहुत नीचे पहुंच जायेगा । जिस देश में विद्वत्ता का स्तर नीचे पहुंच जाता है फिर उस देश में कोई बड़ा काम नहीं हो पाता । इसलिए आज भावना में आकर ऐसे संशोधन का समर्थन नहीं करना है। मैं जोरदार शब्दों में श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध करता हूं और आपके द्वारा उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि रेवोल्यूशन के खात्मे की आवाज उठाना तो बहुत आसान होता है लेकिन वह रफ्तार इतनी तेज न हो कि जाकर कहीं खंदक में गिरना पड़े। हम तेजी से कदम उठाना चाहते

[श्री रामनरेश शुक्ल]

हैं लेकिन सोच समझकर उठाना चाहते हैं। बिला समझे कोई कदम उठाना गलत होता है। ऐसा कदम उठाने वाला खुद गिरता है और समाज को भी गिराता है। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य होता है जब कि मैं यह सुनता हूं कि बहुत से लोग जो भारतवर्ष के निवासी हैं, वे यह फरमाते हैं कि इन डिग्रियों से क्या लाभ है। प्रातः से लेकर सन्ध्या समय तक अगर हम अपने यहां लोगों को देखते हैं तो उनमें ज्यादातर आदमी क्वालिफिकेशन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कल एक माननीय सदस्य ने अपनी दौराने तक़रीर में यह फरमाया कि इस संशोधन के बारे में उनको आपत्ति है। श्रीमान्, मैं यह तसलीम करता हूं और मानता हूं कि आजकल प्रत्येक सरकार के लिये यह उचित है कि वह औरतों और बच्चों के लिये कुछ भेद भाव करे। कुछ विशेषाधिकार संविधान में दिये जाते हैं। इसके मायने यह नहीं हुआ करते कि उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जाय। मैं इसको दुरुपयोग नहीं कर सकता हूं क्योंकि जहां तक औरतों और बच्चों का प्रश्न है उनके लिये कुछ कन्सेशन होना जरूरी है और उनके लिये अगर इसका प्रयोग किया जाय तो कुछ बेजा बात नहीं परन्तु यहां पर कोई कारण नहीं है कि जिसके लिये वे ऐसा करें। मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस अधिकार के प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर करें और सोचें। डिस्क्रिमिनेशन की वहां पर जरूरत होती है जहां पर कि उसकी आवश्यकता हो और उसके बग़ैर काम नहीं चल सकता हो।

यहां पर शहर और देहात का प्रश्न भी उठाया गया और शिक्षा के स्तर का नीचा होने का प्रश्न भी उठाया गया परन्तु यहां शिक्षा का स्तर इस तरह से कभी गिर नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है। शहरों के बच्चों को कुछ इस प्रकार की तालीम मिल जाती है जिसके ऊपर हमारी सरकार को आपत्ति होती है और उसको लाठी चार्ज और गोली चलाना पड़ता है। कम से कम यह देहात के बच्चे एक कोने में तो पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के हाथ मजबूत हो जाते हैं। कम से कम किसी घर में जवान बहिन है या बुढ़िया मां है तो उसके सामने पारिवारिक असुविधा उपस्थित हो जाती है या ऐसे अनेकानेक कारण हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में, जिसकी वजह से देहातियों के लिये यह सुअवसर प्राप्त नहीं होता कि वे लखनऊ या इलाहाबाद जाकर पढ़ सकें। मैं इन सब बातों को देखते हुए इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं आप के द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह एक निर्दोष संशोधन है और उन्हें इसको मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कोई भी इम्तहान इस बात का एक सबूत होता है कि अमुक आदमी ने बौद्धिक विकास में इतनी उन्नति कर ली है और वह उसका एक तरह का नापने का पैमाना होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में तरक्की हो और समाज के हर आदमी को इस बात का मौक़ा हो कि वह केवल अपना बौद्धिक विकास ही न कर सके बल्कि उसकी मान्यता भी प्राप्त कर सके तो वह एक जायज बात है। हम में से किसको नहीं मालूम कि प्राइवेट कंडीडेट्स को कितनी बेईमानियां करनी पड़ती हैं, बहुत से प्राइवेट इम्तहान देने वाले लोग फ़र्ज़ी नाम टीचर्स में लिखाते हैं और इस तरह के जराये निकालते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नाम लिखा लेते हैं और प्राक्सी करते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते हैं। ये सब बेईमानियां इसीलिये की जाती हैं कि उन के सामने कोई जायज तरीक़ा डिग्री प्राप्त करने का नहीं है। अगर हमें समाज में ईमानदारी

के तरीक़े रायज करने हैं, समाज के हर आदमी को मौक़ा देना है कि वह ईमानदारी से बौद्धिक विकास कर सके और उसको मान्यता भी प्राप्त कर सके तो हमें ऐसे कानून बनाने चाहिये कि जिससे समाज में लोग ईमानदार रह सकें। इस संशोधन को न मानने से यह बात लाज़मी है कि ये बेईमानियां बराबर चलेंगी और रुकेंगी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि समाज में तरक्की हो और हर शख्स को जो आज सीढ़ी के नीचे के डंडे से चढ़ता है और वह इस बात का इच्छुक है कि ऊपरी डंडे तक चढ़ सकें तो हमें सब को तरक्क़ी करने के साधन देने चाहिये। आज हमें इस बात को मानने से कोई इन्कार नहीं है कि समाज शिक्षित उसी को मानता है जिसके पास कोई डिग्री है। यह तो बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आकर मालूम होता है कि हिमाचल प्रदेश कोरिया में है या हिन्दुस्तान में। वैसे तो हम डिग्री से ही मानते हैं कि कोई कहां तक शिक्षित है और कोई पैमाना उसे नापने का नहीं है। समाज का तो नियम यह है कि जो ज्यादा इनकमटैक्स देता है वह कम इनकमटैक्स देने वाले से ईमानदार माना जाता है। ऐसी थोड़ी सी समाज की गल्तियां चली आती हैं जिनको हमें कानून बनाते समय गौर से देखना है और सोच समझ कर ठीक करना है।

मैंने लोगों का विरोध यह सुना कि प्राइवेट परीक्षा को एनकरेज करने से शिक्षा का स्तर गिर जायगा, लेकिन इस तर्क में कोई दलील समझ में नहीं आई कि शिक्षा के स्तर को गिरने या उठने के लिये प्राइवेट इम्तहान देने से या किसी कालेज के मार्फत इम्तहान देने से क्या फर्क पड़ता है? वह स्तर हम एक जगह पर रख सकते हैं। इम्तहानों के अन्दर एक अमुक नाप रख करके कि इस हिसाब से हम कापियों को जांचेंगे और जांचते वक्त जो इस लेवेल तक नहीं हैं, जिनका बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ है, उसको हम नम्बर नहीं देंगे। इस दलील में श्रीमन्, मुझे वजन नहीं मालूम होता है। इसके अलावा जिन आदमियोंने विरोध किया है इस संशोधन का मैं उनसे श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह यही चाहते हैं कि आज जो इस असेम्बली डिपार्टमेंट के अन्दर एक आदमी चपरासी की जगह पर काम करना शुरू करता है वह जिन्दगी भर चपरासी की जगह पर ही रहे, या उस चपरासी को यह मौक़ा देना चाहते हैं कि वह अपना बौद्धिक विकास करके और अपने उस बौद्धिक विकास की मान्यता प्राप्त कर के ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंच सके और वह १० वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष में इस असेम्बली डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन सके। यदि आज हम चाहते हैं कि जो गिरी हुई स्थिति में हैं, उनको मौक़ा देना चाहिये ताकि वह अपनी मेहनत से ऊंचा पद प्राप्त कर सकें तो यह बात आवश्यक है कि हम उनको भी मौक़ा दें। यह भी तय है कि आज हमारे राज्य के जो भी रिसोर्सेज हैं वे हमको इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि हम उन्हें कालेजेज में नहीं भेज सकते, हम नये इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते, और जब हम नये इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते तो फिर हमारे सामने और कोई तरीक़ा उनका इस तरह आगे बढ़ाने का नहीं है सिवाय इसके कि वह प्राइवेट इम्तहान दे सकें। मैं इस बात को मानता हूं कि साइंस और टेक्निकल सबजेक्ट्समें इन्सान बिना कालेज के अन्दर अध्ययन किये हुए, बिना प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त किये हुए, बिना एक डिमांस्ट्रेटर द्वारा कुछ बातें सीखे हुए उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे विषय के लिये हम उन पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं या यह हो सकता है कि ऐसे विषय पढ़ाने के लिये हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारे कालेजेज जहां भी हों वहां पर आफ टाइम में उनको लेबोटेरीज का या ऐसी चीजों के जानने का कुछ मौक़ा दिया जाय।

श्रीमन्, बहुत से इसके ऊपर डाकूमेन्ट्स पढ़े गये और बहुत से बाहर के लिटरेचर पेश किये गये, लेकिन मैं भी आप के द्वारा इस सदन के सामने अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि लंदन यूनिवर्सिटी इंग्लैण्ड की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसकी डिग्रियां कोई सस्ती डिग्रियां नहीं कहलातीं बल्कि उसकी डिग्रियों की बहुत काफी वक़अत है। लंदन यूनिवर्सिटी का इम्तहान पास किये हुए आदमी को हम ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आज हिन्दुस्तान से भी लन्दन यूनिवर्सिटी के इम्तहान प्राइवेट पास कर सकते हैं। इस तरीके से श्रीमन् मुझे मालूम है कि जर्मनी में भी पहले यह कायदा था कि बहुत सी डिग्रियां हम प्राइवेटली

[श्री भगवान सहाय]

इम्तहान दे कर प्राप्त कर सकते थे । तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों न हम उन्हीं चीजों का यहां पर भी मौक़ा दें कि जिससे हमारा समाज सभी तरक्की कर सके । इन शब्दों के साथ में पुनः श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और उनको इस क्रान्तिकारी क़दम के लिये बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने माननीय मंत्री जी से और सरकार से अपील करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर के अपने देश की उस जनता का उद्धार करें जो कि यूनिवर्सिटी कालेज में शिक्षा पाने से असमर्थ है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं क्लोजर मूव करता हूं । इस पर काफी वादविवाद हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष---मैं श्री रामदास जी को बुला चुका हूं । उनके बोल लेने के बाद आप मूव कर सकते हैं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से नम्र-निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके सर्वसाधारण के हित में क़दम उठायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पक्ष और विपक्ष में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, किन्तु यह सबने माना कि शिक्षा प्रसार करना हमारा परम उद्देश्य है और इसमें कमी नहीं होनी चाहिये । हम सभी मानते हैं और इनकार नहीं करेंगे इस बात से कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में हमारी जनता देहातों में अधिक रहती है और उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बहुत कम है । इस ग़रीबी की दशा में ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है । आज हमारे देश में ग़रीब किसान, मज़दूर और सूचित और अनुसूचित जातियां बसती हैं । हमारे संविधान में इसकी काफी गुंजायश है कि इन अनुसूचित और सूचित जातियों को शिक्षा देने में कोई भेद भाव न किया जाय । जब हमारे संविधान में ऐसी गुंजायश है तो हम कैसे कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकते हैं कि जिससे लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह जांय । आज इस ग़रीबी में ऐसी दशा हो रही है कि हम अपने लड़कों को स्कूल और कालेजेज में दाखिल करा कर के शिक्षा नहीं दे सकते हैं । इसलिये उनको शिक्षा पाने का ऐसा अवसर मिलना चाहिये जिससे वे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकें । माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने विचार प्रकट करते हुए एक बात यह बतलायी थी कि जो लड़के यूनिवर्सिटी में दाखिल हो करके शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका स्तर ऊंचा रहेगा और जो प्राइवेट तरीक़े पर शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका स्तर नीचा रहेगा । मैं इसको इसलिये मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जब उनकी परीक्षा का मिआर एक होगा तब फिर कोई दिक़्क़त की बात पैदा नहीं होती । जहां तक अनुभव की बात है वह अपनी जिन्दगी में भी अनुभव करता है और वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर के उसी स्तर तक पहुंच जायगा । एक दूसरी बात नवल किशोर जी की तरफ से आई थी कि जो प्राइवेट शिक्षा पाने वालों की परीक्षा का प्रबंध किया जा रहा है उसमें सरकार पर्याप्त क़दम उठा रही है, मैं समझता हूं कि सरकार इसमें भी पर्याप्त क़दम उठायेगी और उन लोगों को जो हमारे ग़रीब भाई शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और जो अपने स्कूलों में रह कर के ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें मौक़ा मिलेगा । हमारी बुनियादी तालीम जो बेसिक तालीम कहलाती है, उसका आधार यही है कि हम छोटे-छोटे कार्य कर के अपनी शिक्षा की प्राप्ति के ऐसे साधन पैदा करें जिससे हमारी आर्थिक दशा सुधरे । आज वालदैन अपने बच्चों से यह चाहते हैं कि उनके घर के काम में उनसे कुछ मदद मिले । इसलिये यह आवश्यक है कि बच्चों को और कार्य करते हुए ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का और अपने मस्तिष्क के विकास करने का मौक़ा मिले । इसलिये यदि यह संशोधन मंजूर कर लिया गया तो इसमें हमारी उदारता होगी और इससे सर्व साधारण को मौक़ा मिलेगा अपने मस्तिष्क के विकास का और उन्नति करने का । इन शब्दों के साथ मैं और न कहते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन पर पुनः विचार करें ।

श्री राम लखन मिश्र--मैं अब क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो मेरा प्रस्ताव है उसमें मैंने जो विचार रखा था और उसके पश्चात् अपने मित्रों की ओर से मैंने जो विचार सुने उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक बात यह बतलाई गई कि यदि प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षा देने की आज्ञा दे दी गई तो सभ्यता हमारे देश से लुप्त हो जायेगी अर्थात् इस प्रकार से जो डिग्री प्राप्त करेंगे वे असभ्य होंगे और उनके अन्दर सभ्यता नहीं आयेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में इस प्रकार से परीक्षा देने की आज्ञा दे दी जाय तो यह कदाचित् नहीं हो सकता कि उससे सभ्यता लुप्त हो जाय या यह कि वे सभ्य न हों। मैं तो यह समझता हूं कि आज कल की डिग्री पाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी बनिस्बत उन लोगों में अधिक सभ्यता है जो कि अनपढ़ हैं, चाहे वे शहर के हों या देहात के हों। ऐसी सभ्यता को मैं बनावटी समझता हूं और यह सभ्यता नहीं है। वास्तव में सभ्यता उन्हीं के अन्दर है जो कि वास्तविकता और सच्चाई सामने रखते हैं। आपने देखा होगा कि उन सज्जनों को जिनको देहात में घूमने का अवसर मिला होगा उन्होंने देखा होगा कि वहां जो वास्तविक बातें हैं, जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं वह कितना सराहनीय है। यदि वे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो सभ्यता उनके अन्दर और भी बढ़ेगी।

दूसरी बात स्टैंडर्ड (स्तर) के बारे में कही गई कि जितनी अधिक संख्या में लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका उतना ही स्टैंडर्ड गिरेगा। हां, एक बात अवश्य है कि मुट्ठी भर आदमी कदाचित इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि किसानों को पढ़ा लिखा कर उनके बराबर पहुंचाया जाय। वास्तविक बात यह है कि हमारे देश के अन्दर उनके उद्धार की ओर चेष्टा नहीं होती। अगर यह चेष्टा होती तो मैं समझता हूं कि जितने दूसरे देशों में विश्व-विद्यालय हैं उन्होंने प्राइवेट परीक्षा देने की अनुमति दे रखी है वैसी व्यवस्था यहां पर भी की जाय तो श्रेष्ठ है। यदि ऐसी बात है तो मैं यहां पर कोई ऐसा कारण नहीं समझता कि जिससे कुछ हानि हो। इसके पश्चात् मैं अपने भाइयों से यह निवेदन कर दूं कि नागपुर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट तरीके से लड़के परीक्षा देते हैं। वहां दूसरे प्रांत के लोग भी परीक्षा देने के लिये जाते हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिर गया या वहां सभ्यता कम हो गई? मेरे कुछ भाइयों ने यह कहा कि स्त्रियों से ईर्षा है। मैं समझता हूं कि यह नहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ (१) में यह लिखा है:--

'The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, Sex, place of birth or any of them".

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा"। मेरा तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को भी मर्दों के बराबर अधिकार हों जैसा हमारे संविधान में दिया गया है। इसके पश्चात् एक बात मैं और अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हरिजन या मजदूर जाति वाले जो लोग हैं उनकी सहायता तो सरकार ने फीस अथवा किताबों द्वारा की है परन्तु उनकी जो वास्तविक आजादी है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तविक सहायता तो यह होगी कि आप बोर्डिंग हाउस का खर्चा दें जब कि खाने पीने का व्यय ५०-६० रुपये मासिक से कम नहीं है। यदि एक विद्यार्थी अपने घर पढ़ कर परीक्षा दे तो वह आसानी से और सस्ते में उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। मैं महसूस करता हूं हमारी सरकार ने फीस की सहायता तो दी है परन्तु वह भी पर्याप्त नहीं है। वह उसी समय तक ठीक है जब तक लड़का अपने घर पर ही रहता था और स्थानीय संस्था में पढ़ता था। एक, दो उदाहरण मेरे पास हैं। हमारे गांव में एक हरिजन लड़का था जो हाई स्कूल, इंटर में

[श्री श्रीचन्द]

फ़र्स्ट था लेकिन चूंकि उसके पास बाहर जा कर पढ़ने के लिये पैसा नहीं था वह आगे नहीं पढ़ सका। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा होनहार हरिजन बच्चा खर्चा न होने से न पढ़ सका और इस तरह से इन लोगों की उन्नति का रास्ता बन्द हो जाता है। यदि प्राइवेट परीक्षा देने का अवसर सर्वसाधारण जनता को मिले तो जो लाल और जवाहर हमारे छिपे हुए हैं वे निकल कर बाहर आ जावें और वे दबे न पड़े रह कर हमारे देश की उन्नति का साधन बनें। यह संशोधन यदि नहीं माना जाता है तो उन लोगों पर अन्याय होगा जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के पास या मजदूर किसानों के पास किसी प्रकार के साधन नहीं हैं।

हमारे एक दोस्त ने यह भी बतलाया कि इतनी तेज क्रान्ति हमारे देश के लिये घातक होगी। मैं उनको आगाह करता हूं कि ७वां वर्ष हमारी आजादी का यहां चल रहा है और इस प्रश्न पर हमने आज विचार शुरू किया है और अब भी इसे अत्यन्त क्रान्तिकारी आन्दोलन समझा जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर मैं नहीं समझ पाता कि कब जा कर इस पर गम्भीरता-पूर्ण विचार होगा। आर्टीकिल ४६ में भी यह बतलाया गया है कि:—

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all sorts of exploitation."

इसका हिन्दी अर्थ यह है "राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा"। फिर यह सोचिये कि जब हमारे संविधान में इस तरह का आदेश है तो क्यों इसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाय? मैं, अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्री से फिर सानुरोध कह दूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें और यदि नहीं करते हैं तो किसी प्रकार से यह समझाने की कृपा करें कि किसी तरह से भी मजदूर किसानों को, चाहे वे शहरी हों, या गांव के हों, यह अवसर होगा कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या यह सुविधा उनको कैसे प्राप्त हो सकती है अथवा उनको कोई भी ऐसी सुविधा न दे कर वे अवसर ही न पा सकें या वह ऐसे ही रखे जायंगे और चन्द मुट्ठी भर शोषक ही डिग्री प्राप्त करने वाले होंगे। मैं समझता हूं कि जब तक इस पर पूर्णतया विचार नहीं होगा तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं होगा। किसी प्रकार से भी यह बात ग्रामीण जनता या मजदूर जनता से छिपी नहीं है। कोई गांव हो या शहर हो जो इसको न चाहता हो। मैं तो देहातों में ही घूमता हूं और सब बातें देखता हूं। सब ओर से यही आवाज आती है कि परीक्षा के साधन न मिलने के कारण हमें अपना ध्येय छोड़ना पड़ता है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मित्रों और मंत्री महोदय से सानुरोध कहना चाहता हूं कि वर्तमान में ही इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय और ध्यान से देखा जाय और जनता की आवाज पर चला जाय। यदि हम स्वयं अपने ही विचारों पर चलेंगे तो जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि हम यहां बैठ कर जनता के हित के लिये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम जनता के विचारों को पहचान कर कि किस ओर जनता जा रही है उसकी सुविधा के लिये कार्य करें और इस प्रकार से हम चलें तो हमारा उद्धार होगा, अपने देश का कल्याण होगा क्योंकि जनता जो हमारी तरफ आशा की दृष्टि से ताक लगाये बैठी है, उसका हमें कल्याण करना है। हमारा प्रदेश आज लखनऊ की तरफ देख रहा है, उन्नति का यही एक मार्ग होगा। जय हिन्द।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमान्, इस संशोधन पर मैं कल ही अपना विचार व्यक्त कर चुका हूं और इसके बाद भी भवन में आवेशपूर्ण और भावुक उक्तियां रखी गयीं, उनसे भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैं अब भी नहीं समझता हूं और मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने विचारों को बदलूं। यदि इस संशोधन में मैं यह

देखता हूं कि इससे शिक्षा का प्रसार होगा, अधिक से अधिक संख्या में देश के नवयुवक आगे आने वाले कार्यक्रम के लिये तैयार होंगे और इससे हमारा राष्ट्र एक पग भी आगे बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संशोधन को मान लेने में तनिक भी संकोच न करता, लेकिन मैं उल्टे यह समझता हूं कि आज दुनियां में जो संघर्ष चल रहा है हम अपनी कमजोरियों को देखते हुए इस संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसका उसके लिये खोया हुआ धन ढूंढ निकालना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने स्तर को ऊंचा करें। आखिर शिक्षा का अभिप्राय क्या है, हम क्यों शिक्षा देते हैं, सरकार क्यों अपना कर्तव्य समझती है कि जनता को शिक्षित बनाया जाय? मैं समझता हूं कि इसका एक मात्र अभिप्राय यही होता है कि हम अच्छे और सुयोग्य नागरिक बनायें। यदि शिक्षा का यह अभिप्राय पूरा नहीं होता है तो उस शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कहेंगे। हम भले ही उसको एक दूसरी संज्ञा साक्षरता की दे सकते हैं।

आज हम सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है। हमें इस शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिये। हमारी आवश्यकताएं इस शिक्षा प्रणाली से पूरी नहीं होती, इस शिक्षा प्रणाली से हमारे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होती। वे कौन सी आवश्यकताएं हैं, क्या कारण है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को दूषित कहते हैं? एक तो यह जैसा कि मैंने कहा कि हमारा समाज और हमारा ही समाज नहीं बल्कि दुनियां भर का सम्पूर्ण समाज शिक्षा से आशा रखता है कि वह अच्छे उत्पादक पैदा करेगी। हमारी शिक्षा प्रणाली यदि उस कसौटी पर कसी जाय तो मैं समझता हूं कि उत्पादक नहीं बल्कि उत्पादकों को वे उत्पादक बनाती हैं। यही हमारी शिक्षा की सब से बड़ी कमी है। तो एक तरफ तो यह और दूसरी तरफ इसका स्तर कितना नीचा होता जा रहा है यह आप स्वयं समझिये। हम किसी समय अपने विश्वविद्यालयों पर गर्व कर सकते थे, दुनिया में कहते थे कि हम जो शिक्षा देते हैं वह दुनियां के किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। लेकिन आज आपने देखा होगा थोड़े ही दिन हुए कि हमारे प्रधान मंत्री ने आस्ट्रेलिया की एक युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। आस्ट्रेलिया कोई इतना ऊंचा देश नहीं, कोई इतना बड़ा देश नहीं, उसका इतिहास हमसे कोई बहुत पुराना नहीं और वह हमसे यह कहे कि हिन्दुस्तान से आये हुए विद्यार्थी हमारे स्तर को नीचा करते हैं। जब हमारे विश्व-विद्यालयों में वे आते हैं तो हमारा स्तर नीचा होता है। हम चाहते हैं कि आप अपने विश्व-विद्यालयों में इस बात का प्रबन्ध करें कि वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा हो वर्ना हमें मजबूर हो कर यह कहना पड़ेगा कि भारत के विद्यार्थी हमारे इस विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं हो सकते। यह हमारे लिये, देश के लिये सब के लिये एक लज्जा की बात है। तो हमारे समाज की आवश्यकता इस समय क्या है? क्या आप यह समझते हैं कि आपका समाज एक पग भी आगे बढ़ सकेगा यदि आप अधपके अशिक्षित व्यक्तियों को, अशिक्षित मैं कहता हूं जान-बूझ कर, सबको हम एक डिग्री दे दें। किसी ने यह कहा कि अनुसूचित जातियों को अवसर नहीं मिलता, गरीब आदमियों को अवसर नहीं मिलता, गांव में रहने वाले लोगों को अवसर नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि हमारी इस समय जो समस्या है, हर यूनिवर्सिटी जो भी हैं वे यह चिल्ला रही हैं कि हमारे यहां विद्यार्थियों की संख्या कम की जाय। यदि यह संशोधन जो रखा गया है जिसमें गांव की पुकार उठायी गयी है, पिछड़े लोगों की पुकार उठायी गयी है, गरीब लोगों की पुकार उठायी गयी है, इसको किसी ने जरूरत समझी होती तो कोई कारण इस बात का नहीं था कि अब तक आप किसी शिक्षा विशेषज्ञ की यह राय नहीं दे सकते कि जिसने यह कहा होता कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों की ऊंची परीक्षा में प्राइवेट बैठने की अनुमति दी जाय। आज जितनी रिपोर्टें हैं, जितनी जांच कमेटियां हैं, सबने एक स्वर से इस बात को नहीं माना है, बल्कि इसका विरोध किया है। तो मैं समझता हूं कि हमें यह मान लेना चाहिये कि उन्होंने केवल एक ही नीयत से, केवल एक ही दृष्टि से और वह यह कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये ही इस बात को नहीं माना है। इन गर्मियों में भी जो परीक्षा हुई उसके बारे में मैं यह तनिक भी कहने में नहीं हिचकिचाता

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कि उस परीक्षा में जितनी कमजोरी और बेईमानी हुई वह ज्यादातर इन प्राइवेट केन्डीडेट्स के कारण ही हुई क्योंकि वे ही ज्यादातर इस बात की कोशिश करते हैं। कल भी एक साहब ने कहा और आज भी श्री भगवान सहाय ने कहा कि जब परीक्षा एक ही होती तो किस प्रकार से प्राइवेट कण्डीडेट्स के कारण परीक्षा का स्तर नीचा हो सकता है। मैं यह थोड़े से में ही समझा देना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेजेज हैं जिनमें बहुत से अच्छे अच्छे कालेजेज भी हैं और खराब कालेजेज भी हैं। उन अच्छे कालेजेज का कहना यह था कि हम लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों का मुकाबिला कर सकते हैं तो भी हमारे लिए वही नियम लागू होते हैं जो कि दूसरों के लिये होते हैं, और इस कारण से हमारी शिक्षा का स्तर नीचा होता जा रहा है। उन्हीं के लिये इस बिल में ओटोनोमस कालेज का प्रबंध किया गया है। अब बताइये कि वह स्तर किस प्रकार से नीचा होता है? वह इस प्रकार से होता है कि यदि परीक्षा में दो लाख विद्यार्थी बैठते हैं तो उनमें कालेज और स्कूल के ५० हजार होते हैं बाकी डेढ़ लाख प्राइवेट होते हैं। ये प्राइवेट कमजोर होते हैं। तब कोई भी एक्जामिनर यह नहीं कर सकता कि ७५ या ८० प्रतिशत को फेल कर दे। अगर ऐसा वह कर भी देगा तो हाहाकार मच जायगा। इस प्रकार स्तर का जो निर्णय होता है वह अच्छे विद्यार्थियों से नहीं होता वह कमजोर विद्यार्थियों से होता है। इस प्रकार से हमारी शिक्षा का स्तर नीचा होता जा रहा है। जैसे कि आपने कोई जंजीर बनाई और उसकी सब कड़ियां काफी मजबूत बनवाई लेकिन ४ कड़ियां कमजोर रखीं। अब उस जंजीर के मजबूत होने या न होने की कसौटी वह ४ कड़ियां होंगी न कि सारी जंजीर। इसी प्रकार शिक्षा का स्तर भी निर्णय किया जाता है। आप मुथम कमेटी की रिपोर्ट तथा आगरा यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये उन सबका यही मत है कि ऐसा न होना चाहिये। आज जो बेईमानी होती है आपको तो उसका निराकरण करना चाहिये न कि उस बेईमानी को सारे प्रांत में फैला दें। आप जरा उसके क्रियात्मक रूप पर ध्यान दें, क्योंकि गांवों और शहरों से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। अगर आप उसे प्राइवेट की अनुमति दे देते हैं तो शहर वाले लड़के भी जा सकते हैं और गांव वाले लड़के भी जा सकते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर गांव वालों की बात मान ली जाय तो गांव में जो लड़के पढ़ेंगे वे साइन्स सब्जेक्ट में—हां, अगर यह हो जाय कि प्रेक्टिकल का इम्तहान निकाल दिया जाय, फिजिक्स कमेस्ट्री की परीक्षा प्रैक्टिकल न हो और वह थ्योरी में ही पास कर लें तब तो उसे एम०एस—सी० पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मुझे अनुभव है उसी के आधार पर मैं कहता हूं कि अगर साइंस की बात निकाल दी जाय तो आखिर वह घर पर क्या करेगा? वह किताबें रट रट कर ही पास होने का प्रयत्न करेगा। उसके लिये भी उसके पास इतनी पुस्तकें होनी चाहिये जिन्हें रट रट कर वह पढ़ सके और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो क्या आप यह समझते हैं कि इन पुस्तकों के खरीदने में फीस से कम रुपया लगेगा? अगर आप ब्रीलिएट लड़कों की बात ले लें, मैं आपको ठीक जोड़ तो नहीं बतला सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम हमारे प्रांत से करीब ४-५ हजार विद्यार्थी हर साल ग्रेजुएट होते होंगे। तो चार पांच हजार विद्यार्थियों में कम से कम मेरा ख्याल है करीब एक हजार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सरकार की ओर से स्टाइपेंड या स्कालरशिप मिलता है पढ़ने के लिये। प्रांत के कम से कम दो ढाई सौ ब्रीलिएंट स्टुडेन्ट्स को ६० रु० महीना मिलता है जिससे कि वे पढ़ सकें और उन्हें फीस भी नहीं लगती है। जितने हरिजन विद्यार्थी कालेजों में हैं उन सबको फीस के अलावा स्कालरशिप मिलता है। ६५४ हरिजन विद्यार्थी हैं। कालेजों में जितने हरिजन विद्यार्थी हैं उन सब की हम फीस देते हैं। इसके अलावा उन सबको हम स्कालरशिप भी देते हैं। इसके अलावा जो पिछड़ी जाति के लड़के हैं, डेढ़ या दो सौ के करीब उन सबको हम स्कालरशिप देते हैं। दो ढाई सौ ब्रीलिएंट पोलिटिकल सफरर के लड़कों को भी हम स्कालरशिप देते हैं। इन सब को जोड़ा जाय तो करीब ४ हजार नवयुवक हर साल ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से एक १ हजार—१२ सौ लड़कों को स्कालरशिप

मिलता है । इनमें हरिजन पोलिटिकल सफरर के ब्रोलिएंट स्टुडेण्ट्स आदि हैं। इसके अलावा २५ फीसदी लड़कों की फीस हर विश्वविद्यालय व कालेज में माफ है। अगर इतने पर भी आप यह समझते हैं कि किसी को समुचित अवसर नहीं मिलता बशर्ते कि वह इस काबिल हो कि वह ग्रेजुएट होकर देश को कुछ दे सके। तो क्या आप अब भी यह समझते हैं कि उसके लिये पूरा अवसर नहीं दिया गया है? मैं समझता हूं और मैं दावे से कहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी सचमुच में इतना तेज है और उसमें इतनी काबिलियत है तो एक भी विद्यार्थी ऐसा न होगा जिसको कि ऐसी सुविधा न होगी कि वह कालेज के अन्दर पढ़ सके। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी समस्या, हमारी आवश्यकता इस वक्त यह नहीं है कि हम ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ा दें चाहे वह सही माने में शिक्षा हो या न हो, बल्कि हमारी समस्या यह है, हमारी आवश्यकता यह है कि हम सचमुच में ऐसे लोगों को ही ग्रेजुएट की उपाधि दें जो उसके उपयुक्त हों और जो दूसरे देशों में जाकर हमारे लिये लज्जा का विषय न बनें। इसलिये आप इस संशोधन को इस दृष्टि से देखें और इसमें और किसी चीज का, न गांव वालों का और न शहर वालों का किसी का कोई सम्बन्ध है। ऐसे लोग जो गांवों में रहते हों, जो शहरों में रहते हों और जिनको अवसर न हो, जिसके पास समय न हो, वे अपने कार्यों में लगे हों उन्हीं के लिये वर्कमेंस कालेज खोलने की व्यवस्था की गयी है। मैं चाहता हूं कि इनकी संख्या अधिक से अधिक हो, जिसमें कि लोगों को यह अवसर मिल सके, लेकिन यदि आपने इस संशोधन को माना और सबको प्राइवेट इम्तहान दे कर बी० ए० की डिग्री से सुशोभित कर दिया, या एम० ए० की डिग्री से सुशोभित कर दिया तो नतीजा क्या होगा ? जितने भाषण यहां संशोधन के पक्ष में हुए सब ने यही कहा कि उनको नौकरियों में अवसर मिलेगा। नौकरियों में कितने आदमियों को अवसर मिलता है यह हम और आप सभी जानते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—और फिर वे क्या करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मदनमोहन जी तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में थे लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि इस सम्बन्ध में उपाध्याय जी ने वहां अपनी जबान भी नहीं हिलाई थी। तो यह बात तो दूसरी है, लेकिन आज नौकरियां हम वैसे कितने आदमियों को दे सकते हैं और फिर अगर आप नौकरियां दे भी दें तो भी यह तो आप जानते ही होंगे कि आज शिक्षा का स्तर क्या है? एक और यह सोचा जा रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो इम्तहानात होते हैं उनमें डिग्रियों का प्रतिबन्ध न लगाया जाय। आपने देखा होगा कि केन्द्र के शिक्षा मंत्री ने कई बार ऐसी बात कही है। तो एक तो वह बात है ही लेकिन दूसरी और अगर आपने इस प्रकार से जैसा मैंने कहा अधपके ग्रेजुएटों का निर्माण किया और उनको नौकरी न मिली तो आप विश्वास मानिये कि देश के एनिमी नम्बर वन् में इन्हीं का शुमार होगा। वे आपके समाज के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, क्योंकि हर एक आदमी को दूसरे का धन और अपनी अक्ल सबसे ज्यादा मालूम होती है। वह यह समझेगा कि मैं तो बी० ए० जरूर हूं, लेकिन मुझको यह अवसर नहीं मिला है मुझको नौकरी में इसलिये नहीं लिया गया कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी या और किसी कारण से नौकरी नहीं मिली। तो वह आपका दुश्मन होगा। वह घर से भी जायगा, क्योंकि जिस कार्य को वह कर रहा था आपने उससे भी उसको खींच लिया। बी० ए० की डिग्री तो उसको मिल गई लेकिन अब वह काम नहीं करता, नौकरी उसको मिलेगी नहीं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। अभी एक किताब मैंने देखी जिसको अमेरिका के एक बड़े भारी सज्जन ने लिखा है 'मार्केट आन कालेज ग्रेजुएट' उन्होंने यही लिखा है कि अमरीका ऐसे देश में वह स्थिति बहुत जल्द आ रही है जब कि मामूली कारीगर ग्रेजुएट से कहीं ज्यादा दा करेगा। तो आज हमें आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ग्रेजुएटों की संख्या बढ़ावें बल्कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात

[श्री हरगोविन्द सिंह]

का प्रयत्न करें कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा संशोधन हो जिसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर वही लोग जा सकें जो उसके उपयुक्त हों और दूसरे लोग ऐसे कार्यों में लगें जिससे देश के उत्पादन में कुछ वृद्धि हो, जिससे देश कुछ आगे बढ़े, इस बात की जरूरत है। और अगर आपने समस्या को कई गुना इन असंख्य ग्रेजुएटों के निर्माण से और बढ़ा दिया तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस का परिणाम क्या हो सकता है। मैंने आपका काफी समय लिया, कल भी बोल चुका हूं और आज भी इतना समय लिया। इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है वे इसको वापस ले लेंगे।

श्री श्रीचन्द—मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं डिवीजन चाहता हूं।

(इस समय डिवीजन की घंटी बजाई गयी और इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुयी।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—श्रीमन्, कुछ हाथ उठाने से डरते हैं अगर आप लिखित नामों की कुछ व्यवस्था कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस गुनाह से यहां के लोग बरी हैं। यहां पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१८१
विपक्ष में—२३।)

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (2) में संलग्न "explanation" की पहली पंक्ति में शब्द " clause (*a*)" के स्थान पर "clauses (*a*) and (*b*) " रख दिये जायं और पंक्ति २ में शब्द "clauses (*b*) to (*e*)" के स्थान पर शब्द "remaining clauses" रख दिये जायं।

मेरा मतलब यह है कि (d) में जो वर्ग है यानी जो रिसर्च करता है उसको भी इस में रखा जाय। आशा है इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (2) में संलग्न 'explanation' की पहली पंक्ति में शब्द 'clause (a)' के स्थान पर 'clauses (a) and (*b*)' रख दिये जायं और पंक्ति २ में शब्द 'clauses (*b*) to (*e*)' के स्थान पर शब्द ' remaining clauses ' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ४ में प्रस्तावित उपधारा (2) के अन्त का *Explanation* निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा का मैंने जिक्र किया है उसके अन्त का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है —

"The degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*b*) to (*e*) shall respectively be termed, and be also stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external'."

अध्यक्ष महोदय, जो बिल की प्रस्तावित धारा है उसमें दो प्रकार की डिग्रियों की व्यवस्था है। उन लोगों को जिनको इनटरनल डिग्री मिलेगी उनकी व्यवस्था (*a*) में इस प्रकार है—

"(*a*) have pursued an approved course of study in an affiliated college, or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor,".

और आगे (*b*) और (*c*) में वह हैं जो एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स हैं और जिनको प्राइवेट परीक्षा देने की सुविधा है और आगे वह लोग हैं जो इंस्पेक्टिंग आफिसर्स हैं जो प्राइवेट पढ़ कर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और (*cc*) में वह ग्रेजुएट हैं जो कम से कम ३ साल तक होल टाइम लाइब्रेरियन रहे हैं उनको भी डिग्री प्राप्त करने की सुविधा दी गई है और रिसर्च स्टुडेंट्स के बारे में (*d*) है और आखिर में औरतों के बारे में है जो अध्ययन कर के डिग्री प्राप्त कर सकती हैं। (*b*) से (*e*) तक जो प्रस्तावित धारायें हैं उनमें जो संवर्धन किया गया है उसके लिये मैं मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यह जो सारा श्रेय शिक्षा मंत्री जी को मिल रहा है इसमें भेद करने से यानी (*b*) से (*e*) तक जो आते हैं उनकी डिग्री के साथ "एक्सटरनल" लिखा जायगा, इससे वह कम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी भेद है और जो सुविधायें एक हाथ से सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वे दूसरे हाथ से छीन ली जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी विधेयक में आगे चल कर २४–ए में वर्किंग मेन्स कालेज की भी व्यवस्था की गई और जिसमें पहले ही एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि जो लोग वर्किंग मेंस कालेज में अध्ययन करेंगे उनके अध्ययन का समय डेढ़ गुना होगा। अगर वैसे कोई बी० ए० की डिग्री दो साल में लेता है उनको तीन साल लगेंगे। एक तो प्रतिबन्ध वहां था ही उसके अलावा एक्सटर्नल लगाने के माने तो एक नालायकी का सर्टिफिकेट देना हुआ। उन्होंने काफी मेहनत की है और.....

श्री हरगोविंद सिंह—वह तो अफिलिएटेड कालेज के होंगे और (*a*) में आ जायेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ठीक है, वह (*a*) में आ जायंगे लेकिन (*b*) से (*e*) तक जितने हैं उनको इन सुविधाओं के देने के पीछे जो उसूल है वह यह है कि ऐसे लोग जो कि किसी कालेज में पढ़ कर फीस देकर और इतना अधिक खर्च कर के डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें यह मौका मिले। तो उनको एक्सटर्नल डिग्री देने के माने यह हैं कि जब कभी वह किसी नौकरी के लिये जायं तो पहले ही सरकार की ओर से उसमें नालायक शब्द लिख देने की व्यवस्था कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नामुनासिब बात है। डिग्री प्राप्त करने के पहले, वह परीक्षा पत्र में उत्तीर्ण होते हैं, उनको नम्बर मिलते हैं और उसके मुताबिक प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियां उन्हें मिलती हैं। पहले तो उन्होंने एक आइडियल बात की कि सारी परेशानियों के होते हुये, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुये, आर्थिक कठिनाइयों का मुकाबला कर के

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उस डिग्री को उन्होंने हासिल किया और वह डिग्री उनको मिली, तो हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से यह नालायकी का सार्टिफीकेट उन्हें दिया गया । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको महसूस करते हैं और अभी समय है कि यह जो ऐसी सुविधायें एक हाथ से प्रदान करते हैं और दूसरे हाथ से उनको छीने ले रहे हैं, ऐसा वह न करें और यह एक्सप्लेनेशन निकाल देने से हर आदमी को एक डिप्लोमा मिल जायगा और अपने भाग्य की आजमाइश करने का पूरा मौक़ा उसे होगा। वह जहां जाना चाहे उसे कोई असुविधा नहीं होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। इस अधिनियम में जो डिग्रियों का विभाजन है और जिसके अन्दर इण्टर्नल और एक्सटर्नल डिग्रियां रखी हैं वह परिस्थिति को देखते हुये मुनासिब हैं। इंटर्नल डिग्री उन विद्यार्थियों को दी जायेगी जो कालेज में पढ़ेंगे और कालेज की शिक्षा के बाद उसके इम्तहान में बैठेंगे और उसमें यदि वह पास हों तो उनको डिग्री दी जायगी। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कि कालेज के कोर्स का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन उनको इस विधेयक में विशेष सुविधा दी गई है कि वे भी इम्तहान में बैठ सकें जैसे कि अध्यापक या लाइब्रेरियन या शिक्षा विभाग के कर्मचारी वगैरह। स्पष्ट है कि वे उस वातावरण में नहीं रहेंगे जिस वातावरण में यूनिवर्सिटी और कालेजों के विद्यार्थी रहते हैं। वातावरण से मेरा अर्थ यह है कि केवल कोर्स की पुस्तकों को पढ़ना ही काफी नहीं है और इसी को पढ़ के इम्तहान पास करना ही काफी नहीं समझा जाता बल्कि उच्च शिक्षा का ध्येय यह होता है कि उसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेषज्ञों बड़े-बड़े योग्य प्रोफेसरों के सम्पर्क में आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लाभ उठाते हैं और विश्वविद्यालय के और कालेज के वातावरण में रह कर संसार को देखते हैं तथा अपना बौद्धिक विकास करते हैं। इससे उनकी बुद्धि का स्तर ऊंचा होता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे वातावरण में रह कर और ऐसी शिक्षा प्राप्त कर के उनको जो डिग्री मिलेगी वैसी डिग्री को दूसरे इम्तहान में पाने वाले विद्यार्थियों के साथ तुलना करना उचित नहीं है। उसके अन्दर कोई भेद भाव का प्रश्न नहीं है। कोई यह विचार नहीं है कि एक डिग्री ऊंची है और एक डिग्री नीची है बल्कि वास्तविकता को देखते हुये डिग्रियों का विभाजन एक्सटर्नल और इंटर्नल डिग्री में किया गया है। मैं श्रीमन्, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १४० पर आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वह दस मील के अन्दर किसी और संस्था को अपने अलावा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से सम्पर्क न होने दे। यह एक वहां विवाद का प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि किसी कारण वश ऐसे कालेज भी अफिलिएट किये जायं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चाहिये कि एक एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की तरह से उनको बनावे और वह अपनी डिग्रियों को एक्सटर्नल और इंटर्नल डिग्रीज के रूप में रखें। जिन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी खुद पढ़ाती है उनको इंटर्नल डिग्री दे और दूसरे कालेजों में जिनकी शिक्षा होती है उनको एक्सर्नल डिग्री दी जायं। मूथम कमेटी की रिपोर्ट के शब्द इस प्रकार हैं—

"If, however, the arguments in favour of the affiliation of local colleges to the Agra University are not acceptable, we would recommend that careful consideration be given to the question whether the University should not constitute an external department and divide its degrees, the former being granted only to members of the University, the latter to any person who passes a prescribed examination. Such a scheme should enable the University to maintain the standard of its degree and at the same time relieve it of the responsibility for the management of any institutions other than its own."

तो मेरा निवेदन है कि यह जो चीज यहां रखी गयी है वह उचित है और इसको देखते हुये माननीय त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है वह ठीक नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये आया हूं। जहां तक कि हम लोगों का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी एजूकेशन का जो ध्येय है उसके बारे में हमें कुछ भ्रम है। असल में हमेशा सब विद्वानों ने यह कहा है कि जहां तक कि विश्वविद्यालय हैं, उनका ध्येय जो शिक्षा का है वह यह है कि जो विद्यार्थी है उसका सम्पूर्ण विकास हो और उसके साथ-साथ अपने देश में बैस्ट टैलेंट जिसे कहते हैं वह हाइयेस्ट लेविल पर आ सके। इस तरह से दो बातें हैं जो कि देश में होनी चाहिये। एक तो यह है कि हर व्यक्ति को यह अवसर हो कि वह अपना पूर्ण विकास कर सके। और उसके साथ ही साथ जो बेस्ट टैलेन्ट हो वह यूनिवर्सिटी में छन कर आ सकें और आकर अपना पूर्ण विकास कर सके। इस ध्येय के मातहत हमको अपनी तमाम शिक्षा को देखना चाहिये।.....

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नौरंगलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात प्रस्तुत कर रहा था कि हर विश्वविद्यालय का कुछ ध्येय होता है और हमारी शिक्षा का भी ध्येय उस ध्येय से मिलना चाहिये। मैं यह कह रहा था कि शिक्षा के ज्ञाताओं ने विश्वविद्यालयों का ध्येय यह रखा है कि हर एक मनुष्य को पूर्ण विकास करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये। यही उच्च शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता है। सम्भव हो सके तो हर देश में हर मनुष्य को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह अपना सम्पूर्ण विकास कर सके। सम्पूर्ण विकास में केवल मानसिक विकास ही नहीं आता बल्कि इसमें और भी चीजें शामिल हैं जैसे सामाजिक विकास और नैतिक विकास। इन्हीं के साथ मानसिक विकास भी लगा हुआ है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आल राउण्ड डेवलपमेंट, तो ऐसा विकास हर व्यक्ति का होना चाहिये। यही शिक्षा का उच्च उद्देश्य माना जाता है। अब यह हो सकता है कि किसी मुल्क के अन्दर इतने पर्याप्त साधन न हों कि वह हर मनुष्य के लिये यह सुविधा दे सके। ऐसी सूरत में सिर्फ वे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुल्क के बैस्ट टैलेण्ट कहे जा सकते हैं। जो सर्वोत्तम माने जा सकते हैं और इसलिये जहां पर हम हर शख्स को ऊंची शिक्षा नहीं दे सकते हैं वहां हमें यह चाहिये कि जो कमजोर हैं वह नीचे रहें और जो अच्छे टैलेण्ट्स हैं वह ऊपर आ जायं। इस प्रकार से हम अच्छे से अच्छे नागरिक पैदा कर सकें गे। इसी ध्येय को लेकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा दी जाती है।

अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि आज कल जो यूनिवर्सिटीज हमारे यहां चल रही हैं जैसे आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। कहना होगा कि नहीं होती है। वहां शिक्षा ग़लत तरीक़े पर दी जा रही है और यहां से जो लड़के पढ़ कर निकलते हैं वे कुछ नहीं करते हैं। इस तरह से और भी बहुत से आरगूमेंट्स लिये जा सकते हैं। लेकिन मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमें एक चीज सोचना है कि हमें यों नहीं सोचना चाहिये कि आज कल हमारी यूनिवर्सिटीज क्या हैं बल्कि हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वह आगे क्या हो सकती हैं। हमें केवल वास्तविकता पर ही जोर नहीं देना चाहिये लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि कल वह क्या बन सकती हैं। एक प्रतिक्रियावादी और उन्नतिशील में यही तो अन्तर होता है। जो प्रतिक्रियावादी होता है वह यही देखता है कि आज मैं क्या हूं और जो उन्नतिशील होता है वह कल के लिये भी देखता है कि कल वह क्या होगा और तब वह अपने विचार प्रकट करता है।

हम यह देखते हैं कि लखनऊ में गड़बड़ी हुई और इलाहाबाद में गड़बड़ी हुई यानी एक एटमोसफीयर लड़कों के खिलाफ लोगों में पैदा हो गया कि आजकल की एजूकेशन अजीब तरह की है। एजूकेशन में न ला है और न आर्डर है, पोस्ट आफिस जलाये जा रहे हैं, तार तोड़े जा रहे हैं और बसेज को नुक़सान पहुंचाया जा रहा है। इन सब चीजों को देख कर हम कहने लगते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज की शिक्षा बेकार हो गई। इसलिये जो लड़के प्राइवेट

[श्री नौरंगलाल]

इम्तिहान देते हैं और यूनिवर्सिटीज में रह कर देते हैं वह सब बराबर हैं और उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिये । इसलिये इस भेद को हमें मिटा देना चाहिये । परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि हम भावुकता में आजांय बल्कि हमें देखना यह चाहिये कि आगे चल कर हम क्या कर सकते हैं और हम उन कमियों को किस तरह से पूरा कर सकते हैं । इसके लिये हम ऐक्ट बना सकते हैं, आर्डिनेन्स निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम खराबी को दूर कर सकते हैं । बहरहाल यूनिवर्सिटी एजूकेशन के एम को हमें नहीं छोड़ना चाहिये । अगर हम इसके इस एम को छोड़ देंगे तो हम अपनी उच्च शिक्षा के उद्देश्य को ही समाप्त कर देंगे ।

कल जो मैंने यहां पर भाषण दिया था और श्री श्रीचन्द जी के संशोधन को सिपोर्ट किया था उसका एक प्वाइंट था और वह यह था कि किसी डैमोक्रेसी में प्रिविलेजेज नहीं होना चाहिये । इसीलिये कल मैंने कहा था कि इस प्रस्ताव के जरिये लोगों को एक विशेष अधिकार मिल रहा है और डैमोक्रेसी का यह उद्देश्य होना चाहिये कि कम से कम प्रिविलेजेज हों । यदि आप दरवाजा खोलते हैं तो सब के लिये खोलना चाहिये । इसलिये मेरा कल के भाषण का यही आधार था ।

मैं यह समझता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी की एजूकेशन का सवाल है तो वह तो यूनिवर्सिटी के अन्दर ही होनी चाहिये । यदि इस तरह से होगा तभी हम एजूकेशन को चरम सीमा तक पहुंचा सकेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह इंटर्नल और एक्सटर्नल का भेद रखा जाय क्यों कि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो तो उस सूरत में अगर प्राइवेट आदमी में और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट में कोई डिफरेन्स नहीं रखते हैं तो नतीजा यह होगा कि जो लोग प्राइवेटली पास करते हैं उनमें और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स में कोई अन्तर ही नहीं होगा । जो यूनिवर्सिटीज में रह कर लड़के पढ़ते हैं तो वहां उनका सामाजिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास होता है और वह आल राउण्ड डेवलपमेंट करते हैं । हम यह सोचें कि यूनिवर्सिटीज में एजूकेशन तो केवल दिमाग को बढ़ाने के लिये है तो यह ठीक नहीं होगा । एक्जामिनेशन तो दूसरी चीज है । यह यूनिवर्सिटी एजूकेशन का एम नहीं है और न होना चाहिये । यूनिवर्सिटीज के लिये एक्जामिनिशन कोई बड़ी भारी चीज नहीं है । एजुकेशन के लिये तो एक ऐटमासफ़ियर चाहिये । वहां पर दिमाग ही नहीं बढ़ता है । शिक्षा में तो सारी चीजें होनी चाहिये, नैतिकता भी अच्छी होनी चाहिये, शारीरिक और मानसिक विकास भी होना चाहिये । ये सब चीजें हों तो ठीक है । लेकिन अगर एक ही रह जाती है तो ठीक नहीं है । इसलिये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये । कंफ्यूजन यह होता है कि उसने भी बी० ए० पास कर लिया और इसने भी पास कर लिया इसलिये दोनों को एक साथ खड़ा कर देना चाहिये । यह गलत है, तो नतीजा यह होगा कि यूनिवर्सिटीज को लड़के छोड़ देंगे, कोई घर पर ट्यूटर रख कर पढ़ लेगा, कोई किताबें रट कर पास कर लेगा, डिग्री तो मिल ही जायगी । तो क्यों लोग यूनिवर्सिटी में जायंगे ? कौन सा स्टीमुलेंट होगा उनके जाने के लिये ? क्यों कोई इतना रुपया खर्च करेगा ? वह घर पर बैठ कर पास कर लेगा । तो इसलिये हमें इस चीज को दूर करना है । कुछ न कुछ डिसटिंक्शन जरूर रखना चाहिये एक्सटर्नल और इंटर्नल में कि यह वह विद्यार्थी है जिसने यूनिवर्सिटी में नहीं रह कर पास किया और यह वह विद्यार्थी है जिसने यूनिवर्सिटी में रह कर पास किया इसलिये उसका स्टेटस ऊंचा है क्योंकि उसने मानसिक, शारीरिक और नैतिक तीनों प्रकार की उन्नति की है और जिसने यूनिवर्सिटी से बाहर रह कर पास किया है उसने केवल एक ही प्रकार की उन्नति की है जिसे हम मानसिक कह सकते हैं । इसलिये इन दोनों को एक ही स्तर पर नहीं रखना चाहिये । इसलिये जो यह संशोधन रखा गया है वह बड़ी भूल में रखा गया है हमारे रामनारायण जी की ओर से । इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है । इसलिये आवश्यकता है कि यह संशोधन पास नहीं होना चाहिये । एक और बात है । कहा जाता है कि सब में बराबरी होनी चाहिये इससे शिक्षा काफ़ी बढ़ जायगी और उसका प्रसार होगा । ठीक है, बराबरी होनी चाहिये । लेकिन यह तो एक ले मैन का

आर्गुमेंट है। बराबरी के अर्थ को सोचना चाहिये। यह समानता का शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। समाजवादी जो कहते हैं कि हमको बराबरी मिलनी चाहिये तो उनके कहने का मंशा यह है कि मैथेमेटिकल बराबरी नहीं होनी चाहिये। समानता का अर्थ यह नहीं है। यह बिलकुल ग़लत है कि हर शख्स के अन्दर का विकास बराबर हो। जिसके दिमाग में जैसा टैलेंट है वैसा वह काम करे। "Each according to his capacity and each according to his merit." जैसा कि आजकल रखा है कि हर शख्स जितना कर सकता है वह करे और उसको वह मिले जिसको वह डिजर्व करता है। किसी जमाने में जब अनार्किक स्टेट आयेगी तब "each according to my capacity and each according to his needs." तो इसलिये यह जरूरी है कि समानता को इस तरह से कंफ्यूज न करें। मैं देख रहा हूं कि अगर इस तरीके से कर देंगे तो जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। घोड़ा, बैल, बकरी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, सब बराबर। ईक्वालिटी का यह अर्थ ग़लत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह होता है कि कामर्स, आर्टस, साइंस आदि में कोई विभेद नहीं होना चाहिये। दोनों बी० ए० पास हैं, ग्रेजुएट हैं तो यह डिफरेंस क्यों। इसको भी खत्म कर देना चाहिये। इसका अर्थ यह निकलेगा। लेकिन वह फर्क किसी कारणवश होता है। वह इसलिये होता है जिससे लोग जान जायं कि इसने यह शिक्षा प्राप्त की है, यह मास्टर आफ आर्टस है, यह मास्टर आफ साइंस है, यह मास्टर आफ म्यूजिक है। तो जब हम यह फर्क मानते हैं तो उसके साथ ही साथ हमको यह विभेद भी मानना पड़ेगा कि इस शख्स ने यूनिवर्सिटी में रह कर तालीम पायी है और इस शख्स ने यूनिवर्सिटी से बाहर रहकर तालीम पायी है। जब तक ऐसा विभेद नहीं किया जायगा तब तक वह आपके उस अमेंडमेंट के विरुद्ध ही चला जायगा, जो कि आपने इसके पहले पास किया है। मैं यह इसलिए नहीं कहता कि यह राम नारायण जी ने पेश किया है बल्कि इसलिए कहता हूं कि यह उनके उसूल के भी विरुद्ध जाता है। अतः यह जो संशोधन पेश है कि इंटरनल और ऐक्सटर्नल के डिफरेंशियेशन को निकाल दिया जाय और जब की डिग्रियां समान रखी जायं, अगर यह अमेंडमेंट पास हो गया तो कोई यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिये जायगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि इसके द्वारा आप कुछ लोगों को यह प्रिविलेज दे देंगे बिना फीस दिये हुये, बिना पैसा लगाये हुये, बिना कष्ट सहन किये हुये, बिना सेक्रेफाइस किये हुए ही डिग्रियां पा जायं। यह बात ठीक न होगी। यह चीज न होनी चाहिये। अगर यह विभेद नहीं किया गया तो बहुत से लोग मुफ्त में ही डिग्रियां पा जायेंगे। जो हर प्वाइंट से खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह सोशलिस्टिक प्वाइंट आफ व्यू हो, कम्युनिस्टिक प्वाइंट आफ व्यू हो या उपयोगिता का प्वाइंट आफ व्यू हो किसी भी प्वाइंट आफ व्यू से यह संशोधन ठीक नहीं मालूम होता। मेरा तो ख्याल यह है कि यह संशोधन ग़लती से रख दिया गया है और मेरे मित्र इसको वापिस ले लेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार की डिग्रियों के रखने से बहुत बड़ा अस्वाभाविक डिफरेंशियेशन पैदा हो जायगा। जब एक ही परीक्षा में यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी तथा टीचर और इंस्पेक्टर बैठता है तब उनको अलग अलग प्रकार की डिग्रियां देना न्यायसंगत मालूम नहीं देता। क्योंकि दोनों के लिये परीक्षा एक ही प्रकार की है। जब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन प्रकार के डिवीजन रखे हुए हैं तब मेरी समझ में नहीं आता कि कालेज में पढ़ने वाले और कालेजेज में न पढ़ने वालों में अन्तर क्यों रखा जाता है। अगर ये तीन प्रकार के डिवीजन न होते तब भी इस स्तर वाली बात में कुछ महत्व हो सकता था एक तरफ तो हम उन्हें यह अधिकार देते हैं कि वे प्राइवेट परीक्षा भी दे सकते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ हम दो प्रकार की डिग्रियां करके एक किस्म से जो अधिकार उन्हें देते हैं उस अधिकार से उन्हें वंचित कर रहे

[श्री गंगाधर मैठाणी]

हैं। सामान्यतः यह फर्क इसमें मालूम पड़ता है यह दिखलाने के लिये कि ये रेगुलर विद्यार्थी होकर पढ़े हैं और ये प्राइवेट पढ़े हैं। केवल इतना ही अन्तर इसमें मालूम पड़ता है लेकिन आजकल हम जिस पद्धति पर चल रहे हैं, प्रजातंत्रीय युग में प्रत्येक व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिये कि वह पढ़े और पढ़ने के बाद जितना प्रयत्न उसने किया है उसका फल उसे मिले। तो हम इस संशोधन के द्वारा जो प्रयत्न उसने किया है उस प्रयत्न के फल को उससे छीनते हैं। जैसा कि मूथम कमेटी रिपोर्ट में भी कहा गया है, वास्तव में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में अन्तर है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। उसका स्कोप जो है वह १० मील के अन्दर बतलाया गया है। और वहाँ पर अगर एक्सटर्नल और इण्टरनल का सवाल उठाया जाय तो स्वाभाविक है कि वह १० मील के अन्दर है और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है लेकिन यहाँ पर जहाँ कि एक किस्म से सारे प्रविंस या राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर भी लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। यह अन्तर कर दिया गया कि एक्सटर्नल या इण्टरनल की डिग्री अलग-अलग होगी। तो जो सुविधा आपने उनको दिया है उस सुविधा से वे लोग वंचित हो जायेंगे। हम तो समझते हैं कि यह एक्सप्लेनेशन जो रखा गया है वह बिलकुल बेकार है। यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण भी है। पैसा न होने की वजह से या और सुविधायें न होने की वजह से वे लोग कालेजों को छोड़कर प्राइवेट परीक्षा देते हैं। अगर हम एक ओर से उनको इजाजत देते हैं तो दूसरी तरफ उनके ऊपर एक ब्लाट लगा देते हैं। एक्सटर्नल परीक्षा देने का जो एक अधिकार हमने उन्हें दे रखा है, उस अधिकार से हम उन्हें वंचित कर देते हैं। यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण भी सामने आता है। जो पैसे वाले लोग हैं वे स्वभावतः अपने लड़कों को हिन्दुस्तान के अन्दर भी पढ़ाते हैं और उसके बाहर भी पढ़ाते हैं लेकिन जो पैसे वाले नहीं हैं उनके लड़के कालेज में न रहने पर भी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से एक्सटर्नल और इन्टरनल का डिफिसियेशन करके हम उनको इस अधिकार से वंचित कर देते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस संशोधन को मंजूर कर लें जिससे इतनी ज्यादा काफी तादाद में जो बहुत से अध्यापक लोग प्रति वर्ष आगरा यूनिवर्सिटी से परीक्षा देते हैं और जो अच्छी योग्यता प्राप्त करते हैं, अच्छे डिवीजन से पास होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जहाँ तक सर्विस का सम्बन्ध है उसके लिये तो और भी क्वालिफिकेशन्स रखे जाते हैं। जैसे कि उसके अन्दर एज का सवाल रहता है यहां अन्य दूसरे सवाल रहते हैं तो यहाँ पर यह दिखलाने के लिये कि ये कालेज के अन्दर विद्यार्थी रहे या नहीं रहे इस प्रकार का जो क्लाज रखा गया है यह ठीक नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी का जो पुराना ऐक्ट था उससे भी इसको रिगरस कर दिया गया है। जहाँ लोगों को पहले सुविधायें थीं उनसे भी उनको वंचित कर दिया गया है। लोगों को आशा थी कि प्रजातंत्र के इस युग में आगरा यूनिवर्सिटी और उदार होगी और हमारी सरकार भी पहले से उदार होकर एक ऐसा ऐक्ट बनायेगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की सुविधा मिलेगी। मुझे आशा है कि इसका समर्थन किया जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं खण्ड ३ में प्रस्तावित उपधारा (२) पढ़ देना चाहता हूं। उसमें दिया है—

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

(a) have pursued an approved course of study in an affiliated college, or in more than one affiliated colleges situate in

the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned dy the Vice-Chancellor, or

"Explanaion-- The degrees conferred under clause (a) and those conferred under clauses (b) to (e) shall respectively be termed and be also stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external."

श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय राम नारायण त्रिपाठी को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो क्लाज (a) के हैं उनको इन्टरनल कहा जाय और जो दूसरी कैटिगरीज के लोग हैं उनको एक्सटर्नल कहा जाय । यह एक टेक्नालोजी है और इस टेक्नीकल टर्म में आपत्ति मेरे भाई को नहीं होनी चाहिये । यह वस्तुस्थिति है । इण्टरनल को एक्सटर्नल नहीं कहा जा सकता है और न एक्सटर्नल को इंटरनल ही कहा जा सकता है ।

मेरे एक माननीय दोस्त ने कहा कि मूथम रिपोर्ट इस पर लागू नहीं होती । मैंने माना कि इस यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसके सिद्धांत का सम्बन्ध है उसका विरोध करना असम्भव है क्योंकि बात सही है। उसमें कोई दोष भी नहीं है अगर उसको आगरा यूनिवर्सिटी के लिये लागू किया जाय । तो इस प्रकार से इस पर भी आपत्ति नहीं की जा सकती । केवल एक आशंका का स्थान है और वह यह है कि इसके मिस इंटरप्रिटेशन के कारण इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्रीज के कारण भेदभाव किया जा सकता है। उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिये और यदि सरकार ऐसा करे तब वह फोरम होगा जब माननीय रामनारायण जी आपत्ति करें और उस स्थान पर मैं उनके साथ हूंगा । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह एक स्टिग्मा है, लांछन है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह स्टिग्मा नहीं है, लांछन नहीं है, वास्तविकता है । इस इण्टर्नल और एक्सटर्नल का अभिप्राय किसी पर लांछन लगाना नहीं है । कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह के इण्टर्नल डिपार्टमेंट्स हैं। मैं मानता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। लेकिन अगर विदेशों में इससे कोई बुराई नहीं पैदा होती और इसको लोग लांछन या स्टिग्मा नहीं समझते तो यहाँ पर आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, उस आधार पर अगर भेदभाव किया जाय तो आपत्ति का स्थान है। लेकिन उसमें भी ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ हो सकती हैं परन्तु प्रायः इस तरह का भेदभाव उचित नहीं होगा और यदि कोई ऐसा भेदभाव किया जाता है तो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी आपत्ति कर सकते हैं और उनकी वह आपत्ति उचित भी होगी । इन शब्दों के साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापिस ले लें, क्योंकि इससे कोई क्षति की सम्भावना इस परिस्थिति में नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पूर्व संशोधन पर मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी का व्याख्यान सुनने का अवसर मिला था । उन्होंने जब श्री श्रीचन्द जी का संशोधन उपस्थित हुआ था तो उसकी स्थिति को साफ करने के सिलसिले में एक्सटर्नल और इंटरनल के जो इम्प्लीकेशन्स होते हैं उनको समझाने की कृपा की थी । मुझे अभी अपने पूर्ववक्ता श्री नौरंगलाल जी के व्याख्यान को सुनने का अवसर मिला । मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया । डिमोक्रेसी और टेक्नीकल टर्म के शब्दों के जाल में फंसा कर जो सही बात थी उसको एक दूसरी जगह रखने की कोशिश की। एक तरफ यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि वे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके अलावा कम ही लोग अगर वह शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करें तो वह बहुत ही अस्पष्ट वातावरण अपने देश में पैदा हो सकता है, इसलिये श्रीचन्द्र जी के संशोधन का विरोध किया गया कि उससे अधिक संख्या बढ़ जायगी । तो शिक्षा का जो स्तर है वह घटने न पावे उसका सन्तुलन होगा, वह बढ़ता रहेगा और उन डिग्रियों को

[श्री रामकुमार शास्त्री]

प्राप्त करके जो कि और यूनिवर्सिटियों से प्राप्त करेंगे देश का कल्याण कर सकेंगे । वहाँ पर यह प्रतिबन्ध लगाकर कि केवल जो अध्यापक हैं वही इम्तहान दे सकते हैं बाकी लोग नहीं। उसका विरोध किया गया, लेकिन मैं तो इस इण्टरनल और एक्सटर्नल का जो प्रस्ताव है उसका विरोध नहीं करता हूं। इसका क्रेडिट जाता है उन लोगों के पक्ष में जो कि एक गाँव में रहते हैं और जिनके पास वह साधन उपलब्ध नहीं हैं जो कि विश्वविद्यालयों में हैं। जिस वातावरण की तुलना की जाती है कि विश्वविद्यालयों में बहुत शुद्ध वातावरण है उसका उदाहरण सब के सामने है। मैं यह कहूंगा कि आज वर्षों से इन विश्वविद्यालयों में इसका विरोध किया गया है और इसका जीताजागता नमूना अपने प्रदेश में ही है कि न मालूम कितनी बार मुख्तलिफ जगहों पर यह विरोध किया गया है। यह कहा गया है कि इन यूनिवर्सिटीज को अलग करके नेशनल यूनिवर्सिटीज कायम की जायं क्योंकि वहाँ की जो प्रणाली होगी वह स्वस्थ होगी और अपने देश को अग्रसर करने में कामयाब होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग गाँव में रहते हैं और जिनके पास साधन नहीं है जिनकी आर्थिक दशा खराब है. अगर वह शिक्षा प्राप्त करना चाहें, एक अध्यापक की हैसियत से या किसी देहात में रहकर किसी दूसरे प्रकार से तो उनके सामने इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है क्योंकि उनमें प्रतिभाशाली स्नातक भी हो सकते हैं तो उनके लिये प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। मैं उन भाइयों का विरोध करता हूं कि जो इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। यह कहना कि यह संशोधन सोशलिस्टों की तरफ से आया है ठीक नहीं है यह नहीं होना चाहिये। इस हाउस में जब हम बैठते हैं चाहे वह इस तरफ बैठे चाहे उस तरफ बैठे जो उचित बात हो उसका समर्थन करना चाहिये। इण्टरनल और एक्सटर्नल में किसी प्रकार का डिस्टिंकशन नहीं होना चाहिये । वह प्रतिभाशाली जो गाँव में रहकर शिक्षा प्राप्त करके अपनी जाती हैसियत से अगर डिग्री प्राप्त करें तो उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये। मैं किसी मिसाल को लेकर नहीं चलना चाहता हूं कि फलाँ कमीशन ने यह सिफारिश की। हम तो यहाँ पर नये कानून बना रहे हैं। हमने जमींदारी अबालिशन का कानून बनाया वह किसी की मिसाल लेकर नहीं बनाया। हम अगर यह समझते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे सामने है और उसको साधन उपलब्ध नहीं है जिससे कि वह देश के कल्याण का रास्ता निकाल सकता है, तो उनको हमें जरूर मौका देना चाहिये। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं यह सुनता हूं कि यूनिवर्सिटी का वातावरण बहुत सुन्दर होता है। गुरबत में और आर्थिक संकीर्णता में रहकर जो वातावरण बन सकता है वह वहाँ पर नहीं हो सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि देहात का वातावरण बहुत सुन्दर होता है और जब कभी मौका होगा तो हमारे विद्यार्थी महोदय देहात का आश्रय लेंगे। वहाँ का वातावरण कहा जाता है कि देहाती से घटा होता है जबकि उन्हें अपने पक्ष को मनवाना होता है और उस समय शहरों का पक्ष लिया जाता है और जब दूसरे पक्ष को मनवाना होता है तो कहा जाता है कि देहातों का वातावरण उच्च प्रकार का होता है। इसलिए मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को मानेंगे कि एक्सटर्नल और इण्टर्नल का कदापि भेद न रहे।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय जिस आधार पर उस को प्रस्तुत करते हैं उस के उद्देश्यों से सहमत होते हुये भी मैं उसका विरोध करता हूं। आशंका की जाती है कि बाहरी और भीतरी शब्द से भेद पैदा किया जाता है और उस से बाहरी स्नातकों के साथ सौत-पुत्र का सा व्यवहार होगा। मुझे यह कहना है कि ऐसी आशंका ही क्यों हो। किसी भी क़ानून में ऐसा भेद नहीं किया जाता और यदि कोई भेद किया जाय तो उसका विरोध करना चाहिये किन्तु जहाँ तक मैं जानता हूं कि किसी भी क़ानून में और किसी निर्धारित योग्यता में ऐसा भेद नहीं किया गया है। कहा जाता है कि विधि में कहीं ऐसा नहीं है

परन्तु यह चीज एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पैदा करेगी जिसमें भीतरी को प्रिफरेन्स दिया जायगा। मुझे एक बात याद आती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो स्कूलों से चरित्र पत्र मिलता था उस में सच्चरित्रता का एक अंग यह भी माना जाता था कि अमुक विद्यार्थी कांग्रेसी नहीं था और वह विद्यार्थी जिसके चरित्र पत्र में लिखा जाता था कि वह कांग्रेसी नहीं है वह अपने उस चरित्र पत्र को अच्छा समझता था, लेकिन युग ने पलटा खाया और एक दिन आया कि इसी समाज में हम देखने लगे कि वही चरित्रपत्र अच्छा है कि जिसमें लिखा हो कि यह विद्यार्थी कांग्रेसी है। मैं आपको बतला दूं कि हमारे यहाँ अनुशासन आदि की जो व्यवस्था है उसकी यदि वह स्थिति बनी रही तो मैं आप को विश्वास दिलाऊंगा कि साधारण लोग ही नहीं, बल्कि राजकीय अधिकारी भी यही सोचेंगे कि हम प्रिफरेन्स बाहरी लोगों को दें या भीतरी लोगों को दें। हमारे सामने यह प्रश्न होगा कि तथाकथित अनुशासनहीन वातावरण में पले हुये स्नातकों को अपनायें या बाहर वाले दूसरे लोगों को अपनायें। हम नहीं कह सकते कि भविष्य हमें किस ओर प्रिफरेन्स देने पर बाध्य करेगा। ज्यों-ज्यों औद्योगिक विकास होगा त्यों-त्यों हम बाहरी क्षेत्र वाले स्नातकों को भी अनेक स्थान दे सकेंगे और सोच सकेंगे कि तथाकथित अनुशासनहीन वातावरण में पले हुये स्नातकों को स्थान दें या बाहरी स्नातकों को। जैसी स्थिति है उसके अनुसार यह बाहरी और भीतरी का भेद रहना ही चाहिये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस अन्तर को किसी प्रकार समझा जा सके और यदि वहाँ का वातावरण अच्छा हो और भीतरी विद्यार्थी अच्छा चरित्र दिखला सकें तो यह भेद हो तो कोई दुख की बात नहीं है। प्रमाणपत्र में होता ही क्या है? प्रमाणपत्र में जितने वर्ग इसमें हैं, उस वर्ग की चर्चा की जाती है। एक्सटर्नल और इंटर्नल शब्द नहीं रखे जाते किन्तु प्रमाणपत्र की शब्दावली को आप पढ़ें तो पता चल जाता है कि विद्यार्थी नियमित रूप से परीक्षार्थी है या निजी रूप से। आर्डिनेंसेज की चर्चा कर दी जाती है, फलाँ आर्डिनेंस के अनुसार। तो आज भी स्पष्ट हो जाता है प्रमाण-पत्र से कि यह विद्यार्थी रेगुलर नहीं है, नियममित रूप से नहीं है, बल्कि प्राइवेट है, इसका पता चल ही जाता है। ऐसी स्थिति में मैं संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसे अनावश्यक समझकर वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा गया है कि उपाध्यक्ष महोदय, या अधिष्ठाता जो कि अध्यक्ष का आसन ग्रहण करते हैं उनको उपाध्यक्ष महोदय या अधिष्ठाता महोदय, कहकर सम्बोधित किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। कोई अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष महोदय जब आसन ग्रहण करते हैं तो वह अध्यक्ष हैं, न कि अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का ध्यान एक बाम्बे विधान सभा की रूलिंग की तरफ आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने निर्णय दिया है कि उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता जब कुर्सी ग्रहण करते हैं तो उन्हें अध्यक्ष कहकर सम्बोधित करना चाहिये न कि अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष कहकर।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि हमारे यहाँ के सदस्यों को इसी तरह कहने में सुविधा हो गयी है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस विषय में अपना निर्णय दें।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैंने बहुत से भाषण सुने और उन पर मैं एक सूक्ष्म विवेचना करना चाहूंगा लेकिन इसके पहले मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान हिन्दू समाज में प्रचलित एक व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहूंगा जहाँ

[श्री रामेश्वर लाल]

ब्राह्मणों के विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। वहां शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि न्याय की डींग हांकने वाले लोग यह कह सकते हैं कि हमने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बराबर का अधिकार शूद्रों को दे दिया है लेकिन मैं दावे के साथ आज भी माननीय शिक्षा मंत्री के शासन काल में भी ऐसे विद्यालयों को बता सकता हूं जो कि आज सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां भी शूद्रों को और वैश्यों को संस्कृत शिक्षा में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह रिवाज आज भी हमारे देश में प्रचलित है। तो फिर जब मैंने श्री रामनारायण जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को देखा और उसके साथ साथ अपने कुछ विरोधी साथियों को उसका विरोध करते हुये देखा तो मैंने समझा कि जैसे कि यह प्रचलित व्यवस्था हिन्दू समाज में आज भी विद्यमान है, वैसे ही आज की प्रजातांत्रिक हुकूमत में भी विद्यमान है। उसी तरह का एक डिप्लोमा एक अलगाव की व्यवस्था देना, आज के इस संशोधन को दूर हटा देने के माने होगा। आज इण्टर्नल और एक्सटर्नल इन दो बातों पर विचार करने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इससे प्रभावित कौन से लोग हैं। जब आप विचार करेंगे कि शिक्षा पर जो कि आज देश में है तो देखेंगे कि उसके दो पहलू हैं। एक तो व्यापारिक दृष्टिकोण से धनोपार्जन के निमित्त। धनी और उच्च तबके के लोग आज अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और वे यह समझते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी यह आने वाली सन्तान हमारे लिये एक सहारा होगी। इसलिये शिक्षा की एक प्रचलित व्यवस्था पढ़े लिखे धनी लोगों में और मध्यम वर्ग के लोगों में है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि आज देहात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने बच्चों की शिक्षा धन की कमी में नहीं दे पाते हैं। हमने तो अपने गांवों में देखा है कि बचपन में जो बच्चे विद्यालय में जाने के लिये तैयार माने जाने चाहिये और जिनकी ऐसी उमर होती है कि वे विद्यालय में जायं, उनके मां बाप धन की कमी के कारण खेतों पर उनको लगाते हैं, सोहनी कराते हैं, बकरी चरवाते हैं और हरिजनों के यहां उनसे सुअर चरवाये जाते हैं। इस प्रकार वे अपने बच्चों को धनाभाव के कारण स्कूलों में नहीं भेजते हैं। लेकिन इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि जब वे बच्चे अगल बगल के बच्चों को देखते हैं कि वे पढ़ने के कारण समाज में कुर्सी पाते हैं, चारपाई पाते हैं, ऊंचा स्थान पाते हैं, तो वे भी शिक्षा की ओर रत होते हैं। मैंने देखा है कि हल चलाने वाले लोग 'क' 'ख' 'ग' की किताबें पढ़ते हैं। यही नहीं उन्होंने मिडिल पास किया है, हाई स्कूल पास किया है, और उसके बाद कालेजों में डिग्रियां ली हैं। मैं बनारस की तरफ आप का ध्यान ले जाऊंगा। बनारस में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो रिकग्नाइज्ड नहीं हैं। वहां पर विद्यार्थी जाते हैं और संस्कृत की शिक्षा लेते हैं और शास्त्री तक की डिग्री लेते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वक्ता महोदय क्या बोल रहे हैं ?

श्री रामेश्वर लाल—राम नरेश जी ने पूछा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने समझा कि वे समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सटर्नल और इंटर्नल के ऊपर मैं बोल रहा हूं और दोनों चीजों के ऊपर मैं अपना भाव आप के सामने प्रमाण के साथ रखना चाहता हूं। मैं यह बतला रहा था कि शास्त्री की परीक्षा पास करने के बाद यूनिवर्सिटी की डिग्री लोगों ने ली है। तो यह डिफ्रेंसिएशन हमको नहीं करना चाहिये। मैं दूसरी तरफ आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैंने अभी एक माननीय सदस्य का भाषण सुना। मैं कहूंगा कि आज अर्थ शास्त्र के विद्वानों ने पढ़े लिखे लोगों को समाज की एक पूंजी माना है और जिसके पास जितनी ज्यादा पूंजी होती है वह धनोपार्जन करने में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। यह हम और आप बराबर मानेंगे। हम देखते हैं कि आज एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिये, अगर ऊंची शिक्षा हमको देनी है, तो दस हजार रुपये से कम हमको व्यय नहीं करने पड़ेंगे। ऐसी दशा में यदि कोई प्राइवेट शिक्षा लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है और उस योग्यता को प्राप्त करता है, तो

में नहीं समझता कि आप उसे एक्सटर्नल और इण्टर्नल की उपाधि दे कर क्यों समाज में अलगाव और दुराव देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद इस अलगाव और दुराव वाली नीति को दूर कर के एक्सटर्नल और इंटर्नल वाले झगड़े को देखते हुये माननीय रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे भला होगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री त्रिपाठी जी द्वारा जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उनको क्यों शंकायें हो रही हैं। लोगों को यह शंका है कि 'एक्सटर्नल और इंटर्नल दो विभागों में जो विभाजन हो रहा है उससे संभव है कि उन स्नातकों को जो एक्सटर्नल स्नातक होंगे वह स्थान न मिल सके जो स्थान इंनर्टल स्नातकों को मिले। इसके सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि दोनों में कुछ फ़र्क़ अवश्य रहेगा। जिन स्नातकों ने चार या छै वर्ष तक विश्वविद्यालय में अपने गुरुओं के नीचे बैठ कर विद्याध्ययन किया है उन स्नातकों में और वह स्नातक जो कि बाहर रह कर अपना उद्योग करते रहे हैं और डिग्री प्राप्त कर ली है, उन दोनों में क्या भेद नहीं होगा। भेद अवश्य होगा। माननीय सदस्यों को परेशानी यह मालूम हो रही है और यह उनको भय हो रहा है कि मुलाज़िमत में और नौकरियों में हम भेद करेंगे यानी हम एक्सटर्नल वालों को जो बाहरी होंगे उनको स्थान नहीं देंगे। और जो हमारे कालेज से निकले हुये, यूनिवर्सिटीज से निकले हुये हमारे स्नातक होंगे, उन्हीं को स्थान देंगे। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इस बात को बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और उन्होंने बतलाया कि सम्भव हो सकता है कि ऐसा समय आ जाय कि हम सिर्फ बाहरी लोगों को ही प्रिफ़ेरेन्स दें और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उन्हें जो कि विश्वविद्यालय से पास हो कर निकले हैं यानी कालेज का जीवन व्यतीत किया है, उत्तम स्थान दें। यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस में कोई सन्देह नहीं कि आज की परिस्थिति हमें इस बात के लिये बाध्य करती है और हम इसे मानते हैं कि जो इंटर्नल लड़के हैं, जो कि विश्वविद्यालयों से पास कर के स्नातक निकलते हैं उनमें एक तरह की अनुशासनहीनता आ रही है, सम्भव है कि हम इस बात को तय करें कि हम उनका स्थान नहीं देंगे। यह तो केवल परिस्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। परन्तु भेद को रखना अत्यन्त आवश्यक है और वह इसलिये आवश्यक है कि एक आदमी जो इतने दिनों विद्यार्जन करता है, विद्या मन्दिर में रहता है, सारा समय वहीं व्यतीत करता है जैसा कि नियम है। उसी नियम के अनुसार उस आदमी में एक आदमी जो कि बाहर से आता है और सिर्फ पास कर लेता है, दोनों में भेद होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैंने कल ही श्री श्रीचन्द जी ने जो संशोधन उपस्थित किया था जिसका यह अर्थ था कि हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिये कि वह परीक्षाओं में बैठ सके और डिग्रियां प्राप्त कर सके, उसका समर्थन किया। उससे मैं यह चाहता था जैसा हमारे बहुत से माननीय सदस्यों का विचार था कि लोगों को, आप सब लोगों को, इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि परीक्षाओं में बैठ सके और ऊंची से ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर के अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें, वहां तक तो ठीक है। यहां तक तो मैं सहमत हूं कि ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का हर एक व्यक्ति को अवसर मिले परन्तु उसी के साथ साथ मैं इस बात का डिस्टिंक्शन ज़रूर चाहता हूं कि दोनों में भेद अवश्य हो। एक आदमी जिसने कि यूनिवर्सिटी में रह कर शिक्षा प्राप्त की है उसमें और जिसने कि बाहर रह कर केवल परीक्षा पास कर ली है, उसमें भेद आवश्यक है।

सर्विसेज के बारे में तो आप जैसा चाहें वैसा विधान बना सकते हैं। चाहे आप स्थान भीतर वालों को दें अथवा बाहर वालों को दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन पर इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और इसका विरोध करता हूं, साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे त्रिपाठी जी इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं स्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अभी एक माननीय सदस्य का नाम ले चुका वे भाषण देंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं प्वाइंट आफ आर्डर फिर उठाना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष के पद को ग्रहण कर रहे हैं वे अध्यक्ष हैं और इस सिलसिले में मैंने आपके सामने बाम्बे विधान सभा की रूलिंग भी रखी थी। मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं कि हमारे श्री उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता महोदय, जो अध्यक्ष के पद को ग्रहण करें क्या वे उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता कह कर सम्बोधित किये जा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि यहां की परम्परा उपाध्यक्ष ही कह कर सम्बोधित करने की है। सुविधानुसार लोग जिस प्रकार से भी सम्बोधित करें इसमें कोई बहुत बड़े महत्व का प्रश्न नहीं आता है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री त्रिपाठी जी का जो संशोधन इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो एक्सप्लेनेशन इस संशोधन के अन्दर किया हुआ है वह इस प्रकार है—

"The degrees conferred under clause (a) and those conferred under clauses (*b*) to (*e*) shall respectively be termed and be also stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external'."

एक्सटर्नल में २ तरह के लोग आते हैं, एक तो टीचर्स और दूसरे लाइब्रेरी वाले, ब्रजबिहारी जी ने कहा कि लोगों के दिल में यह भ्रम है कि एक्सटर्नल वालों को नौकरी में नहीं लिया जायगा, यह बात ग़लत है क्योंकि वे तो पहले ही एम्पलायड हैं। हां, लेडीज के मामले में यह बात विरोध करने की है, क्योंकि वे प्राइवेट विद्योपार्जन करके डिग्रियां ले सकती हैं। यह एक्सप्लेनेशन केवल स्त्री समाज के लिये घातक हो सकता है। लेकिन जैसा राधाकृष्णन् रिपोर्ट में है, इसमें कुछ हद तक बैकवर्ड और शैडयूल्ड क्लास के लोगों पर भी असर आ सकता है। उन्होंने लिखा है कि हम सोशल बुराइयों को एक दम दूर नहीं कर सकते और हमारे कंस्टीटयूशन में शैडयूल्ड कास्ट वालों के अलावा सबके बराबर इलैक्टोरैट्स हैं और यह कि—

"We are in great sympathy with the anxiety of these scheduled castes and backward communities to raise their cultural level. Their backwardness is the result of a long period of unequal opportunity and it should be remedied as speedily as possible. We must provide them with additional assitance which will enable them to give their children equal education opportunities with others in the nation. In the present condition of our society the ends of justice in the matter of scheduled castes and the communities declared to be backward by the government of the province or the state can be met by reserving a certain proportion of seats for qualified students of these communities leaving the rest of the seats to members of all communities by open competition. The percentage of reservation shall not, however, exceed 1/3rd of the total number of seats. The principle of reservation may be adopted for a period of ten years."

सन् १९४८-४९ के यूनिवर्सिटी कमीशन ने यह माना है कि बैकवर्ड और शैडयूल्ड कास्ट के लोग ग़रीब हैं और इसलिये उनको हर तरह से परेशानी हो रही है।

शिक्षा मंत्री जी ने क्या इस बात की सफाई करने की कोशिश की है कि २५ फीसदी लोगों की फीस माफ होती है, १५०–२०० स्कालरशिप बैकवर्ड क्लास के लोगों को दिये जाते हैं और २००–३०० पोलीटीकल सफरर्स को दिये जाते हैं, तो क्या वे इनको बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ा दें, तो मैं समझता हूं कि एक्सटर्नल और इंटर्नल में कम मतभेद होना चाहिये। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के भाषण से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला कि वह शैडयूल्ड और बैकवर्ड क्लास के लोगों के स्कालरशिप बढ़ाने की किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अगर वह इस बात की कोशिश करते कि बैकवर्ड लोग भी धनीमानी लोगों के बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकते, तो मैं समझता कि यह बात बर्दाश्त की जा सकती थी कि २ तरह की डिग्रियां आप रखें। लेकिन अगर यह चीज नहीं आई तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को अधिक कठिनाई होगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि बैकवर्ड क्लास वालों के और शैडयूल्ड कास्ट वालों के हित में और दूसरी ग़रीब जनता के हित में इस संशोधन को हमारे मंत्री महोदय अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे। इससे ग़रीब लोगों का बहुत भला होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन के विरोध में और पक्ष में माननीय सदस्यों के भाषण सुने। बहुत सी बातों का तो दोनों ने जवाब दिया, लेकिन दो एक बातें ऐसी हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

एक बात सर्वांग उन्नति की कही गई। एक तरफ तो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वह त्रुटिपूर्ण है। उससे जो स्नातक होते हैं वह अनुभवहीन होते हैं, वह अमेरिका और ऑक्सफोर्ड की बात तो जान सकते हैं लेकिन अपने देहात की बात नहीं जान सकते हैं। वाकया यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत से ऐसे स्नातक हैं जिनको बहुत से पौधों के नाम ग्रीक और लेटिन में तो याद होंगे लेकिन देहात में जाकर वह उनको पहचान नहीं सकते हैं। उनको स्कूल और कालेजेज के वातावरण में एकांगी उन्नति तो हो सकती है जो दिमागी उन्नति है, लेकिन वह अनुभवहीन होते हैं।

जहां तक डिग्रीज के देने का सवाल है तो वह ऐसे लोगों को दी जा रही है जो पहले कोई दर्जा पास करके शिक्षा विभाग में हैं, इसमें ग्रेजुएट हो सकते हैं इंटरमीजिएट हो सकते हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसी इंस्टीटयूशन के लायब्रेरियन हैं और लगातार तीन साल तक रहे हैं। इसके अलावा औरतें हैं। उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि बहुत से विरोध करने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि गृहस्थी का जितना ज्ञान औरतों को होगा उतना किसी और को कभी नहीं हो सकता है। दुनिया की अनुभवपूर्ण औरतें आपकी बात बर्दाश्त करें और गृहस्थी चलायें और फिर डिग्री प्राप्त करें। इसके बाद भी अगर वह अनुभवहीन रह जाती हैं तो फिर विरोध करने वाले सज्जन कहां खड़े हैं, इसको वह स्वयं ही समझ लें।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

ऐसे लोगों को आज कल डिग्रीज दी जा रही हैं जिनको दुनिया का कुछ अनुभव नहीं होता। जिनको दुनिया के ऊंच नीच देखने का मौका मिलता है और जो दुनिया के संघर्ष में पड़ते हैं उनको तो अनुभवहीन बतला दिया जाता है और जो लोग कालेज में जाते हैं और जिनको गेहूं और जौ की बाली की तमीज नहीं हो सकती है उनको आप कह सकते हैं कि वह इंटरनल है और उसको तजुर्बा है। जहां तक संस्कारों का सवाल है, तो संस्कार यूनीवर्सिटी में तालीम लेने से नहीं हो सकते हैं। हां, यह हो सकता है कि हमारी शिक्षा की पृष्ठ भूमि विदेशी तालीम है और हमारे विदेशी शासकों की तालीम है। इसीलिये हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मांग यह है कि आपके यहां जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसका लक्ष्य क्या है? आज हमारे मंत्री जी को गर्व हो सकता है कि उन्होंने बहुत से प्राइमरी स्कूलों को पेड़ों के नीचे चलाया और इतनी संख्या में स्कूल खोल दिये कि कहीं पर अध्यापक नहीं हैं तो कहीं पर बिल्डिंग नहीं हैं और कहीं पर लड़के ही नहीं हैं। इस पर हमारी सरकार फख्र कर सकती है लेकिन यह हमारी आज की शिक्षा प्रणाली लक्ष्य हीन है। आज डिस्पिलिन का सवाल होता है। उसका कारण यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी आशायें पूरी नहीं होती हैं। हमारी सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है कि कहां जायंगे। हाई स्कूल, इंटरमीजियेट, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएटस की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं कहता हूं कि वह एक संकुचित दायरे में रहते हैं, जिनको अपने स्कूल की किताबों के अलावा और कुछ जानकारी भी नहीं है। तो इससे न संस्कार बनने का सवाल पैदा होता है और न सर्वांग उन्नति ही होती है। जिनको एक्सटर्नल डिग्री दी जा रही है उनके संस्कार तो कहीं अच्छे हैं। माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे लेकिन संस्कार कोई मामूली शब्द नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उससे कैरेक्टर की जांच होती है। कैरेक्टर के माने स्त्री, पुरुष का सामाजिक सम्बन्ध ही नहीं है। कैरेक्टर के माने बड़े वसी हैं। तो एक्सटर्नल डिग्री की बात हुई, सर्वांग उन्नति की बात हुई, संस्कार की बात हुई। कौन सी ऐसी बात रह जाती है जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई विशेष विभेद किया जाय। मुझे यह विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि हमारा शिक्षा विभाग इस बात पर गौर कर रहा है कि जो लोग एक्सटर्नल डिग्री पायें उनको कम से कम शिक्षा विभाग में न लिया जाय। इतना बड़ा भेद भाव हमारी सरकार के दिमाग में है। तो यह भेदभाव तो तब रहेगा जब वहां कोई प्राविजन रहेगा और अगर ऐक्ट में कोई प्राविजन नहीं है तो न तो माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्कुलर निकाल सकते हैं और न कोई दूसरा निकाल सकता है। तो जब भेद भाव नहीं रखना है तो एक्सप्लेनेशन की बात क्यों रखी जाती है। जैसा कि लोगों ने बताया काफी मेहनत करने के बाद वह डिग्री प्राप्त करेगा। तो एक्सटर्नल रखने से लोगों का यह ख्याल होगा कि इसने यों ही पास कर लिया, यह कम योग्य है। सौभाग्य से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय यहां उपस्थित हैं और मैं समझता हूं कि आज हमारे शिक्षा मंत्री जी को सलाह लेने में आसानी है। मुमकिन है वह डरते कि कहीं मुख्य मंत्री जी यह न कह दें कि जैसा सेलेक्ट कमेटी से आया था वैसा ही रहना चाहिये था। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर राय देकर उनको यह सलाह देंगे कि वह मेरे संशोधन को मान लें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—रामनारायण जी ने चाहा है कि मैं इसमें कुछ कहूं। मुझे सारी बहस जो इस मामले में हुई वह सुनने का तो अवसर नहीं मिला मगर जो रामनारायण जी ने कहा और जो दो तीन व्याख्यान मेरे आने के बाद हुये उनको

मैंने कुछ सुना। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गया, वहां सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे और वहां बहुत अच्छी तरह से हर बात पर विचार किया गया। दरअस्ल एक वक्त तो मेरा यह ख्याल था कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल यूनानिमस होगी और कोई भी नोट आफ़ डिसेंट नहीं होगा मगर चूंकि कुछ राजनीतिक दल अलग-अलग हैं लिहाजा नोट आफ डिसेंट भी उसमें आ गया। मगर जहां तक शिक्षित लोगों का ताल्लुक है, शिक्षित से मेरा मतलब यह नहीं है कि और लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव, श्री महाजन, आचार्य जुगुल किशोर आदि, इन सब की इत्तफाक राय से यह बिल जैसा कि यहां पर आया है बनाया गया था जिसमें वाइसचांसलर्स, प्रोफेसर्स जितने उसमें थे उन्होंने अपनी राय दी है, जो कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं उन्होंने भी और जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं उन्होंने भी। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने अपना दस्तखत किया है। सो मैं समझता हूं कि उन्होंने समझा कि दस्तखत कर देना अच्छा है बजाय न करने के। तो कोई बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और फिर वहां से आये तो उसके ऊपर यह समझ कर हमें चलना चाहिये कि आमतौर से सभी लोगों ने उसकी देखभाल की है। जब तक कोई खास वजह न हो तब तक उसे ठीक ही मानना चाहिये। और यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी दो हाउसेज की थी, केवल एक हाउस की नहीं थी। उसमें काफी सदस्य थे। कमेटी में काफी सोच-विचार इस पर हुआ। उसके बाद यह रिपोर्ट आयी है। यह सब तो मैं और सब संशोधनों के लिये निवेदन कर रहा हूं। जहां तक इस खास संशोधन का सवाल है मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह उज्र किस बात का है। यह संशोधन तो एक वाक्यें को बयान करता है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी डी० ए० वी० कालेज से पास करता है और किसी आदमी ने कालविन्स कालेज से पास किया है तो पहले के सामने अगर डी० ए० वी० कालेज से पास किया और दूसरे के सामने कालविन्स कालेज से पास किया अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो इसमें नामुनासिब बात क्या हो जाती है। इसी प्रकार जो लोग क्लासेज अटेंड करके पास करते हैं उनके सामने इंटरनल लिखा जाय और जो लोग बाहर रह कर पास करें उनके सामने एक्सटर्नल लिखा जाय तो क्या यह वाक़या नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह वाक़या नहीं है? अगर वाक़या है और बात सही है तो फिर उज्र किस बात का है। रामनारायण जी ने कहा कि एक्सटर्नल वाले अधिक अच्छे होते हैं, अगर ऐसी बात है तो उनके सामने एक्सटर्नल लिखे जाने से ही उनको ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिये अगर किन्हीं बातों में इंटरनल वाले बेहतर हैं और किन्हीं बातों में एक्सटर्नल वाले बेहतर हैं तो लोगों को बात मालूम हो जानी चाहिये। मेरे ख्याल से यह बात छिपाये जाने के बजाय इसका लिखा जाना ज्यादा अच्छा है। अगर कोई बात फैक्ट न हो तो उसको छिपाया भी जाय लेकिन जो वाकया है उसको लिखने में क्या उज्र हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर किसी वजह पर एक्सटर्नल वाले अच्छे साबित हो सकते हैं तो लोग उनको वहां ले सकते हैं और जहां पर इंटरनल वाले अच्छे साबित हो सकते हैं वहां पर उनको ले लें। रामनारायण जी की राय में एक्सटर्नल वाले ज्यादा अच्छे हैं इसलिये यही उनके पक्ष में जाता है कि उनके सामने एक्सटर्नल लिख दिया जाय। इस प्रकार फैक्ट्स को बयान करना हर तरह से मुनासिब है।

एक बात यह भी कही गयी कि इससे शिडयूल कास्ट के लोगों या बैकवर्ड क्लास के लोगों को दिक्कत होगी। यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आयी। क्योंकि जितने भी एक्सटर्नल होंगे वे सब टीचर्स या इंसपेक्टिंग आफीसर्स होंगे। अगर यह बात साबित हो कि मुलाजिमत में हरिजन या बैक वर्ड क्लास के लोग ज्यादा हैं तब तो यह कहा जा सकता है कि उनको इससे नुकसान होगा लेकिन यह कहा जाता है कि

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

वह ज्यादा नहीं है तो फिर इस तरह की बात होने से उनको नुकसान कैसे होगा? अतः यह दलील मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आयी।

राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी गयी। उसका क्या असर इस पर पड़ता है वह भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं वह मुनासिब नहीं क्योंकि हमारे सूबे में इस बात की काफी कोशिश की जाती है कि हरिजनों को हायर एजूकेशन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। उनको वजीफे दिये जाते हैं, उनकी फीस माफ की जाती है। मेरी जाती राय है कि हरिजनों को ऊंची तालीम देना ही उनके स्तर को ऊंचा करने का सब से ज्यादा फायदेमंद तरीका है। इसलिये हमने इस बात की कोशिश की कि उनमें जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय और मेरा ख्याल है कि उनको दी जाती है और यह कोशिश की जाती है कि कोई भी इस वजह से मजबूर न हो कि उसका खर्चा नहीं चलता इसलिये वह ऊंची तालीम नहीं पा सकता। इसलिये उससे इस चीज को जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि उनकी तालीम में मदद दें मगर इस अमेंडमेंट से तो उनको कोई नफा नहीं पहुंचता और बैवर्ड क्लास को भी जो कुछ मदद हो सकती है वह जरूर मिलनी चाहिये मगर खाली हरिजन और बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर जितने भी अच्छे काम हैं जिससे उनको फायदा हो, उनके रास्ते में रुकावट डाली जाय, यह तो किसी तरह से भी लाभदायक बात नहीं हो सकती है। जहां तक इस संशोधन की बात है मैं समझता हूं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी भी इस बात को मंजूर करेंगे कि इस एक्सप्लेनेशन के रहने देने से अच्छाई ही है, और बुराई कुछ होती नहीं।

श्री उपाध्यक्ष— क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ कहना है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ४ में प्रस्तावित उपधारा (२) के अन्त का Explanation निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नयी उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे —

"(4) To make provisions for instructions and to grant certificates of proficiency under conditions laid down in the Ordinances."

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो विधेयक की उपधारा है वह इस प्रकार है—

"(4) to institute certificates of proficiency, to make provision for instruction for and to grant such certificates under conditions laid down in the Ordinances;"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। सिर्फ मुझे अनुभव सा हुआ है कि इसमें एक मर्तबा तो सर्टिफिकेट का दोबारा उद्धरण नहीं है और साथ ही साथ मेरा जो संशोधन है उसके कर देने से अंग्रेजी भी अच्छी हो जावेगी और साथ ही साथ मंशा भी सरकार का निकल जाता है। तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको देख कर इसे मंजूर कर लेंगे।

श्री हर गोविन्दसिंह—अगर आ ा वही मतलब है संशोधन से तो उसमें जरा सी कमी रह जाती है। जो विधेयक है उसमें "to institute certificates of proficiency" है। मैं आपको उदाहरण कर समझा सकता हूं कि जैसे मान लीजिये कि हम किसी को डेन्टिस्ट्री कोर्स में इंस्ट्रक्शन देकर प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन विधेयक से अगर 'nstitute certificates' निकल जाता है तो जरा गड़बड़ी रहेगी।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—आपका भी तो मतलब यही है कि आर्डिनेंसेज के मुताबिक दिया जाना चाहिये। फिर इसमें दिक्कत ही क्या है। आपका परपज तो कवर हो जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ६ का संशोधन।

"Visitation 6. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University. The State Government shall also have the right to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an affiliated college. The State Government shall, in every case of inspection or inquiry, give notice to the University or the affiliated college (as the case may be) of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University or the college concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(2) The State Government shall communicate to the Executive Council or the Management of the affiliated college (as the case may be) its views with reference to the results of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion or the Executive Council or the Management of the college thereon, require the University, or the college to take such action as it may direct.

(3) The Executive Council or the Management of the college shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'persons' के बाद का वाक्य 'as it may direct' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"of eminence such as Ex-Chancellor or Ex-Vice-Chancellors of the University, Vice-Chancellors of the Universities of other states or Judges of the High Court of the State."

तथा पंक्ति ८ के शब्द 'inquiry' के बाद शब्द 'by persons reffered to above' बढ़ा दिये जायं।'

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं वह इस प्रकार है—

"The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct,"

वहां यह हो जायगा—

"such person or persons of eminence such as Ex-Chancellor or Ex-Vice-Chancellors of the University, Vice-Chancellors of the Universities of other States or Judges of the High Court of the State."

और आगे पंक्ति ८ में 'by person referred to above' से उन्हीं की तरफ इशारा है जिनका जिक्र मैंने अभी अपने संशोधन में किया है। इस धारा में जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है उसमें "by person or persons as it may direct" से एक शंका पैदा होती है कि सरकार जिसको समझे नियुक्त कर सकती है। इस बात की आशंका एक बात से और भी हुई और वह यह है कि इस विधेयक में एक तरफ तो इंटरमीडियेट की परीक्षा और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा एक साथ न हो और ग्रेजुएट के क्लासेज किसी इंटरमीडियेट कालेजेज में न हों और उसके साथ साथ डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भी रखा गया है और सिनेट में भी रखा गया है। हो सकता है कि सरकार ऐसे मामलों में एक मामूली आदमी से, किसी सब-इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स से इन्क्वायरी करा दे और वह सरकारी अफसर हो सकता है और सरकार के इशारे पर चल सकता है। जहां तक मुझे मालूम है हमारे शिक्षा मंत्री जी आगरा यूनिवर्सिटी से बहुत नाराज हैं। वहां गड़बड़ियां हैं यह हम भी समझते हैं लेकिन एक बदला लेने की भावना की तरह यह संशोधित विधेयक उपस्थित किया गया है तो इस कारण मुझे और भी शंका हो जाती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से और मुझसे बात हुई और मैंने उनसे निवेदन किया था कि यूनिवर्सिटी में एक दो रिप्रेजेंटेशन टीचर्स से अफिलियेटेड कालेजेज में रख दिया जाय। उन्होंने बतलाया कि वहां पर कोई क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी अटानामी के लिहाज से ऐसे लोग जिनकी इंटेग्रिटी और ईमानदारी पर किसी को शक न हो उनको रखा जाय। अभी हाल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी और उसमें भी इसी किस्म के लोग थे जिसका कि जिक्र मैंने किया है। तो मेरे संशोधन का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का

हाथ बांधा जाना चाहिये ताकि वह किसी आदमी को जिसको वह कम्पिटेंट समझती है और अगर वह कम्पिटेंट नहीं है उसको रखकर और उसमे एन्क्वायरी करा कर मनमाना फैसला करके अर्थ का अनर्थ न करे। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इससे एतराज नहीं होगा, क्योंकि उनका भी दावा यही होगा कि उनकी नीयत साफ है और अगर यह गलतफहमी दूर हो जाती है तो हमारी और उनकी स्थिति साफ हो जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन उनको स्वीकृत होगा।

श्री नौरंगलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो संशोधन आया है उसका विरोध करता हूं और विरोध बिलकुल सीधासादा है। रामनारायण जी ने जो संशोधन अभी रखा है उसका मंशा यह है कि जिनको एप्वाइन्ट करने की ताकत दी जा रही है कि जिन-जिन को चाहेंगे एप्वाइन्ट कर लेंगे उनमें आपको विश्वास नहीं है। तो अगर आपको अविश्वास है कि वह ठीक आदमी को अप्वाइंट नहीं करेगा तब तो आप उसको यह हिदायत दे सकते हैं और उसकी पावर को लिमिट कर दें लेकिन जब आप इस बात को मानते हैं कि जो भी आदमी वह अप्वाइन्ट करेंगे वह ठीक करेंगे और आपको उस पर विश्वास है और आप उनको शक्ति देते हैं कि वह इन्क्वायरी कर लें तो फिर आगे चलकर यह विश्वास क्यों पैदा हो जाता है कि वह गलत आदमी को अप्वाइन्ट करेंगे। यहां पर इन लम्बे-चौड़े शब्दों के जोड़ने से क्या फायदा है। जब वह किसी आदमी को अप्वाइन्ट करेंगे तो वह तो ठीक ही करेंगे। हम लोगों को इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती है। अगर यहां पर आप कुछ लफ्ज बढ़ा देते हैं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस वास्ते मेरी यह राय है कि आपने जो यह संशोधन दिया है वह कंट्रेडिक्टरी है और ठीक नहीं है और आपका खुद का मतलब उससे हल नहीं होता है। इन दो सेक्शन के आदमियों को आपने छांट लिया है कि वह गाइडेंस देंगे अप्वाइन्ट करने में। मेरी समझ में नहीं आता कि संशोधन करने वाले महोदय ने यह कैसे समझ लिया कि जजेज और वाइस-चांसलर के अलावा और कोई आदमी काबिल नहीं है और उनकी पावर को लिमिट कर देते हैं। और भी आदमी हो सकते हैं जो काबिल हो सकते हैं इन दो पर ही क्यों इस चीज को लिमिट कर देते हैं। हमारे प्रदेश में प्रिंसिपल भी हो सकते हैं लेजिस्लेचर के आदमी भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं और एक लेमैन भी हो सकता है तो आपने यह कैसे कह दिया कि सारी जिम्मेदारी इन दो पर ही रहनी चाहिये। बाज आदमी ऐसे होते हैं कि एजुकेशनिस्ट हैं और वह ब्लंडर कर देते हैं। हम बराबर सुनते आते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी में गड़बड़ हो रही है। तो इस प्रकार से आपके संशोधन में खुद यह विरोध पैदा हो जाता है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इससे उनका मकसद हल नहीं होता है और वे इसको वापस ले लें। इससे न उनका मतलब पूरा होता है और खामखाह के मतलब रखने से कोई लाभ नहीं होता है और यह मीनिंगलेस हो जाता है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—श्रीमान्‌जी, मैं यहां पर इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जो श्री रामनारायण जी ने संशोधन रखा है उसमें कुछ अथारिटी यूनिवर्सिटी के लोगों को मिल जाती है कि वह भी जो इन्क्वायरी की जाय विजिटर अप्वाइन्ट करने में उसमें गवर्नमेंट की तरफ से वह भी हिस्सा लें। गवर्नमेंट की तरफ से जो इस बिल के अन्दर रखा गया है उसमें यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वहां पर जो आदमी रक्खे जायेंगे वह केवल देखने के लिये रहते हैं और उनको कोई अधिकार बराबर का नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी अथारिटी अपने ऊपर ले लेती है। वह आदमी वहां पर स्वतंत्र होने चाहिये लेकिन गवर्नमेंट खुद डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाती है। जो भी चाहे यह गवर्नमेंट कर सकती है। हमने इसकी बाबत अपना डिसेंटिंग नोट दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि यह बात ठीक नहीं है जो कि सरकार अपने हाथ में सारी पावर ले रही है। पिछले आगरा यूनिवर्सिटी बिल में जो था उसको बिलकुल इगनोर किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को

[श्री मलखान सिंह]

मान लें कि यूनिवर्सिटी का कोई आदमी बराबर उस सिटिंग में लिया जाय और उसको अधिकार भी दिया जाय और जो रिपोर्ट एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने आवे तो उसको यह अधिकार हो कि वह जो भी कार्यवाही करना चाहे कर सके। अगर आप कहें कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल ने कोई कार्यवाही नहीं की.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वह कह रहे हैं वह इस सिलसिले में नहीं है कि यूनिवर्सिटी का आदमी हो या न हो और इस संशोधन से उस का संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन पर ही ध्यान दें तो अच्छा है।

श्री मलखान सिंह—मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में यह कह रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के आदमी रखें जो हाईकोर्ट के जज हों या वाइस चांसलर या चांसलर हों या दूसरे इस तरह के लोग हों तो कोई इस प्रकार की दिक्कत न रहेगी कि उनके ऊपर विश्वास किसी को न रहे और जैसा कि अभी मेरे मित्र माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर कोई इंसपेक्टर्स वगैरा भेजे गये तो कहीं-कहीं ऐसा भी होता है, जैसा कि अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी में होता रहा है कि वहां ज्यादातर डी० ए० वी० कालेज कानपुर के प्रोफेसर या इसी तरह के लोग भेजे जाते थे जो कि अपने-अपने कालिजों की उन्नति के लिये दूसरे कालिजों पर अनुचित टीका-टिप्पणी किया करते थे। इन सब दिक्कतों से बचने के लिये ही यह संशोधन रखा गया है और यह एक उचित संशोधन है जिसको मैं समझता हूं कि मान लेना चाहिये।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जो संशोधन रखा गया है वह जांच के अधिकार की सीमा को घटाता है। इस धारा के अन्दर प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह जहां मुनासिब हो वहां जांच करे। यह अधिकार पहले के विधेयक में भी था और उसके सिद्धांत में यहां कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। डिसेन्टिंग रिपोर्ट में दूसरी बात कही गयी है। उस में यह कहा गया है कि यह जो जांच कराई जाय उसमें यूनिवर्सिटी और कालेज के अधिकारियों को भी शामिल किया जाय। और वह बात अभी ठाकुर साहब ने रखी थी लेकिन जो संशोधन आया है वह डिसेंटिंग नोट के सिद्धांत से जुदा है, उस में कहा गया है कि जिन लोगों को जांच के लिये मुकर्रर किया जाय उन की तफसील क्या हो यानी किन लोगों को जांच के लिये चुना जाय। वह हाईकोर्ट के जज हों, वाइस चांसलर या चांसलर रह चुके हों। इस संबंध में जो कुछ श्री नौरंग लाल जी ने कहा है उस से अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूं। यह सम्भव है कि सरकार जजों या वाइस चांसलर वगैरा को नियुक्त करें लेकिन यह भी संभव है कि अगर ऐसे आदमी उस वक्त न मिल सकें तो वह बाहर के लोगों को भी नियुक्त कर सकती है, इसलिये सरकार के इस अख्तयार में कमी करना मुनासिब नहीं है। बिल में सरकार को पूरा अधिकार है कि वह मुनासिब आदमियों को जांच के लिये नियुक्त करे और वह मुनासिब आदमी सब प्रकार के हो सकते हैं। जजों के बारे में कहा गया लेकिन हाईकोर्ट में आजकल उनकी इतनी कमी है कि अगर उन को इन्क्वायरी कमेटीज में भेजा गया तो जब वैसे ही शिकायत है कि हाईकोर्ट के फैसलों में देर होती है वहां और भी देर होने लगेगी संभव है कि कोई रिटायर्ड लोग मिल जायं तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि अगर और कोई मुनासिब आदमी मिले तो उसको नियुक्त किया जाय। तो ऐसी स्थिति में सरकार के अधिकार में रुकावट पैदा करना मुनासिब नहीं है।

अब जो दूसरी बात कही गई है कि जांच के अन्दर युनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाय तो यह तो एक दूसरा ही प्रश्न है। इस संशोधन से उसका विशेष संबंध नहीं है लेकिन जांच ही करनी है तो कालेज के खिलाफ वह जांच होगी। जिसके खिलाफ वह जांच होगी उसी संस्था या वहीं के आदमियों को जांच की कमेटियों में मुकर्रर

करना यह तो कोई सिद्धांत के अन्तर्गत आने वाली बात नहीं है। जाँच तो एक इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी होती है और उस ट्रिब्यूनल में या और जो जाँच करने वाले हों ऐसे व्यक्ति होने चाहिये कि जिस संस्था की जाँच की जा रही हो उससे उनका कोई संबंध न हो। यह जो कहा जा रहा है कि जहाँ जाँच की जाय वहाँ के आदमी जाँच कमेटी में हों यह तो कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया यह इस संशोधन के बाहर है और संशोधन से तो उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री हरगोबिन्द सिंह—श्रीमन्, यह संशोधन जो आया है मैं इसका विरोध करता हूं और काटजू साहब और जो उनके पूर्व वक्ता थे। कहने के बाद कुछ और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। यह दफा, आगरा यूनवर्सिटी ऐक्ट जो पहले था उसमें भी थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके भी शब्द यही थे "Right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct." तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी ही समानान्तर धारायें करीब करीब कुल युनिवर्सिटी ऐक्ट्स में हैं। तो इतने दिनों से यह यूनिवर्सिटी ऐक्ट लागू है और कमेटियाँ उसमें मुकर्रर की गई हैं, लेकिन यह तो आक्षेप कभी भी सरकार पर नहीं आया कि ऐसे लोग मुकर्रर किये गये जिनकी ईमानदारी में किसी को संदेह हो सकता है। ठीक ऐसे ही इलाहाबाद युनिवर्सिटी में भी है और आप जानते हैं कि स्वयं श्री रामनारायण जी ने कहा कि उसमें मूथम एक हाई कोर्ट के जज थे वह मुकर्रर हुये। लेकिन जैसा काटजू साहब ने कहा, उसके कारण मेरा ख्याल है कि शायद एक वर्ष के करीब मूथम साहब कचहरी नहीं जा सके। तो ऐसे अवसर हो सकते हैं जब ऐसे लोगों को मुकर्रर करने को सरकार को अख्तियार न हो, इन कमेटियों में काम करने के लिये। तो जो पहले की धारा थी उसी तरह से अब भी रखी गयी है, उसमें किसी सन्देह की बात नहीं है और न होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय रामनारायण जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, इस संक्षिप्त वादविवाद में दो-तीन चार प्रश्न खास-खास उपस्थित किये गये। माननीय नौरंगलाल जी ने तो मुझसे यह जानना चाहा कि क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है, तो वह बात अलग कहिये। अगर स्टेट गवर्नमेंट पर विश्वास है तो फिर उसका विश्वास करते हुये क्यों आप यह मुनासिब समझते हैं कि इन्क्वायरी कौन करे, उसमें खास-खास लोगों को स्पेसिफाई कर दिया जाय। मैं माननीय नौरंगलाल जी को और माननीय मंत्री जी को उपाध्यक्ष महोदय, बता देना चाहता हूं कि इस सरकार पर मेरा क़तई विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो यह नौबत ही क्यों होती कि मैं उस पर शक करता? यह बदकिस्मती हमारी है कि आज इस विधान सभा में कई पार्टियों के चुनाव में खड़े हो जाने के कारण एक माइनारिटी रिप्रिजेंटेटिव की सरकार बनी हुई है और वह अपनी संख्या, बहुमत के जोर पर कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। विश्वास में दो बातें आती हैं, एक तो उनकी नेकनियती और बदनियती का सवाल उठता है और दूसरा यह है कि उनकी कार्यक्षमता पर विश्वास का सवाल है। तो नेकनियती और बदनियती का तो इतना नाजुक मामला है कि उसको इस समय में छेड़ना नहीं चाहते लेकिन कम से कम कार्य क्षमता के बारे में तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी अक्षम सरकार तो शायद ही फिर कभी इस सूबे में आये।

उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला आपके सामने था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी मामला विद्यार्थियों की यूनियन के संगठन के संबंध म आपके सामने था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कितने शांतिपूर्ण ढंग से वहां मामला तय कर लिया, लेकिन चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों में सरकार का भी काफी हाथ था इसलिये जो यहां तांडव नाच हुआ वह विदेशी शासन को भी मात कर देने वाला था। तीन दिन तक लगातार लखनऊ शहर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था और जिस की इच्छा जिस तरह से हुई उसने वैसा किया। दूकानें लूटी गयीं·····

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भाषण संशोधन की सीमा से बहुत बाहर जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इशारा कर देना चाहता था। उसका अवसर तो १८ तारीख को आयेगा। जहां तक इस सरकार की कार्यक्षमता का सवाल है, मुझे उसपर विश्वास नहीं है। इसीलिये मैं चेक्स और बैलेंसेज लगाना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार कोई मनमानी कार्यवाही न कर सके। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सरकार का मंशा ठीक है तो वह मेरा संशोधन क्यों नहीं मान लेती है। माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि इतने जजेज उपलब्ध नहीं होंगे इनक्वायरी के लिये। जितने भी इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट और रेप्रिजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट हैं उनमें साफ लिखा है कि उसमें इनक्वायरी जजेज करेंगे। जजेज के बारे में हम जानते हैं कि उनके ऊपर प्रादेशिक सरकार का असर नहीं पड़ेगा। दूसरे साथ ही साथ जहां तक उनकी इंटेगरिटी का सवाल है, किसी को सन्देह नहीं हो सकता है। एक बात है कि जजेज कांग्रेसियों की बात नहीं मानते हैं। इसीलिये मैंने यह मुनासिब समझा कि इस तरह की व्यवस्था की जाय। किसी मामले की डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर या इंसपेक्टर आफ स्कूल्स इनक्वायरी करें, ऐसे वसीय अधिकार हम सरकार को नहीं देना चाहते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—मैं विरोधी दल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक रखा गया है, यह उसी काल तक के लिये नहीं है जब तक कि कांग्रेस सरकार है। खुदा नख्वास्ता अगर आप भी आगये तो आप के लिये भी लागू रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक बहुत खास प्वाइन्ट हमारे काटजू जी ने छेड़ दिया। मैं उनको अभी से बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आयी तो बहुत से ऐसे विधेयक हम को उसी दिन जला देने पड़ेंगे जो इस सरकार ने बनाये हैं। इसके संबंध में मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अगर वाकई माननीय शिक्षा-मंत्री जी चाहते हैं कि सरकार मनमानी न करे तो मेरे संशोधन को वे अवश्य स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्युत्तर में तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की चूंकि खुशी हुई कि श्री रामनारायण जी का विश्वास हम में नहीं है तो इसीलिये उनको धन्यवाद देने के लिये फिर से मैं खड़ा हुआ हूं। उनको हमारी नियत में भी संदेह है ठीक ही है, आदमी अपना ही प्रतिबिम्ब हर जगह देखता है। तो यह हमारे लिये दुख की बात नहीं है।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है, जैसा मैंने कहा, आजकल एक और दिक्कत हो गयी है। आप अखबारों में रोज देखते ही होंगे कि हाई कोर्ट के जजों को रिट का अधिकार होता है। एक हाई कोर्ट के जज को इस इनक्वायरी में रखा जाय और दूसरा कोई उसके खिलाफ वहां रिट कराये उसी के यहां, यह ठीक नहीं है। हम को इन लोगों को अलग ही रखना चाहिये यह मेरी अपनी राय है। लेकिन अगर कभी आवश्यकता हुई तो उनको इसपर रखा भी जा सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। जहां तक हिसाब-किताब की बात है अगर वाइस चांसलर और हाई कोर्ट के जजेज को उसमें रख दिया जायगा तो वे कुछ नहीं समझ पावेंगे। वहां तो एक एकाउन्टेंट होना चाहिये जो उसको समझ सके। इस प्रकार इस सीमा को संकुचित कर देने से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और इसीलिये ऐसा रखा गया है। मैं यह नहीं चाहता कि श्री रामनारायण जी मुझ में विश्वास करें, क्योंकि उनकी निस्बत भी मेरी कुछ बहुत अच्छी राय नहीं है। तो इसलिये उसका मुझे बहुत दुख नहीं है। इन्हीं कारणों से यह चीज इसमें रक्खी गई है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'persons' के बाद का वाक्य 'as it may direct' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"of eminence such as Ex-Chancellor or Ex-Vice-Chancellors of the University, Vice-Chancellors of the Universities of other States or Judges of the High Court of the State."

तथा पंक्ति ८ के शब्द 'inquiry' के बाद शब्द "by persons referred to above" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा 6 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय---

"(3) Where the Executive Council or the Management of the College doe not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished or representation made by the Senate or Executive Council or Management of the College, as the case may bel, issue such direction as it may think fit, and the Executive Council or the Management of the College shall comply with such directions."

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान खंड ४ की उपधारा (3) इस प्रकार है कि---

"The Executive Council or the Management of the College shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

उसके स्थान में इसको रख दिया जाय जो मैं ने उपस्थित की है। इस अधिनियम के खंड ४ की उपधारा (1) तथा (2) उसी प्रकार अपने स्थान पर रहेंगी और (3) के स्थान पर इसको रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में एक रीजनेबिल टाइम एफीलियेटेड कालेजेज और यूनिवर्सिटी को दिया जायगा कि गवर्नमेंट की जांच के बाद जो-जो त्रुटियां संबंधित कालेज या यूनिवर्सिटी के मामले में हों उन पर कार्यवाही करने के लिये उनको एक समुचित अवसर दिया जाय। अगर इस बीच में वह कार्यवाही न करें तो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आदेश देगी कि फलां-फलां कार्यवाही वह करें। लेकिन जैसा कि प्रस्तुत विधेयक है उसमें उनको कोई मौका न देकर सीधे स्टेट गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन्स दे देगी कि वह फलां-फलां कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह नामुनासिब बात है कि यूनिवर्सिटीज की ओटोनोमी को कायम रखते हुये भी यूनिवर्सिटीज और एफीलियेटेड कालेजेज के मामलों में गवर्नमेंट दखल दे। जब यूनिवर्सिटीज के नीचे यह कालेजेज हैं तो पहले तो सीनेट को अधिकार होना चाहिये था कि जिस अधिकारी को वह मुनासिब समझे उससे एफीलियेटेड कालेजेज के संबंध में जांच कराये और इसके बाद अगर कोई त्रुटि रह जाय तो सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले। लेकिन सरकार सीधे ही यह अधिकार ले रही है यह नामुनासिब बात है। एक तरफ तो सरकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार देती है और दूसरी तरफ वह उसको सीधे आदेश भी दे सकती है। इसलिये यह तो दोहरी हुकूमत कायम करने की कोशिश की है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, जैसी कि वर्तमान विधेयक की उपधारा है वह ज्यों की त्यों मान ली जाय तो नतीजा यह होगा कि सरकार जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल या सीनेट से कोई जांच न करायेगी तो जो भी इंक्वायरी होगी लोग सीधे शिक्षा मंत्री जी के पास या सरकार के पास पहुंच जायेंगे और एक दोहरे शासन की प्रणाली पड़ जायगी जो यूनिवर्सिटीज के इंतजाम में खलल डालेगी।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मूल अधिनियम की इससे संबंधित धारा की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें भी इस किस्म का प्रावीजन था। पुराने अधिनियम की चौथी धारा इस प्रकार है—

"Where the Executive Council does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished by representation made by Senate and the Executive Council issue such directions as it may think fit and the Executive Council shall comply with such directions."

अभी-अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने बिल की धारा ज्यों की त्यों रख दी है लेकिन मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ४ जो काफी उचित थी, निकाल दी गई है। इसलिये इस बात को दृष्टि में रखते हुये मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है मेरे ख्याल में यह बेकार सा है क्योंकि जो एतराजात माननीय रामनारायण जी ने यहां रखे हैं वे प्रायः सभी मूल अधिनियम में आ गये हैं और उनके एतराजात और आपत्तियां एक प्रकार से निराधार हैं। अगर श्रीमान्, खंड ६ की १ और २ धाराओं को देखें तो उनसे विदित है कि उनके अन्तर्गत मुख्तलिफ स्टेजेज रखे गये हैं। पहले जांच कमेटी मुकर्रर होगी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट युनिवर्सिटी और कालेज के अधिकारियों के सामने जायगी और उनको जो कुछ कहना है या जो एतराजात करने हों वे सरकार के पास आयेंगे फिर सरकार उनसे यह कहेगी कि तुम अमुक काम करो और अपनी नीति उनके सामने रखेगी। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उस आदेश का पालन करें। ये सभी बातें इसमें पहले, दूसरे और तीसरे उपखंडों में आ जाती हैं। त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है वह एक प्रकार से बेकार सा है। धारा ६ के उपखंड (२) और (३) में प्रायः वे सभी बातें हैं जो त्रिपाठी जी ने अपनी नयी उपधारा (३) में रखी हैं। यदि आप अधिनियम की धारा ६(२) को देखें तो उसमें यह लिखा है—

"The State Government shall communicate to the Executive Council or the Management of the affiliated College (as the case may be) its views with reference to the result of such inspection or enquiry and shall after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the College thereon require the University or the College to take such action as it may direct."

यह यहां स्पष्ट रूप से विदित कर दिया गया है कि सरकार पहले अपना निर्णय कालेज या यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भेजेगी और उनसे उनकी राय मांगेगी और उसके सुनने के बाद उनसे कहेगी कि तुम इस प्रकार से चलो। उसके आगे उपखंड (३) में यह लिखा है—

"The Executive Council or the Management of the College shall then within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

फिर जब सरकार उनको आदेश देगी तो एक सीमित समय में इन कालेज या यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनका पालन करें। त्रिपाठी जी ने अपने संशोधन में जो खंड ४ रखा है उसमें कोई विशेष बात नहीं है। उसकी शब्दावली भले ही भिन्न हो लेकिन सिद्धांत वही है। उनका यह मत है कि इसके पूर्व कि सरकार कुछ कदम उठाये, सरकार को यूनिवर्सिटी या कालिजों के अधिकारियों को एक मौका देना चाहिये कि उनको जो कुछ कहना हो वह सरकार के सामने रखें और फिर सरकार अपना निर्णय दे। श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि विधेयक में जो खंड हैं उनमें स्वयं इस सिद्धांत के ऊपर ध्यान रखा गया है और सरकार उसी समय कदम उठायेगी जब कि वह इन कालिजों या यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव कौंसिल का मत और उनका उत्तर सुन लेगी। ऐसी स्थिति में त्रिपाठी जी का संशोधन बेकार है और मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरीगढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से त्रिपाठी जी के संशोधन के ऊपर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि जो त्रिपाठी जी का संशोधन है उसके अन्त में यह जोड़ दिया जाय—

"Provided that the state Government shall have the right to institute a direct Governmental inquiry or to directly issue directions to any affiliated college, only if the Senate and the Executive council fail within a reasonable time to take action to the satisfaction of the state Government.

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास बाद को भेज दें

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और बतलाने के पहले मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह बता दूं कि हालांकि उन्होंने मुझे संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य बनाया था लेकिन क्योंकि उस समय पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की बैठक हो रही थी इसलिये दुर्भाग्यवश मैं उस प्रवर समिति में उपस्थित न हो सका था। यह मैंने इसलिये बतलाया कि कहीं मेरे खिलाफ भी वे वही बातें न कहें जो उन्होंने उपाध्याय जी के खिलाफ कहीं कि मैंने यह एतराज वहां क्यों नहीं किया था। मैं यह नहीं कह सकता कि अगर मैं वहां रहकर आवाज भी उठाता तो उसका इस पर क्या असर पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपकी आज्ञा से मैं उन संशोधनों को बता देना चाहता हूं जो सरकार की ओर से आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में पेश किये गये हैं। उन संशोधनों की जो शब्दावली है उसकी मैं जांच करना चाहता हूं। ऊपरी रूप से देखा जाय तो यही मालूम होता है कि ये संशोधन मुख्य ऐक्ट की धाराओं के समान ही हैं। मुख्य ऐक्ट की धारा ६ को अमेंड करने का सुझाव सरकार की ओर से दिया गया है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाय तो यही मालूम होगा कि यह पुराने ऐक्ट के अनुसार ही है लेकिन अगर उसके शब्दों को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि धारा ६ की उपधारा (१) की तेरहवीं पंक्ति में चन्द शब्द जोड़ दिये गये हैं जो शब्द जोड़ दिये गये हैं वे इस प्रकार से हैं (or the affiliated college) (as the case may be) और उसके बाद जोड़ा गया है" "or the college concerned"

उपधारा (२) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में "Senate and the Executive Council" के स्थान पर 'Executive Council or the Management of the college' रख दिया गया है।

तीसरी पंक्ति में यह जोड़ दिया गया है—"affiliated college (as the case may be)".

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

छठी लाइन में शब्द "Executive council or the Management of the college" यह शब्द 'Senate and the Executive council' के स्थान पर आये हैं।

सातवीं लाइन में शब्द "Advice" के स्थान पर शब्द "Require" का प्रयोग किया गया है। और आठवीं पंक्ति में यह जोड़ दिया गया है "or the college."

इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं सदन में उपस्थित चन्द सदस्यों के सामने इन सब बातों को विस्तारपूर्वक रख दूं। इसका कारण यह है कि त्रिपाठी जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है उसको पेश करने का यही तात्पर्य था कि वे सरकार की इस चेष्टा के विरुद्ध आवाज उठाना चाहते थे।

सरकार ने इस विधेयक द्वारा ऐफिलिएटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल डालने की चेष्टा की है। उसको त्रिपाठी जी बहुत हद तक अपने संशोधन द्वारा अनुचित और आपत्तिकारक समझते थे किन्तु चूंकि उनके संशोधन से यह स्पष्ट नहीं होता था इसलिये मैंने आपकी आज्ञा से अपना संशोधन उनके संशोधन के ऊपर पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार की ओर से जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन पेश किया गया है उसमें सबसे प्रथम आपत्ति यही है कि सरकार ने इस धारा द्वारा ऐफिलियेटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल डालने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि न मुझे और न किसी और व्यक्ति को ही इस धारा के संबंध में कोई आपत्ति हो सकती है आपत्ति केवल इसी बात से है कि सरकार ने यह उचित समझा है, दुर्भाग्यवश सरकार ने यह आवश्यक समझा है और मुझे इसके लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि सरकार स्वयं ऐफिलिएटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल दे। यह बात तो हम स्वीकार करते हैं, सरकार की ओर से इस बात की स्वीकृति सदैव पायी गयी है कि यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस यूनिट है। यानी इसका मतलब यह है कि उसकी भीतरी और अन्दर की कार्यवाहियों के संबंध में यूनिवर्सिटी को पूर्ण तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। यह सरकार की ओर से माना जा चुका है और जब हम आगरा यूनिवर्सिटी को आटोनोमस यूनिट मानते हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि आगरा यूनिवर्सिटी के मातहत जो ऐफिलिएटेड कालेजेज हैं वे भी उसी आटोनामस यूनिट के एक अंग हैं। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस ऐक्ट के द्वारा इस बात की चेष्टा करते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो सबार्डिनेट यानी ऐफिलिएटेड कालेजेज हैं उनकी दैनिक कार्यवाहियों में दखल देते हैं तो वे यूनिवर्सिटी को आटोनामस यूनिट मानते हुये भी इसके आटोनामस होने का उल्लंघन करते हैं और यह एक बहुत ही अनुचित कदम होगा।

यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल देने के बहुत से दुष्परिणाम होंगे और मैं यह चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो मैं देख सकता हूं, इस संबंध में जो मेरा अनुभव है अभी माननीय मंत्री महोदय से बहुत कम है और वह यह है कि जहाँ सरकार की ओर से संशोधन आया है उसका फल यह होगा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद ऐफिलियेटेड कालेजेज का उत्तरदायित्व दो दिशाओं में होगा। एक तो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ और दूसरी सरकार की तरफ। इस बात को मैं शायद ही समझता हूं और क्या इसको हमारे माननीय मंत्री महोदय इंकार कर सकते हैं। इसका जो दुष्परिणाम होगा उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। इससे कंफ्यूजन और घपला मचेगा। केवल इतना ही नहीं किन्तु आज जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है इससे एक बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ऐफिलिएटेड कालेजेज के जो अध्यापक हैं, इन कालेजेज के जो विद्यार्थी हैं उनमें आज कल इस हद तक इनडिसिप्लीन बढ़ गयी है और इस विधेयक की इस धारा के कारण तो इनडिसिप्लीन और बढ़ेगी।

उसका कारण मैं यह बतलाता हूं कि अभी तक जो ऐफिलिएटेड कालेज के अध्यापक हैं वे समझते हैं कि अगर हमने कोई बुरा काम किया तो हमारे विरुद्ध कोई आपत्तिकारक बात हो जायगी तो उसके सामने केवल एक ही उपाय था और वह यह कि वह अथारिटीज के पास जाता। वहाँ अपनी बात सुनाता। यदि उसकी बात सही होती तो अवश्य यूनिवर्सिटी की अथारिटी उसकी बात सुनते और उसकी बात मानकर उसकी आपत्ति शायद दूर भी करते किन्तु अब क्या होगा ऐफेलियेटेड कालेज का अध्यापक शायद ही कभी अपनी शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी अथारिटीज के पास जायगा और यदि ले भी जाय और वहाँ असफल रहा तो उसके पश्चात् वह फौरन सरकार के पास अपना रोना ले कर आयेगा और यह संभव है कि सरकार यूनिवर्सिटी के फैसले के विरुद्ध किसी दूसरे ही नतीजे पर पहुंचे। जो कुछ भी हो यह अवश्य है कि यदि यह मौका किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है कि दो ट्रिब्यूनल में से किसी के पास जाय तो स्वाभाविक है कि जहाँ उसकी पहुंच होगी वहाँ वह जायगा।

मैं यह नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी अथारिटीज की तुलना में हमारी सरकार के पास ही अध्यापक अधिक पहुंचेंगे किन्तु इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी एक ऐफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है जिसके ऐफीलियेटेड कालेजेज की शाखायें सारे भारत भर में फैली हुई हैं और जब इसकी शाखायें इतनी दूर-दूर फैली हुई हैं तो यह भी निस्संदेह है कि हर एक शाखा के स्थान पर हमारे छोटे बड़े घरेलू नेता और बड़े नेता भी वहाँ होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे इन घरेलू नेताओं की पहुंच कहाँ है। मैं किसी के खिलाफ यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन एक दुष्परिणाम जो मेरे विचार में है वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं और मुझे यह एक डर की बात दिखती है कि अगर इस विधेयक को इसी रूप में पास किया जायगा तो सरकार के सामने ये अमुक घरेलू नेता आयेंगे और अमुक सिफारिशें करेंगे और केवल इतना ही नहीं चाहे वे शिकायतें वास्तविक हों, चाहे बनाई हुई हों और चाहे उनका कोई स्वार्थ उसमें निहित हो ऐसी शिकायतें लेकर हमारी सरकार के सामने वे पेश करेंगे और जब एक माना हुआ व्यक्ति सरकार के सामने एक शिकायत ले कर आये तो फिर सरकार के लिये जरूरी हो जायगा कि उसकी जाँच करायें चाहे बाद में उस जाँच का परिणाम उल्टा ही सिद्ध हो परन्तु जाँच कराना आवश्यक हो जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि हमारे मंत्री महोदय जिनके ऊपर इस प्रदेश भर की शिक्षा निर्भर है उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा।

साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दुष्परिणाम भी बताना चाहता हूं कि जब कि एक तरफ से यूनिवर्सिटी की अथारिटीज सीनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल इन ऐफिलियेटेड कालेजेज की देखभाल करती हैं तो वे अपने विचारानुसार आर्डर्स पास करती हैं। अब इस विधेयक के अनुसार सरकार को भी अधिकार होगा कि वह भी एफिलियेटेड कालेजेज के संबंध में जो उचित समझे आर्डर्स पास करे। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार कोई आर्डर्स पास करे। आपत्ति मुझे केवल इसी बात पर है कि सरकार इन एफीलियेटेड कालेजेज के संबंध में कोई आर्डर्स पास करे और अथारिटीज कोई आर्डर्स पास करें। यह सही है कि पिछले दिनों ऐसी परिस्थिति वहाँ रही जिसमें यह आवश्यक हो गया था कि सरकार बहुत हद तक उनके और उनके ऐफीलियेटेड कालेजेज के काम में दखल दें। मामला बहुत बिगड़ चुका था और इसकी मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक उचित समय में लाया गया है परन्तु जैसा कि उद्देश्य में कहा गया है यह प्रतीत नहीं होना चाहिये कि सरकार ने इस अवसर का एक अनुचित लाभ उठाकर इस विश्वविद्यालय को भी अपने हाथ में लेना चाहा है। इससे न सरकार का फायदा होगा, क्योंकि सरकार के पास विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग के पास अभी प्राइमरी और सेकेंड्री एजुकेशन की समस्या को हल करना शेष है। तो उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा कि वह अपने हाथ में विश्वविद्यालय के काम को ले लेंगे। केवल इतना ही रखें कि जो वहाँ पर बुराई हो उसको दूर करने का प्रयत्न करें और वहाँ की निगरानी करें और अगर कोई शिकायत हो तो वहाँ दखल डालकर उसको सुधारने का प्रयत्न करें।

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

मैंने बता दिया कि वहां पर इन्डिसिप्लिन का अन्देशा है अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह लोकल अटानामी का जो विषय है उसको आप एक कलम की लकीर से दूर नहीं कर सकते हैं। जनतंत्र राज्य में लोकल अटानामी को हर जगह, जगह दी जाती है। ऐसे युग में यह शोभा नहीं देता, और जो अपने को डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती हो उसके लिये यह उचित नहीं कि वह ऐसे कदम उठाये जिससे लोकल अटानामी के अधिकार में व्यर्थ की कोई चोट पहुंचे। जिस प्रकार से इस विधेयक में किया जा रहा है उससे यूनिवर्सिटी के लोकल अटानामी में बाधा डाली जा रही है और यह नितान्त अनुचित है। इस संबंध में मैं मूयम कमेटी की रिपोर्ट से कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं। हालांकि इसके बारे में पहले बतलाया जा चुका है लेकिन आपकी आज्ञा से चन्द लाइनें पढ़ना चाहता हूं :—

"A high degree of autonomy is a fundamental need of a University if it is to perform its task properly. The claim to academic freedom rests on three grounds. (i) the necessity of freedom from any form of regimentation if creative thinking is not to be imperilled (ii) the best results in education and research will be obtained if they are left in the hands of those who know most about them (iii) the inherent right of associations in a free country to conduct their own affairs in their own way and develop according to the inner necessities of their own nature."

इससे अधिक लोकल अटानामी के संबंध में कहना अनावश्यक है।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन है यह बिलकुल आउट आफ आर्डर है। अगर यह स्वतंत्र रूप से रखा जाता तब तो यह इसका स्थान हो सकता था लेकिन खंड ३ में यह जिस प्रकार से रखा गया है वह असंगत है क्योंकि ऊपर के उप खंडों में यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है कि जांच होगी। अगर उपखंड ३ में यह प्राविजो डाल दिया जाता है तो यह सारे उपखंड को कंट्रोल करेगा। जब एक बार एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया हो तो उसको यह बदल नहीं सकता है। यह जो प्राविजो बालेन्दुशाह जी बढ़ाना चाहते हैं अगर यह सारे खंड ६ को कंट्रोल करता तब तो ठीक हो सकता था क्योंकि उसके अन्दर एक जनरल सिद्धांत रखा गया है कि एफिलियेटेड कालेजेज के बारे में कोई इन्क्वायरी न हो जब तक कि सिनेट या एक्जीक्यूटिव कौंसिल उसको स्वीकार न करे। जब उप खंड (१) और (२) के सिद्धांत स्वीकार कर लिया गये हैं अब तब अगर यह इस उपखंड ३ को मान लिया जाता है तो यह असंगत हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा हो तो मैं उत्तर दे दूं हालांकि मैं माननीय शिवनाथ काटजू की लीगल नालेज का सामना नहीं कर पाता किन्तु मुझे दुख है कि जब श्री राम नारायण त्रिपाठी ने अपना संशोधन पेश किया था उस समय उन्होंने कहा था कि उन का संशोधन वर्तमान उपधारा ३ के स्थान पर आये। पहली गलती उन की यह हुई। यदि माननीय शिवनाथ जी ध्यान से देखें तो यह केवल ३ ही उपधारा है और हमारा प्राविजो अंतिम उपधारा के अन्त में आ रहा है। अगर उन का मतलब यह है कि वह केवल अंतिम उपधारा को करेगा तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। वह टरमिनेट नहीं करता बाकी इन्टरप्रिटेशन की बाद दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संशोधन उपस्थित किया जा सकता है लेकिन जो संशोधन पहला है उस के साथ ही इसका स्थान हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बार-बार यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बिल के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता।

मैंने शुरू में ही यह बात स्पष्ट रूप से कह दी थी कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो घपला पिछले दिनों हुआ और वहाँ के ऐफीलियेटेड कालेजों में जो वातावरण पाया गया उसको निगाह में रखते हुये सरकार के सामने और कोई उपाय नहीं था सिवा इसके कि वहाँ की त्रुटियों को सख्ती के साथ दूर किया जाय लेकिन इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि इन त्रुटियों, गल्तियों और घपलों को दूर करने की चेष्टा में कोई और गलत कदम न उठाया जाय। जो विश्वविद्यालयों की लोकल अटानामी है उसको वह न छेड़ें, यदि वह इसमें दखल देंगे तो उसका कोई अन्त ही न होगा। एक तरफ तो हमारी सरकार सबको आश्वासन देती है कि वह अपने को काबिल बनावें और वह शनैः शनैः सबको लोकल अटानामी और पावर देना चाहती है लेकिन कहीं अगर किसी समय कोई बुराई पैदा हो गई तो वहाँ पर इस तरह से लोकल अटानामी को दूर करना और उसमें बाधा डालना अनुचित कदम होगा, इस पर मंत्री जी जरा विचार करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन के कारण और उद्देश्य में माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। परन्तु सरकार ने इस समय और भी गुप्त कारण पाया और समझा कि यूनिवर्सिटी पर भी अपना कब्जा कर लिया जाय। जब तक सरकार पावर में है सब माल उसी का है इसलिये उसको अपने ऊपर अधिक बोझ लेना मुनासिब नहीं है। उनको कार्यवाही करना आवश्यक है लेकिन दूसरों को अयोग्य ठहरा कर अपने हाथ में अटानामी का लेना मुनासिब न होगा। मुझे विश्वास है कि जो चर्चा आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में हुई है और जितने लोगों ने उसकी शिकायत की है सरकार के सामने और दूसरे स्थानों में उसको देखते हुये आवश्यक होगा कि सरकार अपनी ओर से केवल आगरा यूनिवर्सिटी और उसकी शाखाओं को सावधान करे और केवल इतने ही में संतुष्ट रहे कि अपने पास टैकिल करने के ही अधिकार रखे तो मेरे ख्याल में सरकार का कर्त्तव्य पूरा होगा और अन्त में जहाँ तक रिफार्म करने का सवाल है मैं जानता हूं कि यहाँ इस समय आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में रिफार्म करने की आवश्यकता हो गई है। मगर मैं नम्रतापूर्वक माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वे रिफार्म करने का बेड़ा बहुत दूर तक अपने हाथ में न लें जैसा कि कालरिज साहब ने कहा था —

"Every reform, however necessary will by weak minds be carried to an excess; that it itself will need reforming."

इसलिये शिक्षा मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि जहाँ तक आवश्यकता हो वहीं तक वे अपनी लाल कलम चलावें। उससे अधिक बढ़ना न उचित है और न उससे किसी को लाभ होगा। न शिक्षा का लाभ होगा और न उससे हमारे विश्वविद्यालय को लाभ होगा।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन त्रिपाठी जी ने हाउस के सामने प्रस्तुत किया है और उसी संशोधन में एक संशोधन हमारे शाह जी ने किया है मैं उन दोनों का विरोध करता हूं। जहाँ तक त्रिपाठी जी के संशोधन का संबंध है मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि श्री काटजू ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। हमारे त्रिपाठी जी जो कुछ अपने इस संशोधन के अन्तर्गत चाहते हैं वह सब धारा ६ की (२) और (३) उपधाराओं में आ चुका है। जहाँ तक लोकल अटानामी का प्रश्न है हमारे शाह जी ने कुछ कोटेशंस मूथम इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट से दिये। आप जानते हैं कि यह विधेयक सरकार को क्यों लाना पड़ा यह ठीक है, हमें विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है लेकिन स्वतंत्रता की कोई सीमा हुआ करती है। अगर हमारे विश्वविद्यालयों में कुप्रबन्ध है, भ्रष्टाचार है तो वास्तव में सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपना कदम उठाये। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो वह सरकार नहीं कही जा सकती है। हम देखते हैं कि राधाकृष्णन कमीशन जो कि पिछले सालों सन् १९४७–४८ में बैठा उसमें जिन साक्षियों ने वहाँ आकर के अपनी गवाहियां दीं, उनसे पता चलता है कि वास्तव में लोकल आटानामी जो विश्वविद्यालय की है उसको सुरक्षित करना है लेकिन साथ ही साथ सरकार का कर्त्तव्य यह भी है कि अगर वहाँ कोई कुप्रबन्ध है तो सरकार उसको दूर करे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने, राधाकृष्णन कमीशन के सामने एक गवाही हुई थी, उसके कुछ शब्द पढ़ देना चाहता हूं —

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

"The Central Government should have power of interference. Even then Varsity will continue to enioy autonomy. Autonomy is good thing provided it caters to the larger interests of education and functions properly. If University is mismanaged, it is the right as well as the duty of Government to interfere in the larger interests of education and public."

तो जब हमारे विश्वविद्यालय की ऐसी शोचनीय हालत थी तो वहां पर सरकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है हालांकि जिस रूप में सरकार संशोधनों को पश कर रही है वह हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं तो इतना कह देने के लिए तैयार हूं कि जो संशोधन हमारे त्रिपाठी जी ने किया अगर उसमें ये शब्द होते जैसा कि उन्होंने कहा है--

"Where the Executive Concil or the Management of the College does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government."

इसके बाद अगर हमारे त्रिपाठी जी का यह संशोधन होता --

"It shall take steps against the institution as it thinks proper under the circumstances of the case."

अगर ये शब्द होते तो एक नयी बात होती और मैं भी उनके संशोधन का समर्थन करने के लिये तैयार होता। लेकिन जो आप चाहते हैं, जैसा कि अभी कहा जा चुका है उपधारा (२) और (३) में वह पहले ही आ चुका है। जहां तक लोकल आटोनामी का प्रश्न है हमको उसे सुरक्षित रखना है लेकिन साथ ही साथ हमको यह ध्यान देना है कि जब हमारी सरकार विश्वविद्यालयों के ऊपर काफी रुपया खर्च करती है अगर वहां कुप्रबन्ध है, भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध को कभी सहन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अगर सरकार वहां हस्तक्षेप भी करती है तो मैं समझता हूं कि वह एटानामी को सुरक्षित रखने और विश्वविद्यालय के हित में है। इन शब्दों के साथ जो मुख्य संशोधन और उसके अन्तर्गत संशोधन बालेन्दुशाह द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालेन्दुशाह के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह परमावश्यक है कि किसी भी ऐफिलिएटेड कालेज के आटोनामस होने में जो उसके अधिकार हैं वे सुरक्षित रखें जायं, कारण यह है कि अगर किसी भी ऐफिलिएटेड कालेज की आटोनामी ली जाती है तो उसका अभिप्राय यह होता है कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट दोनों की हुकूमतों में उस कालेज को रहना पड़ता है और उससे एक तरह से मिसमैनेजमेंट होता है आपकी आज्ञा से मैं बालेन्दुशाह जी के संशोधन को सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं, जिससे माननीय सदस्यों को उसका पूर्ण ज्ञान हो जाय--

"Provided that the State Government shall have the right to institute a direct governmental enquiry or to directly issue directions to any affiliated college, only if the Senate and the Executive Council fail within a resonable time to take action to the satisfaction of the State Government."

श्रीमन्, इस संशोधन का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट है और उसके यह माने हैं कि गवर्नमेंट सीधे किसी भी ऐफिलिएटेड कालेज के खिलाफ कोई जांच न करायें

जब तक कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल और सिनेट उस चीज को जो गवर्नमेंट चाहती हो करने में असमर्थ न हों । श्रीमन्, जो सरकार की इच्छाएं हों और जो सरकार ऐफिलिएटेड कालेजों में सुधार चाहती हो, उसको एक्जिक्यूटिव कौंसिल और यूनिवर्सिटी सिनेट के द्वारा कराया जा सकता है। अगर किसी ऐफिलिएटेड कालेज की शिकायत सरकार तक पहुंची हो और वह दूर कर दी जाय तो मैं नहीं समझता कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। श्रीमन् इसमें एक यह बात हो सकती है कि सरकार के कुछ आदेश हों और यूनीवर्सिटी के कुछ आदेश हों और इस प्रकार इस डुएल सिस्टम से विद्यार्थियों में इंडिसिप्लिन पैदा हो और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर जाय।

मैंने कुछ वैधानिक आपत्तियां भी सुनीं। माननीय काटजू महोदय ने माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई कि यह बातें प्रिंसिपल ऐक्ट में नहीं थीं बल्कि अमेंडिंग ऐक्ट में विद्यमान हैं। श्रीमन्, यदि इसको वे ग़ौर से समझते तो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट हो जाता है और यह ऐसा स्पष्टीकरण है कि और भी जो त्रुटियां इसमें हैं वे साफ हो जाती हैं और इसके पढ़ने के बाद शायद उनको कोई शिकायत बाकी न रहे। श्रीमन्, जब सरकार एक जगह यह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार करती है कि ऐफिलिएटेड कालेजेज अटोनामस बाडी है, तो फिर सरकार दूसरी जगह उनके अधिकारों को क्यों अपहरण करना चाहती है। यह सर्वथा अनुचित है। या तो आप उनको पूरे अधिकार दीजिये या आप यह कर दीजिये कि ऐफिलिएटेड कालेजेज सीधे आपके नीचे हैं। यदि आप उनको अटोनामस बाडी मानते हैं तो यूनिवर्सिटी के सिनेट और एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अधिकार क्षेत्र में इस बात के रहने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है कि यह मसला उनके सुपुर्द कर दिया जाय। यदि सिनेट और एक्जिक्यूटिव कौंसिल उन खामियों को दूर करने में समर्थ हों तो फिर इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि सरकार कोई डिपार्टमेंटल इनक्वायरी इंस्टिट्यूट कराये जिससे बहुत सी दिक्कतें पैदा हों । इसमें एक भ्रम हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का स्तर नीचे गिर जायगा। इसलिये सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। श्रीमन्, उनके आटोनामस बाडी होते हुये भी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा परन्तु वह हस्तक्षेप एक सीमा के अन्दर होना चाहिये। अगर आप सुधार के रूप में कोई चीज किसी यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं उसको आप करा सकते हैं। इसके लिये कोई आपत्ति या कठिनाई नहीं है। परन्तु उन अधिकारों को जिनको कि एक मर्तबा स्वीकार किया गया है, उन्हें आप नहीं छीन सकते हैं। किसी भी विशेषज्ञ या किसी भी कमीशन की बल्कि दूसरे देशों में भी किसी की यह राय नहीं हो सकती है कि यूनिवर्सिटी जो है वह इस तरह से सरकार के नीचे रखी जाय ताकि सरकार की जो नीति हो उसका यूनिवर्सिटियां पालन करें और सरकार जो भी चाहे वही करे। तो श्रीमन्, यह तो कोई मानी नहीं रखता। यह मैं मानता हूं कि जब गल्तियां हों या त्रुटियां हों तब आप कदम उठायें। अगर सिनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन खराबियों को मानने के लिये और दूर करने के लिये तैयार न हों या इसके अलावा भी अगर कोई बाधा उनको दूर करने में पड़ती हो या रास्ते में आती हो, उस वक्त के लिये श्रीमन्, अधिकार आपके पास है। परन्तु आप उनका इस प्रकार से दुरुपयोग न करें जिसमें कि शिक्षा का स्तर नीचे गिर जाय और ऐफिलियेटेड कालेजेज बिल्कुल आपके मातहत हो जायं । यह कोई मानी नहीं रखता और न इससे लोगों को या देश को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है।

इन सबको देखते हुये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय। यह संशोधन बिल्कुल निर्दोष है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । सरकार जो अधिकार चाहती है वह संरक्षित है और भविष्य में भी संरक्षित रहेगा परन्तु जो कालेज ऐफिलियेटेड होना चाहते हैं उनको नष्ट-भ्रष्ट न करें ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी का जो अमेंडमेंट है और उसके ऊपर जो माननीय बालेन्दुशाह जी का अमडमेंट है उन दोनों के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

मैं आज उनको यह बता देना चाहता हूं कि न तो सरकार ने कोई अनुचित कदम उठाया और न तो सरकार ने आटोनामी में कोई दखल दिया। यूनिवर्सिटी के जितने अधिकारी हैं वे सब ज्यों क त्यों मौजूद हैं। इस संशोधन की जो धारा ६ है मैं उसकी एक-एक लाइन इस हाउस के सामने पढ़ कर एक्सप्लन करना चाहता हूं कि सरकार ने कोई दखल नहीं दिया है बल्कि श्री त्रिपाठी जी ने जो रखा है वह केवल रोड़ा अटकाने के लिये है। अगर वाकई हमको इन्टरफियरेन्स करना होता और बोर्ड को अपने हाथ में लेना होता तो हमारे पास अधिकार है और हम डाइरेक्ट गवर्नर से आर्डर करा देते और यूनीवर्सिटी हमारे हाथ में आ जाती मगर हम तो पब्लिक ओपीनियन किल नहीं करना चाहते हैं। we are running a democratic Govt. [हम प्रजातन्त्र सरकार चला रहे हैं।] हम डुएल गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं जैसा कि यहां अभी कहा गया लेकिन डुएल गवर्नमेंट में लोग चल रहे हैं। हम तो सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि पब्लिक ओपीनियन किल की जाय और पब्लिक हरैस की जाय, और टीचर्स हरैस किये जायं या मेम्बर हरैस किये जायं। अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है कि वह उसे ठीक करे ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी में या ऐफिलियेटेड कालेजेज में ऐसी गड़बड़ियां न होने पायें। गवर्नमेंट कोई बेजा दखल नहीं करना चाहती है बल्कि वह सिर्फ जरा सुधारना चाहती है। म ईमानदारी से कहता हूं कि अध्यापक समाज स्वयं चाहता है कि गवर्नमेंट सारे इंस्टीटयूट को अपने अधिकार में ले ले। वे कहते हैं कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाय। अगर इसके पक्ष में बाहर के और भीतर के सभी लोगों की राय ली जाय तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि सेंट परसेंट वोट इसी पक्ष में होंगे कि गवर्नमेंट सारी शिक्षा संस्थाओं के अधिकारों को अपने हाथ में ले ले। इसमें कहीं अन्तर नहीं है। इसमें साफ दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं—

"The State Government shall have the right to cause inspection by such person or persons as it may direct."

तो इसमें यह है कि जैसा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं ले रही है।

"The University or the College concerned shall be entitled to appoint a representative."

यहां पर भी यूनीवर्सिटी या कालेज कनसर्नड को अधिकार दिया गया है, सरकार ने अधिकार नहीं लिया है। मैं श्री त्रिपाठी जी और महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी से कहना चहता हूं कि वह आंखें खोल कर देखें कि इसमें क्या-क्या लिखा है। उसके अर्थ समझें, डिक्शनरी खोल कर देखें, उसके भाव को समझें। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता है। मैदान में उतरिये, बैक डोर से इन होने की जरूरत नहीं है। जो बात सुन्दर होगी उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन जो बात ग़लत होगी उसमें हम आपके साथ हर्गिज नहीं होंगे। आपकी जो डिमांड है वह दूसरी धारा में मौजूद है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, हालांकि श्री शिवनारायण जी सरकारी बेंचेज पर बैठे हैं और सफेद टोपी पहनते हैं लेकिन वह जो "हम" शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को किस शब्द पर आपत्ति है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—"हम" शब्द पर आपत्ति है।

श्री शिवनारायण—श्रीमान्, इससे मेरा मतलब हमारी सरकार से है। मैं गवर्नमेंट का मेम्बर हूं और आन बिहाफ आफ गवर्नमेंट बोल रहा हूं। हमारी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। हम कहीं पर दखल नहीं दे रहे हैं यहां पर रिफार्म शब्द कहा गया है। शनैः शनैः हम रिफार्म कर रहे हैं जैसा कि आपने कोटेशन दिया है। अगर हम अलीगढ़, इलाहाबाद और बनारस वगैरा में सब जगह एक साथ कर देते तो गड़बड़ी हो सकती थी। इसलिये मैं विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वह बहुत ही सोच समझ कर किया है। मुझे दुःख है कि राजा साहब प्रवर कमेटी में तो मौजूद नहीं थे और यहां पर वह शिकायत करते हैं। ऐसे मेम्बरों को क्यों रखते हैं जो अटेंड भी नहीं करते। जहां पहुंचना था वहां तो गये नहीं और अब कहते हैं कि यह गड़बड़ी वह गड़बड़ी है। अगर आपको फिक्र होती तो आप वहां होते।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, CONFIDENTIAL DEPARTMENT. No. E-2684(3) XXV/CX-

Dated Lucknow ,August 26, 1953.

Notice under section 7 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act IV of 1950), as amended from time to time.

Whereas, by virtue of Order No. E-2684 (1) XXV/CX, dated August 26, 1953, you Ishtiaq Abdi son of Syed Faqir Hussain, resident of village Deogaon, P. S. Deogaon, district Azamgarh, have been detained under sub-clause (ii) of clause (*a*) of sub-section (1) of section 3 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act IV of 1950), as amended from time to time.

2. Now, therefore, in pursuance of section 7 of the said Act, the Governor of Uttar Pradesh, is pleased to direct that you be informed that the grounds of your detention are that for sometime you have been trying to foment agrarian trouble in the rural areas of Azamgarh District. In furtherance of your objective you have been inciting the kisans to start a mass movement with effect from August 15, 1953, which you have been characterising as 'Satyagraha', for taking forcible possession of the fields of lawful owners, in contravention of the judicial decisions of competent authority under Act XXXI of 1952, thereby trying to create a spirit of lawlessness all round. This is borne out by your activities detailed below:

(*a*) On July 27, 1953, at about 10 A.M. you along with Jai Bahadur Singh, Ramanand Vaish, Bambahadur Singh, Sachitanand, Tika Singh, Bachchey Lal Shastri and Dasrath Rai, held a private meeting in a boat on the river Sarju in P. S. Dohrighat at which it was decided that those kisans who had moved applications under Act XXXI of 1952, should be instigated to the extent so that they might take forcible possession of the fields of other persons in contrevention of the decisions of Assistant Collectors and that the kisans should be given support in an organised manner in that connection.

(*b*) In a public meeting which was held on August 9, 1953, as P. S. Ghosi, you gave a speech calculated to create disaffection among the public against the local police by levelling false unfounded charges particularly of bribery against them. At this meeting you also incited the audience to join the so called 'Satyagraha' movement for taking illegal possession of the fields of other persons.

(*c*) In the night of August 9/10, 1953 between 10 P.M. to 12 P.M. you attended a secret meeting in the Communist Party Office at Nohammadabad. The meeting was also attended by Ram Lakshan Singh, Najmul Hasan, Ramanad, Ramdeo, and Bachchey Lal Shastri and it was decided there at that the Patwari records which are kept in the Tahsil should somehow be set on fire so that the kisans may easily take possession of the fields of ex-zamindars.

3. The so-called 'Satyagraha' movement for defiance of law and order, which you have been directing, actually resulted in acts of violence as will be evident from the following incidents.

(*a*) On August 15, 1953, a group of about 50 persons most of whom were armed with *lathis* though fitted with flags, led by Bachchey Lal Shastri after holding a meeting at Nadwa Sarai, P. S. Ghosi, inspite of the assembly having been declared unlawful by the competent authority proceeded to take forcible possession of plot No. 253/255 of village Nadva Sarai belonging to Must. Soghra Bibi and on remonstrance by the servants of the lawful owner of the pot, the so-called 'Satyagrahis' became violent and used force resulting in injuries to some persons. At this the police which had been posted there intervened and 23 riote rs were arrested with their *lathis* on the spot.

(*b*) Again on August 16, 1953, organised groups of persons armed with *lathis* tried to assemble at Naowa Sarai to take forcible possession of other persons' fields. They had to be dispersed by the P.A.C. posted there to maintain law and order. Few persons were arrested on the spot, while others ran way.

(*c*) The papers recovered from your possession at the time of your arrest in Dohrighat Circle included the programme of the so-called 'Satyagraha' movement from August 16 to 27, 1953, in Azamgarh District, which further confirmed that you had a direct hand in the organisation of this illegal and violent movement.

4. These activities on your part are prejudicial to the maintenance of public order and there is reasonable apprehension of a continuance of these activities by you. With a view, therefore, to prevent you from continuing this course of action, it has been considered necessary to detain you.

5. Also, in pursuance of the provisions of the said section of the said Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that you be further informed that you have a right to make a representation against the order under which you are detained. If you wish to make a representation you should address it to the Home Secrtety to the State Government through the District Magistrate, Azamgarh.

Your case will be submitted to the Advisory Board constituted under the said Act within thirty days of the date of your detention and your representation if received after this period may not be considered by the said Board.

6. Also, in pursuance of the provisions of section 10 of the said Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that you be further informed thatyou have a right of personal hearing before the said Advisory Board If you desire to be heard in person by the said Board, you should specifically say so in your representation.

(1) Sd. S. N. MEHROTRA,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

जिला बदायूं — मार्च ५३ तक की कार्य प्रगति — पत्र-संख्या १

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	लम्बाई	मिट्टी भराई	पुल तथा पुलिया	सोलिंग कोट एकत्री-करण	सोलिंग कोट पुष्टी-करण	इन्टर कोट एकत्री-करण	इन्टर कोट पुष्टी-करण	टाप कोट एकत्री-करण	टाप कोट पुष्टी-करण	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	नई पक्की सड़कें										
१	मुरादाबाद–चन्दौसी–बदायूं ..	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	एक लेबिल क्रासिंग के अतिरिक्त सब कार्य समाप्त हो गया।
२	डिबई–चन्दौसी (राजघाट में डेकिंग के अतिरिक्त) ..	१२	१२	५+५	५	५	५	५	५	४–६	
	जिला बोर्ड की पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण										
१	बदायूं–सहसवां ..	१८	..	..	..	..	१८	१८	..	..	इन सड़कों पर कार्य समाप्त हो गया।
२	बदायूं–क़ादिर चौक	११	..	..	..	..	११	११	..	..	
३	बदायूं–दातागंज	१७	..	..	..	..	१७	१७	..	..	
४	मुरादाबाद–चन्दौसी–बदायूं ..	२७	..	..	..	..	२७	२७	..	..	

क्रम-संख्या	कार्य-विवरण	लम्बाई	मिट्टी भराई	पुल तथा पुलिया	सोलिंग कोट एकत्री-करण	सोलिंग कोट पुष्टी-करण	इन्टर कोट एकत्री-करण	इन्टर कोट पुष्टी-करण	टाप कोट एकत्री-करण	टाप कोट पुष्टी-करण	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	कच्ची सड़कें										
१.	बिसौली–इसलामनगर ..	१६	१५	१+११	..	..	..	..	..	..	यह सब सड़कें जिला बोर्ड, बदायूं को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
२.	इसलामनगर–सम्भल ..	२	२	–	..	..	..	..	..	..	
३.	इसलामनगर–सुल्तानपुर ..	६	–	०+४	..	..	..	..	..	..	
४.	सईदपुर करेंगी ..	८	८	०+४	..	..	..	..	..	..	
५.	गवन–बहरैला ..	१२	१२	२+६	..	..	..	..	..	..	
६.	सहसवां–गन्नौर ..	२२	२२	३+११	..	..	..	..	..	..	
७.	सहसवां–नघा ..	९	९	०+६	..	..	..	..	..	..	
८.	बिलसी बिसौली ..	६	६	१+५	..	..	..	..	..	..	
९.	उझैनी–जलालपुर ..	६	६	०+१	..	..	..	..	..	..	
१०.	अलापुर–ककरैला ..	४	३	०+२	..	..	..	..	..	..	
११.	उसवां–अलापुर बदायूं ..	१९	१९	२+१५	..	..	..	..	..	..	
१२.	चित्री–दातागंज ..	९	९	०+५	..	..	..	..	..	..	
१३.	दातागंज–सादुल्लागंज ..	८	८	०+५	..	..	..	..	..	..	
१४.	बिनासवर–बिलहट ..	४	४	०+४	..	..	..	..	..	..	
१५.	वजीरगंज से जिले की सीमा तक	४	४	०+४	..	..	..	..	..	..	
	रेलवे के पुलों की डेकिंग										
१.	कछलाघाट पर पूर्वोत्तर रेलवे के गंगा के पुल की डेकिंग			यह कार्य रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है।							

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६६ पर)

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

१८९८ को ऐक्ट संख्या ५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ को, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित करने का

विधेयक

१८९८ को संख्या ऐक्ट ५

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहाँ पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १९९८ को, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१८९८ को ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४९७ का संशोधन

२—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (जिसे यहाँ पर आगे चल कर 'कोड' कहा गया है) की धारा ४९७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"When bail may be taken in case of non-bailable offence.

497 (1). When any Person accused of any non-bailable offence is arrested or detaimed without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a Court, he may be released on bail, but he shall not be so released if he is accused often offence punishable with death or transportation for life and there appear sufficient grounds for inquiring into his guilt or for his trial ;

Provided that the Court may direct that any person under the age of sixteen years or any woman or any sick or infirm person accused of such an offence be released on bail."

१८९८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४९८ का संशोधन

३—कोड की धारा ४९८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"Power to direct admission to bailor reduction of bail

498. The amount of every bond executed under this Chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case, and shall not be excessive ; and the High Court or the Court of Session may ,in any case, whether there be an appeal on conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced, but it shall not so direct if he is accused or convicted of a non-bailable offence punishable with death or

transportation for life and there appear sufficient grounds for inquiring into his guilt or, as the case may be, his trial:

Provided that the Court may direct that any person under the age of sixteen years or any woman or any sick or infirm person accused of such an offence, be admitted to bail.

Explanation—In this section appeal and revision against conviction shall be deemed to be continuation of trial."

उद्देश्य और कारण

ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें घृणित अपराध करने वाले व्यक्तियों ने जमानत पर होते हुए भी फिर गम्भीर अपराध किये हैं और अपने मूल अपराधों से सम्बद्ध साक्ष्य में हस्तारोप करने का प्रयत्न किया है। इससे अपराध पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। गम्भीर अपराध करने वाले अभियुक्तों की यानी उन उपराधों के अभियुक्तों की, जिनका दण्ड मृत्यु अथवा कालापानी है, यदि उनके दोष के विषय में जांच करने अथवा अपराध की सुनवाई करने के लिये पर्याप्त कारण हों, जमानत नहीं होनी चाहिये। इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ४९७ और ४९८ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित किया जाय। अतएव यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० ए० पी० १०१ एल० ए०—१९२४—८५०।